



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2017/वैशाख 18, 1939

No. 192]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2017/VAISAKHA 18, 1939

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

गुजरात, 28 अप्रैल, 2017

सं. 2-4/2009-प्रशा./329.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

संशोधित अध्यादेश 13

अध्यादेश संख्या 13: गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक एवं अन्य पदों (शिक्षक एवं शैक्षणिक पदों के अलावा) की भर्तियों, नियुक्तियाँ एवं परिलब्धियों (भर्ती नियम) को शासित करने वाला अध्यादेश

1. यह अध्यादेश "अध्यादेश संख्या 13: गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक एवं अन्य पदों (शिक्षक एवं शैक्षणिक पदों के अलावा) की भर्तियों, नियुक्तियाँ एवं परिलब्धियों (भर्ती नियम) को शासित करने वाला अध्यादेश" कहलाएगा।
2. यह माननीय विजिटर की स्वीकृति / सहमति के पश्चात् लागू होगा।
3. विश्वविद्यालय का तात्पर्य है "गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय"।
4. अशैक्षणिक एवं अन्य पद, जिन पर उपरोक्त वर्णित पूर्व-संशोधित अध्यादेश के तहत नियुक्ति हुई थी, उन पदों पर नियुक्ति के तरीके एवं परिलब्धियाँ इस अध्यादेश के अनुसार संशोधित होंगी, तदनुसार सभी कर्मचारी इस अध्यादेश के अनुसार शासित होंगे।
5. पदों को भरने के तरीके:

विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए भर्ती के निम्नलिखित तरीके होंगे—

ए. सीधी भर्ती के द्वारा अथवा / तथा

बी. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के द्वारा, जिनकी सेवाएं भारत सरकार के समावेश के प्रावधानों के अनुसार अन्य संस्थानों से उधार ली गयी हैं, अथवा / तथा

सी. अनुबंधित सेवा पर नियुक्ति द्वारा;

डी. पदोन्नति द्वारा;

6. जहाँ भी नियुक्ति की विधि प्रतिनियुक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, वहाँ भारत सरकार के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति से संबंधित निबंधन एवं शर्तें तथ्यतः लागू होंगे।
7. जहाँ भी योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सात पॉइंट स्केल के तहत निर्धारित होती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सात पॉइंट स्केल निम्नलिखित होगा:

ग्रेड	ग्रेड अंक	समतुल्य प्रतिशतता
ओ- अतिउत्तम	5.50-6.00	75-100
ए- बहुत अच्छा	4.50-5.49	65-74
बी- अच्छा	3.50-4.49	55-64
सी- औसत	2.5-3.49	45-64
डी- औसत से नीचे	1.5-2.49	35-54
ई- कमजोर	0.5-1.49	25-34
एफ- अनुत्तीर्ण	0-0.49	0-24

8. विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु लागू नहीं होगी।
9. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए आरक्षण भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगा।
10. जब तक गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नियम एवं सेवा विनियम तैयार नहीं हो जाते, तब तक भारत सरकार / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत लागू नियम एवं सेवा विनियम लागू होंगे।
11. जहाँ कहीं लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण आवश्यक हो, भारत सरकार के वर्तमान नियम / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश लागू होंगे।
12. सभी भत्ते केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समय-समय पर लागू होने वाले भारत सरकार के नियमों / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आहरित होंगे।
13. यह अध्यादेश उन पदों पर भी लागू होगा जो कि भविष्य में समय-समय पर स्वीकृत/सृजित हों, जब तक कि उन्हें निर्दिष्ट न कर दिया गया हो।
14. भारत सरकार / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुसार अब अशैक्षणिक पद तीन समूहों में श्रेणीबद्ध होंगे, जो कि समूह 'ए', समूह 'बी' एवं समूह 'सी' हैं।

संवर्गों का निर्माण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर की गयी परिभाषा के अनुसार होगा जैसे वैधानिक, प्रशासनिक, मंत्रालयिक, सचिवालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, चिकित्सा, तकनीकी, अभियांत्रिक, सुरक्षा, राजभाषा, सफाई, खेलकूद, शोध/सांख्यिकी, परिवहन, एकल पद आदि। इस अध्यादेश में पदों को श्रेणीबद्ध करते समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / डीओपीटी द्वारा इस संबंध में जारी किये गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा गया है।

15. भारत सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए, योग्य अभ्यर्थियों को वरीयताक्रम में, लिखित / कौशल परीक्षण(ओं) में प्राप्त अंकों के आधार पर, भरी जाने वाली रिक्तियों के 10:1 (10 अभ्यर्थी : 1 रिक्ति) के अनुपात में साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

16. जहाँ लिखित / कौशल परीक्षण निर्धारित नहीं की गयी है, तो निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव न्यूनतम होंगे तथा एकमात्र तथ्य यह होगा कि उपरोक्त अर्हताएं एवं अनुभव पास में होने पर अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। कुलपति द्वारा इस संबंध में गठित जॉच समिति / शॉर्टलिस्ट समिति की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय को अधिकार होता है कि एक उचित संख्या (10:1) में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को प्रतिबंधित करे।
17. अध्यक्ष को चयन समिति में मत देने का अधिकार होगा तथा मतों के बराबर हो जाने की दशा में मतदान करेगा।
18. समूह 'बी' एवं समूह 'सी' के पदों के लिए चयन समिति की अनुशंसाएं नियुक्ति के लिए अनुमोदन हेतु कुलपति को प्रस्तुत की जाएंगी। समूह 'ए' के पदों के लिए चयन समिति की अनुशंसाएं कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत की जाएंगी तथा कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के पश्चात् ही नियुक्तियों के आदेश जारी किए जाएंगे।
19. चयन समिति साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन एवं ज्ञान / कौशल का मूल्यांकन करने हेतु स्वयं के मापदण्ड निर्धारित कर सकती है।
20. यदि एक ही पद के लिए दो या अधिक अभ्यर्थी चयनित होते हैं, तो चयनित अभ्यर्थियों की वरीयताक्रम में अनुशंसा की जाएगी।
21. किसी शर्त के साथ कोई अनुशंसा नहीं की जाएगी।
22. विज्ञापित पदों की संख्या को संभावित माना जाएगा। विश्वविद्यालय को चयन के समय भरी जाने वाले पदों की संख्या को बढ़ाने / घटाने/रद्द करने का अधिकार होगा तथा तदनुसार एवं आवश्यकतानुसार अनुशंसाएं की जाएंगी।
23. सेवारत अभ्यर्थी केवल समुचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं तथा उन्हें साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
24. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को टिकट/प्रमाण प्रस्तुत करने पर छोटे मार्ग पर की गयी द्वितीय श्रेणी शयनयान के प्रभार के समतुल्य रेल किराए का पुनः भुगतान किया जाएगा।
25. किसी अभ्यर्थी की ओर से किया गया पक्ष-प्रचार उस अभ्यर्थी को तुरंत अयोग्य कर देगी।
26. आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय) के भुगतान पर स्वीकृत किए जाएंगे। हालांकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को इससे छूट प्रदान है।
27. विश्वविद्यालय के विरुद्ध किसी भी विवाद, दावे या कानूनी कार्रवाई की स्थिति में गुजरात उच्च न्यायालय का वह क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र अनुरक्षित होगा जिस अधिकार क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थित है।
28. ए) आमेलन के लिए प्रावधानों सहित प्रतिनियुक्ति:

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के द्वारा जारी एवं समय-समय पर संशोधित एफ.सं. 8-9 / 2008-टी.एस.आई. दिनांकित 28 / 12 / 2011 के अनुसार पदग्राही को अधिकतम दस वर्षों की अवधि के लिए या उस संवर्ग के लिए निर्धारित उसकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रतिनियुक्ति जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। प्रतिनियुक्ति पर प्रारंभिक तौर पर नियुक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए की जा सकती है, जिसे उसके संतोषप्रद प्रदर्शन, अच्छे व्यवहार एवं उच्च ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप से अधिकतम दस वर्षों की अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी के मत अथवा अधिकारी के प्रत्यावर्तन, जिसकी रिक्ति के समक्ष प्रतिनियुक्त व्यक्ति कार्य कर रहा था, के अनुसार किसी भी स्तर पर उसका प्रदर्शन, ईमानदारी या आचरण असंतोषजनक पाया जाता है तो विश्वविद्यालय किसी भी समय, निर्धारित समयावधि से पूर्व भी पदग्राही का प्रत्यावर्तन करने का अधिकार रखता है। साधारणतया, विश्वविद्यालय के किसी भी संवर्ग में प्रतिनियुक्ति पर कोई भी व्यक्ति, प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर आमेलन नहीं किया जाता है। किसी मामले में, विश्वविद्यालय के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को आमेलन करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन उस संबंधित प्रतिनियुक्त व्यक्ति से विकल्प प्राप्त करने के पश्चात् सहमति के लिए मूल संस्था के साथ मिलकर उक्त मामले को ले सकता है। मूल विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् उक्त मामला अंतिम निर्णय के लिए कार्यकारी परिषद के समक्ष रखना होगा। विश्वविद्यालय में उसके आमेलन होने के मामले में वह भारत सरकार के नियमों के अनुसार उस विशिष्ट संवर्ग में वरीयता के निचले स्थान पर रखा जाएगा।

बी) पदोन्नति नीति:

कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की गयी योग्यता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, किसी सेवा में अगले नीचे के पदक्रम के पदों में सेवारत कर्मचारियों में से पदोन्नति के द्वारा किसी पदक्रम के एक पद पर पदोन्नति की जा सकती है, चाहे वह स्थायी हो या स्थानापन्न क्षमता में हो।

पदोन्नति द्वारा प्रत्येक नियुक्ति पदग्राही की अर्हताओं, उपयुक्तता, पिछले प्रदर्शन व आचरण जो कि वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट से स्पष्ट हो, तथा विभागीय परीक्षाओं, जहाँ भी लागू हो, के आधार पर होगी।

कर्मचारियों के विभिन्न संवर्ग में पदों के लिए वेतनमान भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान के अनुसार होगा तथा न्यूनतम वेतनमान या निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित ऐसे उच्च स्तर पर परिलब्धियाँ आहरित की जाएंगी।

बशर्ते कि वेतनमान में भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जाएगा, तथा ऐसे संशोधन पर कर्मचारी के पास एक विकल्प होगा जिसे लिखित में दी गयी समयावधि में भरकर देने पर वह उस वेतनमान में परिलब्धियों को आहरित कर सकेगा।

1) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन:**समूह - 'ए'**

पदक्रम वेतन रूपये 5400/- (या संशोधित वेतनमान में समतुल्य स्तर) या उस से अधिक या समतुल्य वाली अशैक्षणिक पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा—

- 1) कुलपति - अध्यक्ष
(या उपकुलपति, कुलपति की अनुपस्थिति में)
- 2) कुलपति द्वारा मनोनीत कार्यकारी परिषद के दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक विश्वविद्यालय की सेवा में हो।
- 3) वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक
- 4) संबंधित विभाग / अनुभाग का अध्यक्ष
- 5) कुलपति द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की श्रेणी, एक महिला, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होगा यदि संबंधित पद हेतु उपस्थित हो रहे अभ्यर्थी ऐसे वर्गों से संबंध रखते हों तथा ऐसा प्रतिनिधित्व अन्य किसी सदस्यों के द्वारा नहीं किया गया हो।
- 6) कुलसचिव - सदस्य सचिव

समूह - 'ब'

पदक्रम वेतन रूपये 2800/- से अधिक लेकिन रूपये 5400/- से ज्यादा नहीं हो (या संशोधित वेतनमान में समतुल्य स्तर) वाले अशैक्षणिक पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा—

- 1) उपकुलपति / कुलसचिव - अध्यक्ष
- 2) कुलपति द्वारा मनोनीत कार्यकारी परिषद का एक सदस्य, जो विश्वविद्यालय की सेवा में हो।
- 3) वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक
- 4) संबंधित विभाग / अनुभाग का अध्यक्ष।
- 5) कुलपति द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की श्रेणी, एक महिला, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होगा यदि संबंधित पद हेतु उपस्थित हो रहे अभ्यर्थी ऐसे वर्गों से संबंध रखते हो तथा ऐसा प्रतिनिधित्व अन्य सदस्यों में से किसी के द्वारा नहीं किया गया हो।
- 6) कुलसचिव / संयुक्त सचिव / उप कुलसचिव (प्रशासन) - सदस्य-सचिव

7)

समूह - 'स'

पदक्रम वेतन अधिकतम रूपसे 2800/- (या संशोधित वेतनमान में समतुल्य स्तर) या उससे कम पदक्रम वाले अशैक्षणिक पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा—

- 1) कुलसचिव - अध्यक्ष
- 2) संबंधित विभाग / अनुभाग अध्यक्ष
- 3) वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक
- 4) कुलपति द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की श्रेणी, एक महिला, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होगा यदि संबंधित पद हेतु उपस्थित हो रहे अभ्यर्थी ऐसे वर्गों से संबंध रखते हों तथा ऐसा प्रतिनिधित्व अन्य सदस्यों में से किसी के द्वारा नहीं किया गया हो।
- 5) संयुक्त/उप कुलसचिव (प्रशासन) - सदस्य सचिव

29. भर्तियों के सामान्य निबंधन एवं शर्तें-

- 1) एक अभ्यर्थी मात्र योग्यता की शर्तें रखने से साक्षात्कार के लिए बुलाने का पात्र नहीं होगा। प्रत्येक विषय में सभी अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करने की तिथि, विज्ञापन में आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को होगी। अन्य शब्दों में, किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा, यदि वह किसी विशेष पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव आदि नहीं रखता है।
- 2) विज्ञापन में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित तिथि पर आवश्यक अर्हता एवं अनुभव रखने के अलावा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त की गयी अर्हता एवं अनुभव को चयन के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। किसी विशिष्ट पद के समक्ष योग्यता मापदण्ड के लिए निर्धारित अन्य क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को या तो केवल एक क्षेत्र में या एक से अधिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए ध्यान में रखा जाएगा।
- 3) अभ्यर्थी द्वारा भर्ती के समय या नियुक्ति के पश्चात् किसी भी समय आवेदन में किया गया दावा किसी भी स्तर पर जाँचा/सत्यापित भी किया जा सकता है तथा दावे के असत्य पाए जाने पर उक्त नियुक्ति समाप्त/रद्द करने योग्य होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी से इस आशय का एक वचन देना होगा कि प्रस्तुत किए गए अनुभव, अर्हता या प्रशंसा पत्र के प्रमाण पत्र वास्तविक हैं एवं मिथ्या, बनाए गए, बदले गए या छापे हुए नहीं हैं।
- 4) यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह उस पद के लिए अपनी पात्रता का आंकलन करें जिसके लिए वह निर्धारित योग्यता, अनुभव आदि के अनुसार आवेदन कर रहा है तथा विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र वांछित जानकारी, दस्तावेजों एवं विज्ञापन के अनुसार अन्य सहायक सामग्री के साथ प्रस्तुत करता है। तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना, फर्जी दस्तावेजों की आपूर्ति करना, झूठी या भ्रामक जानकारी प्रदान करना या अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य अवांछनीय कार्रवाई करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। किसी मामले में, उक्त नियुक्ति के बाद भी भविष्य में किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता, अनुभव आदि के अनुसार योग्य नहीं था, जो किसी भी परिस्थिति, जो भी हो, के कारण साक्षात्कार के समय ज्ञात नहीं हो पाया था, तो उसकी नियुक्ति इस अनुच्छेद के अनुसार एवं उसके द्वारा दी गयी वचन के आधार पर तत्काल प्रभाव से समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगी। यह प्रस्ताव एवं नियुक्ति के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से किसी पद के संबंध में सामान्य और पात्रता में भर्ती नियमों से संबंधित किसी अस्पष्टता के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, जो भी मामला हो, अंतिम होगा।
- 5) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज/प्रमाण पत्र/दावे आदि की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारियों/स्त्रोंतों के द्वारा उनके सत्यापन के अधीन होगी। यदि, कोई भी दावा/प्रमाण पत्र/दस्तावेज नियुक्ति के पश्चात् सत्यापन के किसी भी स्तर पर झूठा/मिथ्या/गलत/दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है, तो वह दस्तावेज सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी के इस कदाचार के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने सहित उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है जो उसकी नियुक्ति को रद्द कर सकती है, यदि वह पहले से नियुक्त हो।
- 6) यदि भर्ती प्रक्रिया या नियुक्ति के किसी भी स्तर पर यह पता लगता है कि नकली दस्तावेजों/या आवेदन में भ्रामक विवरण/सूचना देना या दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना या जाति, शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव या मूलनिवास से संबंधित ऐसी सूचना प्रदान करते हुए

उसकी योग्यता से संबंधित या अभ्यर्थी के रूप में तथ्यात्मक जानकारी को जानबूझकर छुपाया गया है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी तथा उसकी सेवा को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, यदि पहले से नियुक्त है।

7) किसी भी पद के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति, समय-समय पर संशोधित सेवा के निबंधनों एवं शर्तों / भर्तियों की विधियों को शासित करने वाले अधिनियम, संविधि, अध्यादेश, नियम व विनियमों, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए संकल्पों तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अपनाए गए भारत सरकार के नियम / यूजीसी के दिशा-निर्देशों के द्वारा शासित होगा।

8) एक नए अभ्यर्थी की नियुक्ति, पुलिस द्वारा किए जाने वाले सत्यापन के अधीन होगी। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक नियुक्ति को अनंतिम माना जाएगा, जिसका उल्लेख नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। यदि किसी मामले में, उसके आचरण, चरित्र, उसके पूर्ववृत्त आदि के संबंध में पुलिस की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पायी जाती हैं, तो उसकी अस्थायी नियुक्ति को बिना नोटिस के तुरंत वापस लिया जाएगा / निरस्त / समाप्त किया जाएगा।

9) चयनित अभ्यर्थी को पद ग्रहण करने से पूर्व, पद के लिए चिकित्सकीय स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए चिकित्सकीय जाँच / परीक्षा से गुजरना होगा। किसी मामले में वह चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा योग्य नहीं पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस लिया जाना जाना जाएगा। सरकार या स्वायत्त निकायों के तहत पहले से नियुक्त व्यक्ति उसके कार्यस्थल के स्थान पर किसी सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन से या संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित किया गया चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

10) चयनित अभ्यर्थियों को "नियुक्ति प्रस्ताव" में नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें भेजी जाएंगी। यदि अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्ति पत्र के प्रस्ताव में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो उक्त प्रस्ताव वापस लिया जाना माना जाएगा तथा इस संबंध में आगे किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी कर्तव्यों की प्रकृति के दायरे में वृद्धि तथा किसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के हित में किसी भी समय, सेवा की आवश्यकता में रात्रि कार्य सहित रविवार एवं अवकाश के दौरान कोई भी कर्तव्य सौंप सकता है, इस तथ्य के बावजूद भी कि ऐसे कर्तव्य किसी पद के लिए पहले से अधिसूचित कर्तव्यों के तहत नहीं आते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने कार्य में पाँच दिवसीय सप्ताह के कार्यक्रम होने के बावजूद, अपने विवेकानुसार, सेवा की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए एवं संस्था के हित में किसी कर्मचारी को सप्ताह में छः दिन के लिए कार्य करने के लिए भी निर्देश दे सकता है।

11) सभी सीधी भर्ती से चयनित व्यक्ति कम्प्यूटरीकृत वातावरण में काम करने के लिए अपेक्षित हैं।

12) चयनित व्यक्ति को अपनी सुविधा के अनुसार अपने आवास की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

13) चयनित अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू की गयी "नई पेंशन योजना" के द्वारा शासित होंगे।

14) चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के नियमों / विनियमों तथा साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 एवं सीसीएस (सीसीएस) नियम, 1965 तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए भारत सरकार के अन्य नियमों के द्वारा शासित होंगे।

15) गैर-शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ अपनी शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव, आयु, जाति एवं अन्य प्रशंसा-पत्रों से संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करनी चाहिए। दस्तावेजों को प्रमाणिकरण के बिना प्रस्तुत करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है। किसी मामले में, किसी आवेदक का कोई आवेदन, प्रमाण-पत्रों, अंकतालिकाओं एवं प्रकाशनों सहित आवश्यक संलग्नकों के द्वारा समर्थित नहीं है तो उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर अस्वीकृत हो जाएगी एवं उसके पश्चात् इस संबंध में कोई भी संचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी भ्रांति से बचने के लिए अभ्यर्थियों को अनुलग्नकों की एक सूची प्रस्तुत करने के निर्देश आवश्यक रूप से देने चाहिए।

16) यूजीसी / भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग श्रेणियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की रियायत, 55% से 50% की अनुमति दी जा सकती है। मौजूदा पदग्राही, जो पहले से ही विश्वविद्यालय प्रणाली में हैं, उनके ऊपर 55% की न्यूनतम अनिवार्यता पर जोर नहीं दिया जाएगा। हालांकि यह प्रणाली में प्रवेश लेने वाले उन व्यक्तियों पर जोर डालेगा जो कि यूजीसी के द्वारा उसके पत्र सं. एफ 3-2/99(पीएस) दिनांकित 23.06.1999 में

विनिर्दिष्ट हैं। विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पर 'अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड' निश्चित करेगी एवं संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक स्तर पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% रियायत भी देगा।

17) इसके बावजूद, उन पदों जैसे पुस्तकालय परिचर, पिओन / कार्यालय परिचर, केयर टेकर, छात्रावास परिचर, चिकित्सा परिचर, छात्रावास परिचर, चिकित्सा परिचर के लिए निर्धारित अर्हता की आवश्यकताओं के लिए जॉच समिति बहु-कुशल अभ्यर्थियों जैसे स्टाफ कार चालन / विद्युत कार्य / पंप संचालन और नलसाजी कार्य / बढई / मिख्री / खेत श्रम / लिफ्ट ऑपरेशन / कार्यालयी कार्य आदि का अनुभव रखते हैं तथा जो आईटीआई के अनुभव प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी किए गए समतुल्य अनुभव प्रमाण पत्र के द्वारा समर्थित है, पर विचार कर सकती है। किसी मामले में, ऐसे पदों के लिए विश्वविद्यालय के विज्ञापन की प्रतिक्रिया में उपरोक्त वर्णित कौशल के साथ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के बुलाए जाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद भी कि वे उस पद के लिए उन्हें संबंधित अनुभव नहीं हो सकता है। इस मापदण्ड को स्पष्ट रूप से विज्ञापन में निम्नलिखित तरीके से उल्लेखित किया जाना होगा—

" स्टाफ कार चालन, विद्युत कार्य, पंप संचालन और नलसाजी कार्य, बढई, मिख्री, खेत श्रम, लिफ्ट ऑपरेशन, कार्यालयी कार्य अनुभव रखने वाले बहु कुशल अभ्यर्थियों को आईटीआई के अनुभव प्रमाण पत्र या प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र को ध्यान में रखकर प्राथमिकता दी जा सकती है।"

ऐसे मामलों में उपरोक्त वर्णित अनुभव रखने वाले व्यक्ति के रूप में संबंधित अनुभव पर जोर नहीं दिया जा सकता है।

18) अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अपनी आयु, अर्हता, अनुभव एवं जाति आदि से संबंधित सभी मूल दस्तावेज साथ में लाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अपने आवेदन के संलग्नकों की सत्यापित / प्रतिलिपि के सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा इस संबंध में बिना किसी संचार के उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी।

19) विश्वविद्यालय किसी भी कारण से, जो भी हो, विज्ञापित पदों को भरने अथवा न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी भी कारण किसी विशिष्ट पद पर भर्ती के पश्चात् कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो चयन समिति की तिथि से एक वर्ष के भीतर की अवधि में उक्त पद के पैनल में से उक्त रिक्ति भरी जा सकती है। किसी भी मामले में प्रत्येक पैनल, चयन समिति की बैठक की तिथि से एक वर्ष पश्चात् अवैध माना जाएगा।

30. अलग-अलग पदों के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव एवं आयु आदि निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं तथा ऐसे पद जो कि भविष्य में सृजित किए जाएंगे, जो कि इन नियमों के द्वारा निर्धारित किये गये हैं जो कि भारत सरकार / यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकृत हैं।

वैधानिक पद

1	पद का नाम	कुलसचिव
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 37,000 - रूपये 67,000/-
	पदक्रम वेतन	रूपये 10,000/-
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	विशेषकर 57 वर्ष से नीचे
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या यूजीसी सात पाँइण्ट स्केल में इसकी समतुल्य ग्रेड 'बी' (2) अकादमिक पदक्रम वेतन रूपये 7000 में सहायक प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव अथवा शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव के साथ सह प्राध्यापक सहित रूपये 8000/- व उससे अधिक अकादमिक पदक्रम वेतन में आठ वर्षों का अनुभव।

		<p>अथवा अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा / या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव</p> <p>अथवा 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से उपकुलसचिव के रूप में या समतुल्य पद पर 8 वर्षों का अनुभव।</p>
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)		कोई परिवीक्षा नहीं
भर्ती की विधि		पाँच वर्ष की अवधि के लिए सीधी भर्ती। पुनः नियुक्ति के लिए योग्य, एवं 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा / प्रतिनियुक्ति
कार्य विवरण		कुलसचिव को विश्वविद्यालय प्रबंध के सभी पहलुओं में व्यापक अनुभव होना चाहिए। कुलसचिव, विश्वविद्यालय कोर्ट, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की वैधानिक निकायों का पदेन सचिव होते हुए, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय का अध्यक्ष होगा। कुलसचिव संवैधानिक निकायों एवं कुलपति के द्वारा अपेक्षित विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि, अध्यादेश, नियम एवं विनियमों में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा।
चयन समिति की संरचना		<ol style="list-style-type: none"> 1. कुलपति – संयोजक एवं अध्यक्ष 2. विजिटर का एक मनोनीत व्यक्ति 3. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसके दो सदस्य 4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है। 5. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ। 6. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। <p>दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
नियुक्ति प्राधिकरण		कार्यकारी परिषद

2	पद का नाम	वित्त अधिकारी
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 37,000 - रूपये 67,000/-
	पदक्रम वेतन	रूपये 10,000/-
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	विशेषकर 57 वर्ष से नीचे
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या यूजीसी सात पाँइण्ट स्केल में इसकी समतुल्य ग्रेड 'बी'</p> <p>(2) अकादमिक पदक्रम वेतन रूपये 7000 में सहायक प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव अथवा शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव के साथ सह प्राध्यापक सहित रूपये 8000/- व उससे अधिक अकादमिक पदक्रम वेतन में आठ वर्षों का अनुभव।</p> <p>अथवा अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा / या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव</p> <p>अथवा 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से उपकुलसचिव के रूप में या समतुल्य पद पर</p>

	8 वर्षों का अनुभव।
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	कोई परिवीक्षा नहीं
भर्ती की विधि	पाँच वर्ष की अवधि के लिए सीधी भर्ती। पुनः नियुक्ति के लिए योग्य, एवं 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा / प्रतिनियुक्ति
कार्य विवरण	संवैधानिक निकायों एवं कुलपति के द्वारा अपेक्षित विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि, अध्यादेश, नियम एवं विनियमों में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना।
चयन समिति की संरचना	1. कुलपति – संयोजक एवं अध्यक्ष 2. विजिटर का एक मनोनीत व्यक्ति 3. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसके दो सदस्य 4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है। 5. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ। 6. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

3	पद का नाम	परीक्षा नियंत्रक
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 37,000 - रूपये 67,000/-
	पदक्रम वेतन	रूपये 10,000/-
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	57 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या यूजीसी सात पाँइण्ट स्केल में इसकी समतुल्य ग्रेड 'बी' (2) अकादमिक पदक्रम वेतन -पये 7000 में सहायक प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव अथवा शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव के साथ सह प्राध्यापक सहित रूपये 8000/- व उससे अधिक अकादमिक पदक्रम वेतन में आठ वर्षों का अनुभव। अथवा अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा / या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव अथवा 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से उपकुलसचिव के रूप में या समतुल्य पद पर 8 वर्षों का अनुभव।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	कोई परिवीक्षा नहीं
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पाँच वर्ष की अवधि के लिए सीधी भर्ती। पुनः नियुक्ति के लिए योग्य, एवं 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा / प्रतिनियुक्ति
	चयन समिति की संरचना	1. कुलपति – संयोजक एवं अध्यक्ष 2. विजिटर का एक मनोनीत व्यक्ति

	<p>3. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसके दो सदस्य</p> <p>4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है।</p> <p>5. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ।</p> <p>6. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p> <p>दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

4	पद का नाम	पुस्तकालयाध्यक्ष
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 37,000 - रूपये 67,000/-
	पदक्रम वेतन	रूपये 10,000/-
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	57 वर्ष
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) न्यूनतम 55% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान / प्रलेखन में स्नातकोत्तर उपाधि या यूजीसी सात पॉइण्ट स्केल में इसकी समतुल्य ग्रेड 'बी' तथा यूजीसी विनियमन, 2010 में निर्धारित लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड।</p> <p>(2) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उप पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 13 वर्षों का अनुभव अथवा महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 18 वर्षों का अनुभव</p> <p>(3) अभिनव पुस्तकालय सेवा एवं प्रकाशित कार्य के संगठन का साध्य</p> <p>वांछनीय:</p> <p>पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखन / पुरालेख एवं पाण्डुलिपि संरक्षण में एम.फिल्. / पीएच.डी.</p>
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	एक वर्ष
	भर्ती की विधि	सीधी भर्ती
	कार्य विवरण	संवैधानिक निकायों एवं कुलपति के द्वारा अपेक्षित विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि, अध्यादेश, नियम एवं विनियमों में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना।
	चयन समिति की संरचना	<p>1. कुलपति – संयोजक एवं अध्यक्ष</p> <p>2. विजिटर का एक मनोनीत व्यक्ति</p> <p>3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ।</p> <p>4. संकाय का अधिष्ठाता, यदि लागू हो</p> <p>5. विभाग / स्कूल का अध्यक्ष</p> <p>6. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p> <p>दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>

	समग्र चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, उद्देश्य एवं अभ्यर्थियों को विभिन्न आयामों में उसके प्रदर्शन के लिए दिए गए भारांकों के आधार पर गुणों एवं साख के विश्लेषण की विश्वसनीय पद्धति तथा यूजीसी विनियम, 2010 में निर्धारित शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (ए.पी.आई.) पर आधारित एक स्कोरिंग प्रणाली प्रारूप में उसके प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	62 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार द्वारा समय - समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

संवर्ग का नाम: प्रशासनिक एवं मंत्रालयिक

1	पद का नाम	उप कुलसचिव
	पदों की संख्या	2
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 15,600 - रूपये 39,100/-
	पदक्रम वेतन	रूपये 7,600/- (उप कुलसचिव एवं समकक्ष पद पर नियुक्त शिक्षक इन श्रेणियों के पदों के लिए उपयुक्त पदक्रम वेतन का हकदार होगा तथा उक्त शैक्षणिक पद का अकादमिक पदक्रम वेतन नहीं रखेगा)
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए 40 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या यूजीसी सात पाँइण्ट स्केल में इसकी समतुल्य ग्रेड 'बी' (2) अकादमिक पदक्रम वेतन रूपये 6000/- या अधिक में सहायक प्राध्यापक के रूप में शैक्षणिक प्रशासनिक अनुभव के साथ न्यूनतम नौ वर्षों का अनुभव। अथवा अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा / या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव अथवा सहायक कुलसचिव के रूप में या उसके समकक्ष पद पर पाँच वर्षों का प्रशासनिक अनुभव।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	एक वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति ए) 75% उपकुलसचिव के पद सीधी भर्ती के माध्यम से विश्वविद्यालय के विवेक के आधार पर, लिखित परीक्षा(ओं) एवं उसके पश्चात् साक्षात्कार से भरे जाएंगे। बी) 25% उपकुलसचिव के पद पदोन्नति के माध्यम से विश्वविद्यालय में कार्यरत योग्य सहायक कुलसचिव में से भरे जाएंगे, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति के माध्यम से, यथास्थिति भरे जाएंगे।
	चयन समिति की संरचना	1. कुलपति - संयोजक एवं अध्यक्ष 2. उपकुलपति 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो। 4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसका एक सदस्य 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त

	सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. कुलसचिव - पदेन सदस्य सचिव दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

2	पद का नाम	आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 15,600 - रूपये 39,100/-
	पदक्रम वेतन	रूपये 7,600/-
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं (प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने के लिए अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए)
	आयु सीमा	आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	(1) महालेखा परीक्षक / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कार्यालय से नियमित तौर पर अनुरूप पद धारण किए हुए अधिकारी, अथवा केन्द्रीय / राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एवं अन्य स्वायत्त संगठन से वेतन बैंड रूपये 15,600-39,100/- में पदक्रम वेतन रूपये 6,600/- में पाँच वर्ष की नियमित सेवा (2) कंप्यूटर अनुप्रयोग का अच्छा ज्ञान
	परिबीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	कोई परिबीक्षा नहीं
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिनियुक्ति
	चयन समिति की संरचना	1. कुलपति – अध्यक्ष 2. उपकुलपति 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ। 4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसका एक सदस्य 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. कुलसचिव - पदेन सदस्य-सचिव दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
	नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

3	पद का नाम	सहायक कुलसचिव
	पदों की संख्या	3
	वर्गीकरण	समूह 'ए'

वेतन बैंड	रूपये 15,600 - रूपये 39,100/-
पदक्रम वेतन	रूपये 5,400/ -
चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए 35 वर्ष से अधिक न हो
शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) सीधी भर्ती के लिए: अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड सहित न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या यूजीसी सात पॉइंट स्केल में इसकी समतुल्य ग्रेड 'बी'। (2) पदोन्नति के लिए: निम्न ग्रेड, जैसे अनुभाग अधिकारी या इसके समतुल्य ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा। (पदोन्नति के मामले में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता लागू नहीं होगी)
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि	सीधी भर्ती / पदोन्नति ए) 50% पद तत्काल निम्न ग्रेड में से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती से। बी) शेष 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से विश्वविद्यालय के विवेक के आधार पर, लिखित परीक्षा(ओं) एवं उसके पश्चात् साक्षात्कार से भरे जाएंगे।
चयन समिति की संरचना	1. कुलपति - अध्यक्ष 2. उपकुलपति 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हों। 4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसका एक सदस्य 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. कुलसचिव - पदेन सदस्य सचिव दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

4 पद का नाम	जन संपर्क अधिकारी (पी.आर.ओ.)
पदों की संख्या	1
वर्गीकरण	समूह 'ए'
वेतन बैंड	रूपये 15,600 - रूपये 39,100/ -
पदक्रम वेतन	रूपये 5,400/ -
चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ संचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री या विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री; तथा (2) संपादक / सह संपादक / उप संपादक / संवाददाता / जनसंपर्क अधिकारी के रूप में

	एबीसी, राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों, रेडियो या टेलीविजन, फिल्म मीडिया, प्रतिष्ठित विज्ञापन एजेंसियां से मान्यता प्राप्त किसी भी स्थापित अंग्रेजी / हिंदी अखबार / संपादकीय विभाग के संपादकीय विभाग / केंद्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: दो या अधिक अतिरिक्त भारतीय भाषाओं का ज्ञान जिनमें से एक भाषा विशेषकर गुजराती हो सकती है।
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि	सीधी भर्ती
चयन समिति की संरचना	1. कुलपति – अध्यक्ष 2. उपकुलपति 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो। 4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसका एक सदस्य 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. कुलसचिव - पदेन सदस्य-सचिव दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

समूह 'बी' पद

5	पद का नाम	अनुभाग अधिकारी
	पदों की संख्या	5
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/-
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,600/-
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम 35 वर्ष
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (ए) सीधी भर्ती के लिए: (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (2) प्रशासन / लेखा में अधीक्षक / सहायक के रूप में, विशेषकर किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय / सरकारी / सार्वजनिक / निजी उपक्रम में एक जूनियर पर्यवेक्षी पद में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव (सीधे भर्ती के मामले में) वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोग का अच्छा ज्ञान (बी) पदोन्नति के लिए: (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (2) प्रशासन / लेखा में सहायक के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों	1. 50% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षण के माध्यम से साक्षात्कार के पश्चात्;

के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	2. 50% विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर वरिष्ठता पर विचार करते हुए सीमित विभागीय योग्यता परीक्षा पास करने पर, पदोन्नति के माध्यम से/पुनर्नियोजन द्वारा।
चयन समिति की संरचना	सीधी भर्ती के लिए: 1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)
6 पद का नाम	सहायक
पदों की संख्या	8
वर्गीकरण	समूह 'बी'
वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/-
पदक्रम वेतन	रूपये 4,600/-
चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
आयु सीमा	अधिकतम 35 वर्ष
शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (ए) सीधी भर्ती के लिए: (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (2) प्रशासन और स्थापना / लेखा और वित्त / मानव संसाधन / क्रय कार्य में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें से किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय / सरकार / सार्वजनिक / निजी क्षेत्र / के उपक्रम में यूडीसी के रूप में या उसके समतुल्य पद पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोग का अच्छा ज्ञान (बी) पदोन्नति के लिए: (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (2) विश्वविद्यालय में प्रशासनिक / लेखा कार्य में यूडीसी के रूप में या समकक्ष पद पर कम से कम दस वर्ष का अनुभव।
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि	1. 50% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण के माध्यम से साक्षात्कार के पश्चात्; 2. 50% डीपीसी की अनुशंसा पर वरिष्ठता पर विचार करते हुए सीमित विभागीय

	योग्यता परीक्षा पास करने पर, पदोन्नति के माध्यम से / पुनर्नियोजन द्वारा।
चयन समिति की संरचना	सीधी भर्ती के लिए: 1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

समूह 'सी' पद

7	पद का नाम	उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी)
	पदों की संख्या	09
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 2,400/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	अधिकतम 35 वर्ष
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (i) सीधी भर्ती के लिए: (1) विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (2) किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/सरकार/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र/के उपक्रम में प्रशासन और स्थापना/लेखा और वित्त/मानव संसाधन/क्रय कार्य या समतुल्य कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोग का अच्छा ज्ञान (ii) पदोन्नति के लिए: (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (2) विश्वविद्यालय में प्रशासनिक / लेखा कार्य में एलडीसी के रूप में या समकक्ष पद पर कम से कम दस वर्ष का अनुभव।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि	1. 50% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा; 2. 50% पदोन्नति द्वारा, डीपीसी की अनुशंसा पर वरिष्ठता के माध्यम से, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति द्वारा।
	चयन समिति की संरचना	सीधी भर्ती के लिए: 1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक

	<p>3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ।</p> <p>4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष।</p> <p>5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p> <p>6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव</p> <p>एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

8	पद का नाम	निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी)
	पदों की संख्या	15
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,900/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	18 से 27 वर्ष की आयु के मध्य (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता</p> <p>(2) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में टंकण गति 30 डब्ल्यू.पी.एम. या हिंदी में 25 डब्ल्यू.पी.एम. अथवा कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण गति 35 डब्ल्यू.पी.एम. या हिंदी में 30 डब्ल्यू.पी.एम. (35 डब्ल्यू.पी.एम. और 30 डब्ल्यू.पी.एम. प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी के औसत पर 10500 केडीपीएच / 9000 केडीपीएच के अनुरूप हैं)</p> <p>कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानदंड:</p> <p>अंग्रेजी टाइपिंग @ 35 डब्ल्यू.पी.एम.</p> <p>हिंदी टाइपिंग @ 30 डब्ल्यू.पी.एम.</p> <p>(समय अनुमति - 10 मिनट)</p> <p>(35 डब्ल्यू.पी.एम. और 30 डब्ल्यू.पी.एम. प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी के औसत पर 10500 केडीपीएच / 9000 केडीपीएच के अनुरूप हैं)</p>
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	<p>ए) 85% सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>बी) 10% रिक्तियों को समूह 'सी' पदक्रम वेतन रूपये 1800 के उन कर्मचारियों में से विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार भरा जाएगा, जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं या समकक्ष योग्यता रखते हैं तथा जिन्होंने उस पदक्रम वेतन में 3 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान कर चुके हैं। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति / जनजाति लिए 50 वर्ष की आयु)</p> <p>नोट: यदि अनुच्छेद (बी) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या से अधिक कर्मचारी</p>

	परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या को बाद के वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए ध्याअन में रखा जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर उनसे पहले विचार किया जाता है जो बाद की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। सी) 5% रिक्तियाँ समूह 'सी' के उन कर्मचारियों में से वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने पदक्रम वेतन रुपये 1800/- के साथ कम से कम 3 साल की नियमित सेवा की है।
चयन समिति की संरचना	सीधी भर्ती के लिए: 1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

9	पद का नाम	चपरासी / परिचर एवं एम.टी.एस.
	पदों की संख्या	06
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्टाफ कार चालन / विद्युत कार्यों / पंप संचालन और नलसाजी कार्य / बटई / मिस्त्री / खेत श्रम / लिफ्ट ऑपरेशन / कार्यालयी कार्य आदि का अनुभव रखते हैं तथा जो आईटीआई के अनुभव प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी किए गए समतुल्य अनुभव प्रमाण पत्र के द्वारा समर्थित है।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	कौशल परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार के द्वारा सीधी भर्ती
	चयन समिति की संरचना	सीधी भर्ती के लिए: 1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य

	और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

संवर्ग नाम: कार्यालयी भाषा (राजभाषा)

1	पद का नाम	हिन्दी अधिकारी
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 15,600 - रूपये 39,100/-
	पदक्रम वेतन	रूपये 5,400/-
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक छूट) नोट: भारत के अभ्यर्थियों (और वे जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू के लद्दाख डिवीजन और कश्मीर राज्य, लाहौल और स्पिट जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पंगी उप डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप) की आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि उनसे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: सीधी भर्ती के लिए: i. एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री; अथवा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षाओं के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अन्य विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री; अथवा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षाओं के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री; अथवा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षाओं के माध्यम के रूप में हिन्दी एवं अंग्रेजी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अन्य विषय में दोनों में से किसी भी माध्यम से मास्टर डिग्री; ii. हिंदी में शब्दावली (शब्दावली का काम) तथा अंग्रेजी से हिन्दी व हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का प्रयोग / उसे लागू करने का तीन साल का अनुभव, केंद्रीय / राज्य सरकारों / स्वायत्त निकाय / सांविधिक संस्थाओं / पीएसयू / विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के तहत तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य को

	<p>प्रधानता देते हुए।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>हिन्दी एवं अंग्रेजी में शिक्षण या केन्द्रीय / राज्य सरकारों / स्वायत्त निकाय / सांविधिक संस्थाओं / पीएसयू / विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के तहत हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन साल का अनुभव।</p> <p>नोट: 1) विश्वविद्यालय अपने विवेक के अनुसार अर्हताओं में छूट प्रदान कर सकता है यदि अभ्यर्थी अर्हताओं के अलावा योग्य हो। 2) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में विश्वविद्यालय के विवेक के आधार पर अनुभव के संबंध में उनको अर्हता में छूट प्राप्त होती है, विश्वविद्यालय का मत हो कि अपेक्षित अनुभवों को संसाधित करने के लिए एवं उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों में से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की संभावना है।</p> <p>वांछनीय: एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में हिंदी के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं में से एक भाषा का अध्ययन।</p> <p>पदोन्नति के लिए: पदक्रम वेतन रूपये 4,600/- के साथ पीबी-2 रूपये 9,300-34,800/- में उस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ अनुवादक तथा उसके द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए निर्धारित सप्ताह का प्रशिक्षण</p> <p>नोट: 1 जहां जूनियर जो अपनी योग्यता या पात्रता सेवा को पूरा कर चुका हो एवं वह पदोन्नति के लिए ध्यान में रखा जा रहा हो, उनके वरिष्ठ भी पदोन्नति के लिए ध्यान में रखे जाएंगे बशर्ते कि वे अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम योग्यता या पात्रता सेवा या 2 वर्ष, जो भी कम हो, तथा सफलतापूर्वक अपने योग्यता या पात्रता सेवा को पूरा करने वाले अपने जूनियर के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो।</p> <p>नोट 2 पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता की गणना के उद्देश्य से, 1 जनवरी 2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा या जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है, उसे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा के लिए माना जाएगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए: केन्द्रीय / राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के अधिकारी: (ए)(i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करना; या (ii) पदक्रम वेतन रूपये 4600/- के साथ पीबी-2 रूपये 9,300-34,800/- में पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दिए गए ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा, तथा (बी) उपरोक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखना।</p> <p>नोट: 1 फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।</p>
--	---

	<p>नोट: 2 एक अन्य पूर्व-कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित उसमें या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तुरंत पश्चात् प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट: 3 प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए 1 जनवरी 2006 से पहले एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा (जिस तारीख से छठा केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ा दिया गया है) को सेवा माना जाएगा अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर संबंधित पदक्रम वेतन या वेतनमान विस्तारित आधार में प्रदान किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित पैमाने के एक से अधिक ग्रेड को एक सामान्य पदक्रम वेतन या वेतनमान के साथ विलय किया गया हो और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा, जिनके लिए ग्रेड का भुगतान या वेतनमान कोई भी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति के द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
चयन समिति की संरचना	<ol style="list-style-type: none"> 1. कुलपति – अध्यक्ष 2. उपकुलपति 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो। 4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसका एक सदस्य 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. कुलसचिव - पदेन सदस्य सचिव <p>दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

समूह 'बी' पद

1	पद का नाम	हिन्दी अनुवादक
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,200/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम

	<p>के रूप में अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। अथवा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। अथवा हिन्दी माध्यम और अंग्रेजी के साथ किसी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री। अथवा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी माध्यम और हिन्दी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री। अथवा अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अन्य। एवं हिन्दी से अंग्रेजी अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय में हिन्दी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य में दो साल का अनुभव। नोट 1 विश्वविद्यालय अपने विवेक के अनुसार अर्हताओं में छूट प्रदान कर सकता है यदि अभ्यर्थी अर्हताओं के अलावा योग्य हो। नोट 2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अनुभव के संबंध में उनको अर्हता में छूट प्राप्त होती है, विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि अपेक्षित अनुभवों को संसाधित करने के लिए एवं उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों में से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की संभावना है।</p>
परिचीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	<p>प्रत्यक्ष भर्ती: नोट: "पदग्राही के प्रतिनियुक्ति पर दूर होने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के तहत एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारण हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है; ए. मूल कैडर / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद पर कार्य करना; तथा बी. सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखना।</p>
चयन समिति की संरचना	<ol style="list-style-type: none"> 1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा अनुशासित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से आमंत्रित किए जाने वाले संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ। 4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव <p>एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन</p>

	होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी/भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

समूह 'सी' पद

1	पद का नाम	हिन्दी टंकक
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,900/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	25 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट (3) कंप्यूटर अनुप्रयोग में अच्छा ज्ञान वांछनीय: अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि	लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण के माध्यम से सीधी भर्ती
	चयन समिति की संरचना	1. कुलसचिव - अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति /जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव (प्रशासन) - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी/भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
	नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

संवर्ग नाम: अभियांत्रिकी**समूह 'ए' पद**

1	पद का नाम	कार्यपालक अभियंता
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 15,600 - रूपये 39,100/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 5,400/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य:

	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री; डिजाइनिंग प्रणाली और निर्माण, सड़क, सेनेटरी और पानी की आपूर्ति प्रणालियों के निर्माण में उनके रखरखाव सहित, 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से सहायक अभियंता या उसके समरूप पद के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय: (1) संरचनाओं में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अच्छा ज्ञान।
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि	लिखित परीक्षा(ओं) के पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
चयन समिति की संरचना	1. कुलपति – अध्यक्ष 2. उपकुलपति 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो। 4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसका एक सदस्य 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. कुलसचिव - पदेन सदस्य सचिव दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी/भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

समूह 'बी' पद

2	पद का नाम	सहायक अभियंता
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,600/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	अधिकतम 35 वर्ष
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ सरकार / विश्वविद्यालय / सरकारी अनुमोदित ठेकेदार के साथ सिविल कार्य की निगरानी में पांच साल का अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अच्छा ज्ञान
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि	लिखित परीक्षा(ओं) के पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
	चयन समिति की संरचना	1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ।

	<p>4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p> <p>5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष।</p> <p>6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव</p> <p>एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

3	पद का नाम	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,200/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ कम से कम तीन वर्षों का अनुभव, अथवा</p> <p>(1) सिविल इंजीनियरिंग में एक डिप्लोमा के साथ पांच साल के अनुभव। उक्त अनुभव सरकार / विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठान में लोक निर्माण / रखरखाव का होना चाहिए।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अच्छा ज्ञान</p>
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	लिखित परीक्षा(ओं) के पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
	चयन समिति की संरचना	<p>1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष</p> <p>2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक</p> <p>3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ।</p> <p>4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p> <p>5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष।</p> <p>6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव</p> <p>एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
	नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

4	पद का नाम	कनिष्ठ अभियंता (विद्युतीय)
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,200/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ कम से कम तीन वर्षों का अनुभव, अथवा (1) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक डिप्लोमा के साथ पांच साल के अनुभव। उक्त अनुभव सरकार / विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठान में विद्युतीय कार्य निर्माण / रखरखाव का होना चाहिए। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अच्छा ज्ञान
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	लिखित परीक्षा(ओं) के पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
	चयन समिति की संरचना	1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
	नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

संवर्ग नाम: सचिवीय

समूह 'बी' पद

1	पद का नाम	निजी सचिव
	पदों की संख्या	5
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,600/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य:

	<p>(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (2) राज्य / केंद्र सरकार या किसी भी प्रतिष्ठित पंजीकृत संस्थान द्वारा आयोजित सचिवीय अभ्यास परीक्षा में उत्तीर्ण। (3) विश्वविद्यालय / सरकार / प्रतिष्ठित सार्वजनिक / निजी उपक्रम में व्यक्तिगत सहायक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव (4) अंग्रेजी स्टेनोग्राफी गति: 120 डब्ल्यूपीएम; अंग्रेजी टाइप-लेखन गति: 40 डब्ल्यूपीएम। (केवल सीधी भर्ती के लिए) वांछनीय: (1) हिन्दी टंकण का ज्ञान (2) कंप्यूटर अनुप्रयोग का अच्छा ज्ञान</p>
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	<p>1. 75% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण के माध्यम से साक्षात्कार के पश्चात्; 2. 25% पदोन्नति के द्वारा, व्यक्तिगत सहायक में से कम से कम 5 साल की नियमित सेवा होने पर, सीमित विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से न्यूनतम 50% कुल अंक प्राप्त करने पर, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>
चयन समिति की संरचना	<p>1. उपकुलपति / कुलसचिव - अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

2	पद का नाम	निजी सहायक
	पदों की संख्या	3
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,600/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य: (1) अंग्रेजी में निपुणता के साथ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। (2) अंग्रेजी स्टेनोग्राफी गति - 100 डब्ल्यूपीएम; अंग्रेजी टंकण की गति - 50 डब्ल्यूपीएम। (3) विश्वविद्यालय / सरकारी / प्रतिष्ठित सार्वजनिक / निजी क्षेत्रीय उद्यमों में जूनियर स्टेनोग्राफर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय:</p>

	कंप्यूटर अनुप्रयोग का अच्छा ज्ञान
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	लिखित परीक्षा(ओं) / कौशल परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / आमेलन
चयन समिति की संरचना	1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

संवर्ग नाम: पुस्तकालय

समूह 'ए' पद

1	पद का नाम	उप पुस्तकालयाध्यक्ष
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 37,000 - रूपये 67,000/-
	पदक्रम वेतन	रूपये 8,000/-
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	57 वर्ष
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) न्यूनतम 55% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान / प्रलेखन में स्नातकोत्तर उपाधि या यूजीसी सात पॉइण्ट स्केल में इसकी समतुल्य ग्रेड 'बी' तथा यूजीसी विनियमन, 2010 में निर्धारित लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड। (2) विश्वसविद्यालय / महाविद्यालय के पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 05 वर्षों का अनुभव (3) अभिनव पुस्तकालय सेवा एवं प्रकाशित कार्य और व्यावसायिक प्रतिबद्धता का संगठन, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का साक्ष्य। वांछनीय: पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखन / पुरालेख एवं पाण्डुलिपि संरक्षण में एम.फिल. / पीएच.डी.
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	एक वर्ष

भर्ती की विधि	सीधी भर्ती
चयन समिति की संरचना	<ol style="list-style-type: none"> 1. कुलपति – संयोजक एवं अध्यक्ष 2. विजिटर का एक मनोनीत व्यक्ति 3. कुलपति द्वारा मनोनीत एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र / विषय के तीन विशेषज्ञ। 4. संकाय का अधिष्ठाता, यदि लागू हो। 5. विभागाध्यक्ष / स्कूल का अध्यक्ष। 6. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। <p>दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p> <p>समग्र चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, उद्देश्य एवं अभ्यर्थियों को विभिन्न आयामों में उसके प्रदर्शन के लिए दिए गए भारांकों के आधार पर गुणों एवं साख के विश्लेषण की विश्वसनीय पद्धति तथा यूजीसी विनियम, 2010 में निर्धारित शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (ए.पी.आई.) पर आधारित एक स्कोरिंग प्रणाली प्रारूप में उसके प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा।</p>
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार द्वारा समय – समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

2	पद का नाम	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
	पदों की संख्या	2
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 15,600 - रूपये 39,100/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 6,000/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) कम से कम 55% अंकों (एक बिंदु पैमाने पर एक समतुल्य ग्रेड के साथ, जहां ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है) के साथ लाइब्रेरी विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखन विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष व्यावसायिक डिग्री तथा लाइब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ लगातार एक अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड</p> <p>(2) यूजीसी या यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा प्रयोजन के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण में उत्तीर्ण।</p> <p>(3) हालांकि वे अभ्यर्थी, जिन्हें "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. की डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम-2009 के अनुसार पीएच.डी. डिग्री से सम्मानित किया गया है, उन्हें भर्ती के लिए नेट / स्लेट / सेट की न्यूनतम पात्रता अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाएगी।</p> <p>समग्र चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, उद्देश्य एवं अभ्यर्थियों को विभिन्न आयामों में उसके प्रदर्शन के लिए दिए गए भारांकों के आधार पर गुणों एवं साख के विश्लेषण की</p>

	विश्वसनीय पद्धति तथा यूजीसी विनियम, 2010 में निर्धारित शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (ए.पी.आई.) पर आधारित एक स्कोरिंग प्रणाली प्रारूप में उसके प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा।
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि	सीधी भर्ती
चयन समिति की संरचना	1. कुलपति – अध्यक्ष 2. कुलपति द्वारा मनोनीत एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित पैनल में से संबंधित क्षेत्र / विषय के तीन विशेषज्ञ। 3. संबंधित संकाय का अधिष्ठाता, जहाँ लागू हो। 4. विभागाध्यक्ष / स्कूल का अध्यक्ष। 5. विजिटर द्वारा मनोनीत एक शिक्षाविद 6. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

3	पद का नाम	सूचना वैज्ञानिक
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 15,600 - रूपये 39,100/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 5,400/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: न्यूनतम अर्हताएं: 1. कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री अथवा 2. कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री (एमसीए) अथवा 3. पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री (एम.लिब. या एम.लिब.साइंस) एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीसीए) अथवा 4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री (बी.लिब. या बि.लिस.) के साथ इस क्षेत्र में तीन साल के अनुभव तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीसीए) सभी डिग्री / डिप्लोमा न्यूनतम 55% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से होंगे। वांछनीय: कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में पर्याप्त अनुभव तथा कार्यालय स्वचालन / ई-गवर्नेंस / ईआरपी / नेटवर्किंग में अन्य तुलनीय अनुभव।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	एक वर्ष
	भर्ती की विधि	सीधी भर्ती
	चयन समिति की संरचना	1. कुलपति – अध्यक्ष

	<p>2. उपकुलपति</p> <p>3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र / विषय के दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं।</p> <p>4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसका एक सदस्य।</p> <p>5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p> <p>6. कुलसचिव – पदेन सदस्य सचिव</p> <p>दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

समूह 'बी' पद

4	पद का नाम	प्रोफेशनल असिस्टेंट
	पदों की संख्या	01
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,200/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य:</p> <p>1. एम.लिब. / एम.लिब.साइंस या पुस्तकालय / सूचना विज्ञान में समकक्ष डिग्री अथवा सूचना विज्ञान में बी.लिब. के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं 3 साल का अनुभव। अथवा सूचना विज्ञान में बी.लिब. के साथ स्नातक एवं 5 साल का अनुभव।</p> <p>2. सभी डिग्रीयों / डिप्लोमा न्यूनतम 55% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से होने चाहिए।</p> <p>3. कंप्यूटर अनुप्रयोग का अच्छा ज्ञान</p>
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि	सीधी भर्ती
	चयन समिति की संरचना	<p>1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष</p> <p>2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक</p> <p>3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ।</p> <p>4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p>

	5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

5	पद का नाम	सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट
	पदों की संख्या	02
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 2,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: सीधी भर्ती के लिए: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक। वांछनीय: ए) प्रतिष्ठित पुस्तकालय में कम से कम 5 साल का अनुभव, और पुस्तकालय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का अच्छा ज्ञान। बी) पुस्तकालय / पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या पीजीडीसीए की पुस्तकालय के स्वचालन एवं नेटवर्किंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। ii. पदोन्नति के लिए: (1) विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी सहायक के रूप में कम से कम 8 वर्षों का अनुभव।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि	1. 50% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा; 2. 50% पदोन्नति द्वारा, वरिष्ठता सह फिटनेस के माध्यम से, डीपीसी की अनुशंसा पर।
	चयन समिति की संरचना	सीधी भर्ती के लिए: 1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन

	होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

6	पद का नाम	पुस्तकालय सहायक
	पदों की संख्या	02
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 2,000/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक। वांछनीय: ए) प्रतिष्ठित पुस्तकालय में कम से कम 3 साल का अनुभव, और पुस्तकालय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का अच्छा ज्ञान। बी) पीजीडीसीए में पुस्तकालय स्व-चालन और नेटवर्किंग में स्नारतकोत्तर डिप्लोमा सी) टंकण / डाटा एंट्री ऑपरेशन का अनुभव एवं अभ्यास अथवा कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय में काम करने का अनुभव।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	लिखित परीक्षा(ओं) / कौशल परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती
	चयन समिति की संरचना	सीधी भर्ती के लिए: 1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव

		एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
	नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)
7	पद का नाम	पुस्तकालय परिचर
	पदों की संख्या	04
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के साथ, मान्यता प्राप्त बोर्ड 10+2 या इसके समतुल्य कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय: (1) दो वर्ष का अनुभव विशेषकर एक विश्वविद्यालय / कॉलेज पुस्तकालय में कार्य करने का (2) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का बुनियादी ज्ञान
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	लिखित परीक्षा(ओं) / कौशल परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती
	चयन समिति की संरचना	1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर

नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)
--------------------	--

**संवर्ग नाम: परिवहन
समूह 'सी'**

1	पद का नाम	वाहन चालक
	पदों की संख्या	5
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,900/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (2) हल्के / मध्यम / भारी वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें कोई प्रतिकूल अनुलेखन नहीं हो (3) कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	वाहन संचालन एवं रखरखाव, और वाहन में मामूली दोषों को सुधारने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए कौशल परीक्षण के माध्यम से, साक्षात्कार के पश्चात् सीधी भर्ती;
	चयन समिति की संरचना	1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
	नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

संवर्ग नाम: सूचना संचार प्रौद्योगिकी
समूह 'ए' पद

1	पद का नाम	सिस्टम एनालिस्ट
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 15,600 - रूपये 39,100/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 5,400/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	सीधी भर्ती के मामले में 35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) एम.टेक (कंप्यूटर विज्ञान) अथवा प्रथम श्रेणी में एमसीए के साथ कंप्यूटिंग में सिस्टम एनालिस्ट के स्तर पर पाँच वर्षों का अनुभव। अथवा (2) प्रथम श्रेणी में एम.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) के साथ सिस्टम विश्लेषक के स्तर पर कंप्यूटिंग में छह साल का अनुभव। अथवा (3) कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री / कंप्यूटर सॉफ्टवेयर / कम्प्यूटर विज्ञान में बी.ई. / वी.टेक. / एमसीए के साथ उद्योग / पेशे में अपनी क्षमता साबित करने एवं 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी। वांछनीय: कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर्याप्त अनुभव तथा कार्यालय स्वचालन / ई-गवर्नेंस / ईआरपी / नेटवर्किंग में अन्य तुलनीय अनुभव।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि	सीधी भर्ती
	चयन समिति की संरचना	1. कुलपति – अध्यक्ष 2. उपकुलपति 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र / विषय के दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं। 4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसका एक सदस्य। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. कुलसचिव – पदेन सदस्य सचिव दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार द्वारा समय – समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार
	नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

समूह 'बी' पद

2	पद का नाम	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
	पदों की संख्या	01
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,200/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष अधिक नहीं
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: बी.एससी. (आईटी) / बीसीए / बी.टेक. (कंप्यूटर) / बी.ई. (कंप्यूटर) के साथ ई-गवर्नेंस / नेटवर्क रखरखाव / प्रोग्रामिंग और वेब-सक्षम / स्थानीय इंटरनेट अनुप्रयोग प्रणाली में सी++ / वीबी स्क्रिप्ट / एएसपी / डॉट नेट / जावा स्क्रिप्ट / एडवांस जावा के डिजाइन कौशल का प्रयोग करते हुए, विशेषकर एक विश्व/विद्यालय में, कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि	लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण के पश्चात्, साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती
	चयन समिति की संरचना	1. उपकुलपति / कुलसचिव - अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से आमंत्रित किए जाने वाले संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव (प्रशासन) - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
	नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

समूह 'सी' पद

3	पद का नाम	तकनीकी सहायक
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 2,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं

आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: बी.एससी. (आईटी) / बीसीए / बी.टेक. (कंप्यूटर) / बी.ई. (कंप्यूटर) के साथ ई-गवर्नेंस / नेटवर्क रखरखाव में, विशेषकर एक विश्वविद्यालय प्रणाली में, कम से कम दो वर्षों का अनुभव।
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण के पश्चात्, साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती
चयन समिति की संरचना	1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव (प्रशासन) - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

संवर्ग नाम: प्रयोगशाला

समूह 'बी' पद

1	पद का नाम	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
	पदों की संख्या	01
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,200/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: सीधी भर्ती के लिए: रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / भौतिक विज्ञान / इंस्ट्रुमेंटेशन में प्रथम श्रेणी में एम.एससी. अथवा प्रयोगशाला में परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरणों के काम और रखरखाव के न्यूनतम पांच वर्षों के अनुभव के साथ रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / भौतिक विज्ञान / इंस्ट्रुमेंटेशन में प्रथम श्रेणी में बी.एससी.। वांछनीय: रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / भौतिक विज्ञान / इंस्ट्रुमेंटेशन, डाटा अधिग्रहण प्रणालियों एवं कंप्यूटर में मजबूत पृष्ठभूमि। उपकरणों की मरम्मत और

	रखरखाव के कार्य को संभालने की क्षमता। पदोन्नति के लिए: रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / भौतिक विज्ञान / इंस्ट्रुमेंटेशन में प्रथम श्रेणी एम.एससी. अथवा तकनीकी सहायक के रूप में कम से कम छह वर्ष की सेवा के साथ रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / भौतिक विज्ञान / इंस्ट्रुमेंटेशन में प्रथम श्रेणी बी.एससी.।
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि	1. 50% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण के माध्यम से साक्षात्कार के पश्चात्; 2. 50% पदोन्नति के माध्यम से
चयन समिति की संरचना	1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से आमंत्रित किए जाने वाले संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव (प्रशासन) - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

समूह 'सी' पद

2	पद का नाम	तकनीकी सहायक
	पदों की संख्या	4
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 2,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / भौतिक विज्ञान / इंस्ट्रुमेंटेशन में बी.एससी. (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जुड़ी एक शोध प्रयोगशाला में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान

		पदोन्नति के लिए: 1) रसायन विज्ञान / जीवन विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / भौतिक विज्ञान / इंस्ट्रुमेंटेशन में बी.एससी. 2) प्रयोगशाला सहायक के रूप में 5 वर्षों की सेवा
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	(1) 50% पद लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण के पश्चात्, साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, (2) 50% पदोन्नति द्वारा
	चयन समिति की संरचना	1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. एससीएस और / या एसएलएस और / या एसईएसडी का अधिष्ठाता 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग / केन्द्र का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव (प्रशासन) - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
	नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

3	पद का नाम	प्रयोगशाला सहायक
	पदों की संख्या	7
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 2,400/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए: अनिवार्य: (1) रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / भौतिक विज्ञान / इंस्ट्रुमेंटेशन में बी.एससी. (2) प्रयोगशाला में परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान। पदोन्नति के लिए: ए) रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / भौतिक विज्ञान / इंस्ट्रुमेंटेशन में बी.एससी. बी) प्रयोगशाला परिचर के रूप में 10 वर्ष

	वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	1. 50% लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण के माध्यम से, साक्षात्कार के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर 2. 50% पदोन्नति द्वारा।
चयन समिति की संरचना	1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. एससीएस और / या एसएलएस और / या एसईएसडी का अधिष्ठाता 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग / केन्द्र का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

4	पद का नाम	प्रयोगशाला परिचर
	पदों की संख्या	06
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: एक विषय के रूप में विज्ञान के साथ मैट्रिक परीक्षा। वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जुड़ी एक शोध प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि	लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती
	चयन समिति की संरचना	1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. एससीएस और / या एसएलएस और / या एसईएसडी का अधिष्ठाता 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग / केन्द्र का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य

	<p>और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p> <p>6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव (प्रशासन) - सचिव</p> <p>एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

**संवर्ग नाम: अतिथि गृह / छात्रावास / कैटीन
समूह 'सी' पद**

1	पद का नाम	निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी) (केयरटेकर, एलडीसी के साथ युक्तिसंगत)
	पदों की संख्या	3
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,900/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता</p> <p>(2) प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान के अतिथिगृह / छात्रावास की देखभाल का दो वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीय:</p> <p>2) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अच्छा ज्ञान</p> <p>3) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक</p>
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती, लिखित परीक्षा के माध्यम से, साक्षात्कार के पश्चात्
	चयन समिति की संरचना	<p>1. कुलसचिव – अध्यक्ष</p> <p>2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण</p> <p>3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ।</p> <p>4. वरिष्ठ वार्डन।</p> <p>5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p> <p>6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव (प्रशासन) - सचिव</p>

	एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

2	पद का नाम	रसोइया
	पदों की संख्या	3
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,900/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) मैट्रिक्यूलेशन (2) दक्षिण भारतीय और / या उत्तरी भारत शैली / मोगलाई पश्चिमी शैली दोनों के शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ बनाने में, विशेषकर एक विश्वविद्यालय के हॉस्टल-मैस / कैंटीन / अतिथिगृह के रसोई घर में, रसोइये के रूप में दो साल का अनुभव।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि	सीधी भर्ती, ट्रेड टेस्ट के माध्यम से, साक्षात्कार के पश्चात्
	चयन समिति की संरचना	1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. वरिष्ठ वार्डन। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव (प्रशासन) - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
	नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

3	पद का नाम	रसोइ परिचर
	पदों की संख्या	2
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण के साथ रसोईघर / छात्रावास / कैटीन या किसी बड़े खाने वाले घरों में में कार्य करने का अनुभव। खाना पकाने / भोजन परोसने / धूल झाड़ने व सफाई करने / विद्युत कार्यो / पंप संचालन व नलसाजी कार्यो / बढई का कार्य / मिछी / कार्यालय का काम आदि में सहायता करने वाले उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि आईटीआई के अनुभव के उचित प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य समान अनुभव प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित है।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती, कौशल परीक्षण के माध्यम से, साक्षात्कार के पश्चात्।
	चयन समिति की संरचना	1. कुलसचिव - अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
	नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

4	पद का नाम	छात्रावास परिचर
	पदों की संख्या	2
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक न हो

शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण के साथ रसोई / छात्रावास / कैंटीन में कार्य करने का अनुभव। केयरटेकर सहायक / फर्नीचर एवं खिड़कियों सहित कक्षों- सामान्यथ स्थल में धूल झाड़ने व सफाई करने / विद्युत कार्य / पंप संचालन व नलसाजी कार्य / बढई का कार्य / मिस्त्री / कार्यालय का काम आदि में सहायता करने वाले उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि आईटीआई के अनुभव के उचित प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य समान अनुभव प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित है।
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती, कौशल परीक्षण के माध्यम से, साक्षात्कार के पश्चात्।
चयन समिति की संरचना	1. कुलसचिव – अध्यक्ष 2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. वरिष्ठ वार्डन। 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

संवर्ग नाम: चिकित्सा**समूह 'ए' पद**

1	पद का नाम	चिकित्सा अधिकारी
	पदों की संख्या	2 (1-पुरुष, 1-महिला)
	वर्गीकरण	समूह 'ए'
	वेतन बैंड	रूपये 15,600 - रूपये 39,100/-
	पदक्रम वेतन	रूपये 5,400/-
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	सीधी भर्ती के मामले में 35 वर्ष से अधिक न हो

शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. या समकक्ष योग्यता</p> <p>(2) कम से कम तीन साल पद अर्हता अनुभव।</p> <p>नोट: चिकित्सा अधिकारी (महिला पद) के लिए तीन वर्षों के अनुभव में से प्रसूति एवं स्त्री रोग में कम से कम एक वर्ष का अस्पताल का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>स्नातकोत्तर योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जाएगी।</p>
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि	सीधी भर्ती साक्षात्कार के माध्यम से
चयन समिति की संरचना	<p>1. कुलपति – अध्यक्ष</p> <p>2. उपकुलपति</p> <p>3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित क्षेत्र / विषय के दो विशेषज्ञ, जो विश्व विद्यालय की सेवा में नहीं हैं।</p> <p>4. कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत उसका एक सदस्य।</p> <p>5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p> <p>6. कुलसचिव – पदेन सदस्य सचिव</p> <p>दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार द्वारा समय – समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार
नियुक्ति प्राधिकरण	कार्यकारी परिषद

समूह 'बी' पद

2	पद का नाम	नर्स
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,600/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	सीधी भर्ती के मामले में 35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य:

	(1) एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 10+2 (2) नर्सिंग में स्नातक डिग्री अथवा किसी प्रतिष्ठित अस्पताल / क्लिनिक में नर्सिंग के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / प्राधिकरण से तीन वर्ष का नर्सिंग / जीएनएम में डिप्लोमा (3) नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया / स्टेट के साथ पंजीकरण
परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती, साक्षात्कार के माध्यम से
चयन समिति की संरचना	1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष 2. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

समूह 'सी' पद

3	पद का नाम	फार्मासिस्ट
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 2,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	लागू नहीं
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) 10+2 सहित फार्मेसी में दो साल का डिप्लोमा और राज्य फार्मेसी परिषद के साथ पंजीकरण

परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती, साक्षात्कार के माध्यम से
चयन समिति की संरचना	<ol style="list-style-type: none"> 1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष 2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण या वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष / चिकित्सा अधिकारी 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव / उप कुलसचिव - सचिव <p>एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी / भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

4	पद का नाम	चिकित्सकीय परिचारक
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 1,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	चयनित
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) एक मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों या समकक्ष के साथ 10+2 (2) एक पंजीकृत / मान्यता प्राप्त अस्पताल में एक ड्रेसर के रूप में दो वर्ष का अनुभव
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती, साक्षात्कार के माध्यम से
	चयन समिति की संरचना	1. उपकुलपति / कुलसचिव – अध्यक्ष

	<p>2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण या वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक</p> <p>3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ।</p> <p>4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष / चिकित्सा अधिकारी</p> <p>5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो।</p> <p>6. संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव - सचिव</p> <p>एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।</p>
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी/भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

**संवर्ग नाम: सुरक्षा
समूह 'बी' पद**

1	पद का नाम	सुरक्षा अधिकारी
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'बी'
	वेतन बैंड	रूपये 9,300 - रूपये 34,800/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 4,600/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	चयनित
	आयु सीमा	सीधी भर्ती के मामले में 35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक</p> <p>(2) संस्थागत या औद्योगिक सुरक्षा सेवाओं/पुलिस/अर्धसैनिक बलों/सशस्त्र बलों/सरकारी कार्यालयों/शैक्षिक संस्थानों में एक जिम्मेदार पर्यवेक्षी पद में 10 वर्ष का अनुभव।</p> <p>(3) एलएमसी का वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त</p> <p>(4) सुरक्षा नियमों और विनियमों के साथ परिचित होना चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य हो।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने रक्षा/अर्धसैनिक/पुलिस सेवाओं में सेवा की है।</p>
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती, लिखित परीक्षा के माध्यम से साक्षात्कार के पश्चात्
	चयन समिति की संरचना	<p>1. उपकुलपति/कुलसचिव – अध्यक्ष</p> <p>2. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक</p> <p>3. कुलपति द्वारा अनुशंसित एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से आमंत्रित</p>

	संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 5. संबंधित विभाग का अध्यक्ष। 6. कुलसचिव/संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी/भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

समूह 'सी' पद

2	पद का नाम	सुरक्षा निरीक्षक
	पदों की संख्या	1
	वर्गीकरण	समूह 'सी'
	वेतन बैंड	रूपये 5,200 - रूपये 20,200/ -
	पदक्रम वेतन	रूपये 2,800/ -
	चयनित या गैर चयनित पद	चयनित
	आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक न हो
	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (2) पुलिस/अर्धसैनिक बलों/सशस्त्र बलों/सरकारी कार्यालयों/शैक्षिक संस्थानों में सुरक्षा के एक जिम्मेदार पर्यवेक्षी पद में तीन वर्ष का अनुभव। (3) एलएमसी का वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त (4) सुरक्षा नियमों और विनियमों के साथ परिचित होना चाहिए और अच्छाल स्वास्थ्य हो। वांछनीय: उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने सेना या ऐसी यूनिफॉर्मड सेवाओं में सेवा की है।
	परिवीक्षा अवधि (यदि कोई हो)	दो वर्ष
	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर तथा विभिन्न विधियों के द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती, लिखित परीक्षा के माध्यम से, साक्षात्कार के पश्चात्
	चयन समिति की संरचना	1. उपकुलपति/कुलसचिव - अध्यक्ष 2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण या वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक 3. कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ। 4. संबंधित विभाग का अध्यक्ष 5. एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य और

	एक अल्पसंख्यक सदस्य चयन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी ऐसे श्रेणी से संबंधित न हो तथा आने वाले अभ्यर्थियों में से कोई ऐसी श्रेणी से संबंध रखता हो। 6. संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव - सचिव एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करते हुए न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति का गठन होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष अथवा यूजीसी/भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित निर्देशों के आधार पर
नियुक्ति प्राधिकरण	कुलसचिव (कुलपति के अनुमोदन के पश्चात्)

अध्यादेश (15) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित छात्रावास के लिए प्रोवोस्ट/वरिष्ठ वार्डन/वार्डन की नियुक्ति हेतु नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित नियम और शर्तें

1.

- 1.1 विश्वविद्यालय छात्रावासों के लिए प्रोवोस्ट, कार्यकारी परिषद द्वारा अधिष्ठाता, छात्र कल्याण एवं कुलपति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा।
- 1.2 प्रोवोस्ट के पद का कार्यकाल साधारणतया दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। हालांकि, प्रोवोस्ट पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि अनुशंसा उपरोक्त 1.1 के अनुसार हो। कार्यकारी परिषद प्रोवोस्ट की नियुक्ति, लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए रद्द कर सकती है।
- 1.3 प्रोवोस्ट साधारणतया दो से तीन छात्रावासों से मिलकर बने एक हॉल ऑफ़ रेजिडेंट्स के संपूर्ण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।
- 1.4 प्रोवोस्ट नियुक्ति के कार्यकाल के दौरान, कार्यकारी परिषद के द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय का अधिकारी होगा।
- 1.5 वार्डन की नियुक्ति, कुलपति द्वारा प्रोवोस्ट और अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की अनुशंसा पर, उनमें से, जो इस पद के लिए योग्यता और क्षमता रखते हो विचार किया गया हो, दो वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर की जाएगी। प्रोवोस्ट और अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की अनुशंसा पर इस कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाएगा। हालांकि, कुलपति प्रोवोस्ट और अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की अनुशंसा पर विचार करने के पश्चात् वार्डन का कार्य समाप्त कर सकता है।
- 1.6 साधारणतया, लगभग पचास विद्यार्थियों पर एक वार्डन होगा।
- 1.7 वार्डन अपनी नियुक्ति के कार्यकाल के दौरान कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय का अधिकारी होगा। वार्डन को कार्यकाल के दौरान वार्डन निवास/क्वार्टर में रहना और नियमानुसार लाईसेंस शुल्क अदा करना आवश्यक होगा।
- 1.8 वार्डन के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने अथवा नियुक्ति रद्द होने पर, उसे एक माह के भीतर क्वार्टर को खाली करना आवश्यक होगा। वार्डन द्वारा अपने कार्यकाल की अवधि में 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर जाने से पूर्व भी क्वार्टर को खाली करना आवश्यक होगा, जब तक कि क्वार्टर को रखने के लिए उसे प्रोवोस्ट की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा विशेष अनुमति न मिली हो।

2. प्रोवोस्ट के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

- 2.1 प्रोवोस्ट, उसे सौंपे गये छात्रावासों में छात्रावास की सभी कार्यप्रणाली, छात्र कल्याण, आवास एवं अनुशासन से संबंधित मामले में पर्यवेक्षण/निगरानी करेगा।
- 2.2 वह समय-समय पर छात्रावास का मुआयना करेगा और वार्डन, स्टॉफ और विद्यार्थियों के संपर्क में रहेगा।
- 2.3 वह छात्रावास के अंदर समन्वय को बढ़ावा देने के लिए खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा।
- 2.4 उसे निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदत्त होंगी -
(अ) कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की राशि की सीमा तक जुर्माना लगाने अथवा जुर्माना माफ करने की।

(ब) कार्यकारी परिषद द्वारा सौंपी गयी शक्तियों की सीमा के भीतर अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करना तथा उस सीमा के बाहर, जैसा भी आवश्यक हो, प्रॉक्टर और कुलपति को अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करना।

(स) संबंधित वरिष्ठ वार्डन से परामर्श कर उसके अधीन छात्रावास वार्डनों को जहाँ तक संभव हो, समान रूप से कार्य वितरित करना।

(द) संबंधित वरिष्ठ वार्डन से परामर्श कर उसके अधीन छात्रावास वार्डनों के अवकाश को स्वीकृत करना।

3. वार्डन के कर्तव्यभार और उत्तरदायित्व –

वार्डन समय-समय पर प्रोवोस्ट द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों का निष्पादन करेगा और प्रोवोस्ट के समग्र प्रभार के तहत कार्य करेगा। प्रोवोस्ट द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों के अतिरिक्त वार्डन के निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा-

- 3.1 वार्डन छात्रावास में निवास कर रहे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामान्य कल्याण, जो कि विशेष रूप से उसे सौंपे गये हैं, के लिए उत्तरदायी होगा तथा चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह के अनुसार स्वास्थ्य, रूग्णता, आहार, स्वच्छता और साफ-सफाई के सभी मामलों में ध्यान देगा।
- 3.2 प्रत्येक वार्डन निवासी विद्यार्थियों के लिए उत्तरदायी होगा और सुनिश्चित करेगा कि संबंधित विद्यार्थी उनके मार्गदर्शन लिए बनाये गये नियमों का पालन करे और शिष्टता बनाये रखे।
- 3.3 उसे छात्रावास के कक्षों में निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 3.4 वार्डन सम्पूर्ण प्रभार के तहत कार्य करते हुए छात्रावास के सुचारू संचालन के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।
- 3.5 प्रत्येक वार्डन उनको सौंपे गये निवासी विद्यार्थियों के लिए उत्तरदायी होगा।
- 3.6 प्रत्येक वार्डन अपने प्रभार में निवासी विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता एवं बीमारी के प्रत्येक मामले पर अपनी शक्तियों के अंदर यथासमय उपयुक्त कार्यवाही करेगा और अपनी शक्तियों के बाहर के मामलों के लिए प्रोवोस्ट और अन्य उच्च प्राधिकारी को सूचना देगा।
- 3.7 वार्डन निवासी विद्यार्थी पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित सीमा तक जुर्माना लगा सकता है।
- 3.8 वार्डन छात्रावास कार्यालय में प्रत्येक दिवस निर्दिष्ट समयावधि में उपलब्ध रहेगा।
- 3.9 वार्डन अपने प्रभार के अंतर्गत छात्रावास की सम्पदा को बनाये रखने और उचित रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

3.10 वार्डन का अवकाश

(अ) वार्डन संबंधित प्रोवोस्ट की पूर्व अनुमति से ही अवकाश पर जा सकता है।

(ब) सभी वार्डन इस प्रकार से अपने अवकाश का समन्वय स्थापित करें कि कम से कम उनमें से तीन-चार वार्डन सेमेस्टर के समय और आधे अवकाश के दौरान उपलब्ध रहें, जब तक कि कोई छात्रावास विशेष, घोषित अवकाश के दौरान बंद न हो।

(स) एक वार्डन को एक बार में तीन माह तक छुट्टी दी जा सकती। असाधारण परिस्थितियों में, एक अतिरिक्त महीने की छुट्टी और दी सकती है लेकिन किसी भी हालत में यह समय एक सेमेस्टर से अधिक नहीं होगा।

(द) जब कोई वार्डन छुट्टी पर हो तो, छुट्टी के दौरान उसका पोर्टफोलियो और विंग दूसरे वार्डन्स के बीच वितरित अर दिया जायेगा।

3.11 वरिष्ठ वार्डन

(अ) प्रोवोस्ट, अधिष्ठाता छात्र कल्याण के साथ परामर्श कर छात्रावास वार्डनों में से एक वार्डन को जो सभी दौर के अनुभव और विविध आकस्मिकताओं के साथ सामना करने की क्षमता रखता हो को वरिष्ठ वार्डन के रूप में एक वर्ष के लिए पदस्थापित कर सकता है जबकि इस प्रावधान के तहत कि वरिष्ठ वार्डन क्रमागत अवधि के लिए साधारणतया पद पर नहीं रहेगा।

(ब) वरिष्ठ वार्डन छात्रावास के कामकाज के विषय में प्रत्येक मामले को पर्यवेक्षित करेगा और नीचे दी गयी पोर्टफोलियो में से एक का कार्यग्रहण करेगा –

(1) वरिष्ठ वार्डन छात्रावासों के वार्डन की बैठक की अध्यक्षता करेगा जो कि नियमित तौर पर होगी।

- (2ii) वरिष्ठ वार्डन कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित जुर्माना लगा सकता है अथवा जुर्माना माफ कर सकता है।
- (3iii) वरिष्ठ वार्डन एक छात्रावास निवासी को छात्रावास के एक विंग से दूसरी विंग में स्थानान्तरित कर सकता है।
- (4iv) वरिष्ठ वार्डन छात्रावास के नियमों के अनुसार निवासी के अतिथियों को 7 दिवस से अधिक और 14 दिवस की अवधि तक रहने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
- (5v) वरिष्ठ वार्डन पेशगी खातों के रख-रखाव और पेशगी राशि की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6vi) वरिष्ठ वार्डन माल की आपूर्ति किये जाने अथवा सेवा प्रदान करने के लिए आपूर्तिकर्ता को प्रतिभूति जमा के भुगतान की मंजूरी दे सकता है।
- (7vii) वरिष्ठ वार्डन सभी प्रकार की धरोहर राशि को लौटाने की मंजूरी दे सकता है।
- (8)v वरिष्ठ वार्डन छात्रावास से संबंधित सभी बैंक खातों के मेल-मिलाप विवरण की जाँच और उनके समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित करेगा।
- (9ix) वरिष्ठ वार्डन आकस्मिक मामलों में फर्नीचर को दुरुस्त करने की मंजूरी दे सकता है।
- (10x) वरिष्ठ वार्डन सिविल/इलैक्ट्रिकल मरम्मत/फर्नीचर के प्रतिस्थापन, फिटिंग्स आदि से संबंधित शिकायतों के उचित अनुसरण के लिए उत्तरदायी होगा।
- (11xi) वरिष्ठ वार्डन नियमों के अनुसार समयोपरि भत्ता मंजूर कर सकता है।
- (12xii) वरिष्ठ वार्डन प्रोवोस्ट के साथ परामर्श कर निवासी विद्यार्थी के निष्कासन के लिए कार्यवाही कर सकता है।

3.12 वार्डन (प्रशासन)

- (अ) वार्डन (प्रशासन), छात्रावास कक्ष और अतिथि कक्ष आवंटित करेगा और उनका पर्यवेक्षण करेगा।
- (ब) वह निवासी विद्यार्थी की पंजिका और अतिथि कक्ष पंजिका की जाँच करेगा।
- (स) निवासी विद्यार्थी के अतिथि को सात दिवस की अवधि के लिए रहने की अनुमति दे सकता है।
- (द) किसी भी अनाधिकृत अतिथि को रखने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा।
- (य) जब भी आवश्यक हो, निवासी विद्यार्थी के कक्ष को दोहरे ताले में बंद करने और पुनः खोलने का आदेश देगा।
- (र) छात्रावास की संपूर्ण सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी के साथ अपने उत्तरदायित्व का समन्वय करेगा।
- (ल) समय-समय पर केयरटेकर की सहायता से फर्नीचर और फिटिंग्स को सत्यापित करेगा और उनकी मरम्मत/प्रतिस्थापना के लिए अथवा अतिरिक्त फर्नीचर प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करेगा।

3.13 वार्डन (मनोविनोद/मनोरंजन)

- (अ) वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर स्वास्थ्य संबंधी सामान्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा। वह छात्रावास के कॉमन रूम तथा खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखेगा और छात्रावास मनोरंजन अनुदान में से संवितरण का विनियमित करेगा।
- (ब) वह समाचार पत्र और पत्रिकाओं के चयन में अपनी सलाह देगा।
- (स) वह केयरटेकर द्वारा समाचार पत्र और पत्रिकाओं के क्रय के लिए तैयार बिलों की जाँच करेगा।
- (द) पुराने समाचार पत्र और पत्रिकाओं के निपटारे की व्यवस्था करेगा।
- (य) कॉमन रूम में अनुशासन और मर्यादा बनाये रखना सुनिश्चित करेगा।
- (य) विशेष अवसर पर निर्धारित समयावधि से अधिक अवधि के लिए कॉमन रूम को खुला रखने की अनुमति दे सकता है।
- (र) उचित स्तर पर कॉमन रूम की वस्तुओं जैसे टेलीविजन, भीतरी खेलों की वस्तुओं आदि के संबंध में शिकायतों का अनुसरण करेगा।

3.14 वार्डन (स्वच्छता और रख-रखाव)

- (1) वह विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह एवं परामर्श करते हुए छात्रावास में शुद्धि, स्वच्छता और सफाई से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) भोजन कक्ष व रसोई की साफ-सफाई और भोजन की तैयारियों पर नजर रखेगा।
- (3) रसोई कक्ष और भोजन कक्ष का नियमित रूप से निरीक्षण करेगा।
- (4) भोजन कक्ष में अनुशासन और मर्यादा बनाये रखने के लिए प्रवृत्त करेगा।
- (5) मैस स्टोर के क्रय के प्रावधानों की प्रणाली का पर्यवेक्षण करेगा।
- (6) मैस स्टोर्स, बर्तन की प्राप्ति व विवरण और स्टॉक शेष की सत्यता को सुनिश्चित करेगा और संबंधित स्टॉक पंजिका की प्रविष्टियों को सत्यापित करेगा और अंतिम स्टॉक के मूल्य की जाँच करेगा।
- (7) सुनिश्चित करेगा कि स्टोर अच्छी अवस्था में रखा गया है।
- (8) स्टॉक पंजिका के संदर्भ में आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बिलों की जाँच व उनको प्रमाणित करेगा।
- (9) आवश्यकता होने पर अस्थायी अग्रिम में आहरण और उसके समायोजन पर नजर रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (10) मैस के मासिक आय और व्यय के विवरण की जाँच करेगा।
- (11) मैस के नियमों के अनुसार मैस रिबेट और लंच रिबेट की मंजूरी दे सकता है।
- (12) मैस बिल के भुगतान में दोषी निवासियों अथवा वे, जिन्होंने छात्रावास खाली कर दिया है अथवा जिन्हें निकाल दिया गया है, उनके संबंध में मैस सुविधा को रोक देगा।
- (13) जब आवश्यकता हो, रसोईया और दैनिक मजदूरी व समयोपरि आधार पर रखे सहायकों के परिनियोजन का पर्यवेक्षण करेगा।
- (14) मैस धरोहर राशि को लौटाने के बारे में अनुशंसा करेगा।
- (15) मैस मैनेजर, रसोईया और सहायकों को आकस्मिक अवकाश दे सकता है और रसोईया व सहायकों के मामले में नियमित अवकाश की अनुशंसा कर सकता है।
- (16) मैस मैनेजर को अतिरिक्त कार्य भत्ता मंजूर कर सकता है।

4. छात्रों की ओर से अनुशासन का उल्लंघन

- 4.1 प्रोक्टर की शक्तियों, जो कुलपति द्वारा प्रदान की गयी हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निवासी विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी के समूह की ओर से अनुशासनहीनता और/अथवा दुराचार/दुर्व्यवहार करने की स्थिति में प्रोवोस्ट, वरिष्ठ वार्डन और वार्डन को कार्यकारी परिषद द्वारा निर्णित शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उनमें निहित होगी, कि –
 - (अ) अनधिकृत रूप से अतिथि को छात्रावास कक्ष में रखने के लिए जुर्माना लगाना,
 - (ब) छात्रावास को प्रतिबंधित घोषित करना।
 - (स) किसी विद्यार्थी को एक कक्ष से दूसरे अथवा एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में स्थानान्तरित करना।
 - (द) छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा दी गयी अन्य शक्तियों के अनुसार अन्य कदम उठाना।
- 4.2 यदि अनुशासन अथवा आचरण के नियमों अथवा मर्यादा का गंभीर उल्लंघन होता है और प्रोवोस्ट को लगता है कि ऐसे विद्यार्थी के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही उसमें निहित शक्तियों के बाहर है, तो वह जैसा आवश्यक समझे, प्रोक्टर को ऐसी कार्यवाही करने की अनुशंसा कर सकता है।

अध्यादेश 16 – उच्च शिक्षा और शोध समिति (सीएएसआर) से संबंधित

समिति की सदस्यता:

- 1.1 प्रत्येक अध्ययन विद्यापीठ में उच्च शिक्षा और शोध के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति होगी -
 - (अ) विद्यापीठ का अधिष्ठाता (संयोजक और सभापति),
 - (ब) विभागाध्यक्ष/केन्द्राधीक्षक
 - (स) स्कूल बोर्ड के सदस्यों में से आवर्तन द्वारा, वरिष्ठता के क्रम में एक प्राध्यापक, एक सह प्राध्यापक और एक सहायक प्राध्यापक
- 1.2 एजेण्डा पर किसी विशेष बिंदू से संबंधित प्राध्यापक, जो समिति का सदस्य नहीं हो, बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और यदि एजेण्डा के किसी भी विशेष बिंदू के साथ दो या दो से अधिक ऐसे प्राध्यापकों का संबंध होता है, जो कि समिति के सदस्य नहीं है, तो उन सभी को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
बशर्ते आमंत्रित किये गये व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

2. उच्च शिक्षा और शोध समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य –

सीएएसआर की शक्तियाँ और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे –

- (1) एम.फिल. प्रोग्राम में विद्यार्थियों के प्रवेश की पुष्टि करना।
- (2) पी.एचडी. प्रोग्राम में विद्यार्थियों के प्रवेश की पुष्टि करना।
- (3) संबंधित विभाग/केंद्र की अनुशंसा पर एम.फिल. और पी.एचडी. प्रोग्राम में विद्यार्थियों के नामांकन के लिए पर्यवेक्षक अथवा सलाहकार नियुक्त करना।
- (4) अभ्यर्थी द्वारा शोध उपाधि के लिए जमा कराये गये शोध कार्य के लिए परीक्षक नियुक्त करना।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा शोध उपाधि के लिए जमा कराये गये शोध कार्य के लिए नियुक्त परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना और उपयुक्त अनुशंसा करना।
- (6) विश्वविद्यालय की सूची से एम.फिल. विद्यार्थी का नाम हटाना।
- (7) एम.फिल/पी.एचडी. अध्यादेश के अनुसार अन्य कर्तव्यों का पालन करना।
- (8) विद्यापीठ के शिक्षकों की अध्ययनार्थ अवकाश के आवेदनों पर विचार करना।
- (9) किसी भी योजना अथवा शोध की परियोजनाओं अथवा उच्च शिक्षा के बारे में स्कूल बोर्ड को सलाह देना, जिसे बोर्ड विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है।
- (10) ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो उसे अकादमिक परिषद अथवा स्कूल बोर्ड द्वारा सौंपे गये हैं।

4. समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन

- 4.1 उच्च शिक्षा और शोध समिति के कार्यवृत्त को, संबंधित स्कूल बोर्ड के समक्ष विचार करने और अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।
- 4.2 बोर्ड अपनी टिप्पणी के साथ समिति के कार्यवृत्त के ऐसे बिंदू को अकादमिक परिषद के समक्ष रखने के लिए कारण दे सकता है जिसे वह फायदेमंद और आवश्यक समझे।

5. कार्यालय की अवधि

समिति के खण्ड 1.1(सी) के तहत उल्लेखित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

6. गणपूर्ति

समिति के पाँच सदस्य गणपूर्ति का निर्माण करेंगे।

7. बैठक के संचालन हेतु नियम

समिति की बैठकों के संचालन हेतु नियम विश्वविद्यालय के विनियमों के द्वारा निर्धारित होंगे।

अध्यादेश 17 – बाहरी परीक्षकों को देय पारिश्रमिक और पारिश्रमिक के भुगतान की स्थितियों के नियमन से संबंधित*

1. बाहरी परीक्षक को खण्ड 1.2 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
- 1.1 विश्वविद्यालय के पास केवल एम.फिल. शोध निबंध और पी.एचडी. के संबंध में बाहरी परीक्षक की नियुक्ति के लिए प्रावधान होना चाहिए।
- 1.2 बाहरी परीक्षक को निम्नलिखित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा –

परीक्षा का नाम	डिजिटेशन थीसिस के मूल्यांकन / हेतु	मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए
	रूपये	रूपये
एम.फिल.	1,000	1,000
पी.एचडी.	2,000	2,000

2. शर्तें –
- 2.1 बाहरी परीक्षक को अपने कार्य और मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में अत्यंत गोपनीयता बनाये रखनी होगी और वह इस संबंध में केवल विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिए अधिकृत किये गये व्यक्ति से ही बात करेगा
- 2.1 बाहरी परीक्षक को पारिश्रमिक तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि पदस्थ अधिकारी को मूल्यांकन प्रतिवेदन और ऐसे अन्य विवरण प्राप्त नहीं हो जाते, जो जमा करने आवश्यक हैं।
- 2.3 भारत सरकार/विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ग्रुप-ए अधिकारी के समकक्ष ही, बाहरी परीक्षक टीए/डीए के लिए योग्य होगा।

अध्यादेश 18 – मूल्यांकन में विद्यार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित*

1. परिभाषाएं

मूल्यांकन:- मूल्यांकन अर्थात् मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त सभी प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जैसे क्विज, अवधि परीक्षा, निरूपित पठन, प्रयोगशाला परीक्षण, संगोष्ठी, क्षेत्र कार्य, सामूहिक चर्चा आदि, मिड-सेमेस्टर परीक्षाएँ, एंड-सेमेस्टर परीक्षाएँ।

अनुचित साधन:- अनुचित साधन का अर्थ है विद्यार्थी का मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान अपनाये गये किसी भी प्रकार के बेईमानीपूर्ण तरीके में निहित होना, इसके साथ-साथ असामान्य आचरण, साहित्य चोरी इत्यादि।

अनुचित साधनों के प्रयोग पर स्थायी समिति:- स्थायी समिति अर्थात् विद्यार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने हेतु अकादमिक परिषद द्वारा नियुक्ति की गयी समिति।

2. स्थायी समिति का गठन:-

(अ) कुलपति की अनुशंसा पर, अकादमिक परिषद द्वारा स्थायी समिति का गठन निम्नलिखित को निहित करते हुए किया जाएगा -

(1) दो अधिष्ठाता और

(2) विद्यापीठ का अधिष्ठाता, जहाँ से अनुचित साधनों का विद्यार्थी/ विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग के मामले में सूचना दी गयी हो।

बशर्ते, अकादमिक परिषद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति किसी अन्य अधिष्ठाता को समिति के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है यदि विद्यार्थी/ विद्यार्थियों का सूचित मामला उस विद्यापीठ से संबंधित है, जिसके अधिष्ठाता द्वारा समिति में पहले से प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो।

(ब) कुलपति द्वारा नामित एक अधिकारी समिति के असदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।

3. कोई भी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया के किसी भी स्वरूप में अनुचित साधनों के प्रयोग में लिप्त पाया जाता है, वह स्थायी समिति द्वारा निर्धारित की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

4. (अ) एक संकाय सदस्य, जो अनुचित साधनों के प्रयोग करते हुए किसी विद्यार्थी को पकड़ता है, वह संबंधित अधिष्ठाता को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए विभागाध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना देगा और पदस्थ अधिकारी उक्त मामले को स्थानीय समिति के समक्ष उसके उपयुक्त विचारार्थ और दिशा-निर्देश के लिए रखेगा।
- (ब) संकाय सदस्य से सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित विभाग/ विद्यापीठ उक्त मामले में अपना दृष्टिकोण स्थानीय समिति को अग्रेषित करेगा। यदि संबंधित विभाग/केन्द्र/विद्यापीठ से कोई भी दृष्टिकोण प्राप्त नहीं होता है तो स्थानीय समिति बिना किसी अतिरिक्त प्रतिकक्षा के उक्त मामले पर आगे की कार्यवाही करेगी।
5. समिति, लिप्त पाये गये विद्यार्थी को दोषी ठहराने से पूर्व, उसे स्वयं को निर्दोष साबित करने की निष्पक्ष/न्यायोचित और उचित अवसर प्रदान करेगी।
6. प्रोक्टर की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्थानीय समिति, ऐसे विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में कुलपति द्वारा प्रदत्त की गयी शक्तियों के प्रयोग की हकदार होगी।
7. विद्यार्थी, जिसके विरुद्ध समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है, वह उक्त कार्यवाही के बारे में बताये जाने के 30 दिवस के भीतर कुलपति को अपील दे सकता है। इस मामले में कुलपति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्यादेश 19

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा की शर्तें

(अधिनियम अनुभाग 28 (1)(ओ), संविधि 22(1))

1. शिक्षक

- अ. विश्वविद्यालय के शिक्षक से तात्पर्य है प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्थान में निर्देश प्रदान करने अथवा शोध कराने हेतु नियुक्त होने वाले अन्य ऐसे व्यक्ति तथा विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय तथा अध्यादेश द्वारा शिक्षक के रूप में पदस्थ व्यक्ति।
- ब. विश्वविद्यालय का शिक्षक, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक कर्मचारी होगा तथा विश्वविद्यालय को अपना पूरा समय समर्पित करेगा तथा मानद, विजिटिंग, अल्पकालिक एवं तदर्थ शिक्षक इसमें शामिल नहीं होंगे।
- स. बशर्ते कि इस अध्यादेश में निहित कुछ भी, विश्वविद्यालय अथवा जिन निकायों अथवा लोक सेवा आयोग की परीक्षा के संबंध में किये गये किसी भी कार्य पर अथवा साहित्यिक कार्य अथवा रेडियो/श्रव्य-दृश्य अथवा विस्तारित व्याख्यान अथवा किसी अन्य अकादमिक कार्य को कुलपति की अनुमति के साथ, किसी भी कार्य पर लागू नहीं होगा।

2. भर्ती

- (1) विश्वविद्यालय शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से कम से कम 30 दिन का समय देते हुए प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में अखिल भारतीय विज्ञापन जारी करेगी तथा अखिल भारतीय विज्ञापन एवं यूजीसी के अधिनियम, 2010 के अनुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर चयन के माध्यम से योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ करेगी।
- (2) आवेदन पत्र की प्रक्रिया के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों को प्रक्रिया शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालय रोलिंग विज्ञापन बना सकता है, जिसके द्वारा योग्य अभ्यर्थी वर्ष भर विभिन्न संकाय पदों के लिए अपने आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं।
- (4) सेवाकालीन अभ्यर्थी द्वारा समुचित माध्यम से आवेदन किया जाना चाहिए।

3. न्यूनतम अर्हताएँ एवं अनुभव

1. प्रोफेसर/सह प्रोफेसर/ सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ की न्यूनतम अर्हताओं के लिए तथा उच्च शिक्षा में मानकों के संरक्षण के लिए उपाय पर यूजीसी अधिनियम, 2010 में निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित न्यूनतम अर्हताओं तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए, निबंधन एवं शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।
2. प्रोफेसर के पद के लिए तथा सह प्रोफेसर के प्रोन्नति के लिए पीएच.डी. डिग्री अनिवार्य योग्यता होगी।
3. सह प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पीएच.डी. डिग्री अनिवार्य योग्यता होगी।
4. एक अभ्यर्थियों द्वारा एम.फिल. एवं/अथवा पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए लगने वाले समय की अवधि अध्यापन / शोध अनुभव के रूप में शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियों के लिए किये जाने वाले दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं निम्न के तहत हैं-

(1) प्रोफेसर

- (अ) संबंधित/ संबद्ध/ प्रासंगिक एक उच्च गुणवत्ता के प्रकाशन कार्य में पीएच.डी. अर्हता(ओं) के साथ पुस्तक तथा/या शोध/नीति पत्र के रूप में न्यूनतम 10 प्रकाशन सहित प्रकाशन कार्य के साक्ष्य के साथ सक्रिय रूप से शोध में लगा हुआ प्रख्यात छात्रवृत्तिधारी।
- (ब) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव, तथा/ या डाक्टरेट स्तर पर शोध के लिए अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन अनुभव सहित विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/ उद्योगों में शोध में अनुभव।
- (स) शैक्षणिक नवाचार, नए कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रमों की रचना तथा प्रौद्योगिकी - मध्यस्थ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योगदान।
- (द) यूजीसी अधिनियम, 2010 में तय किया गया "प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस)" पर आधारित "शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई)" में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक

अथवा

संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठा की स्थापना के साथ एक उत्कृष्ट पेशेवर, जिसने प्रत्यक्ष पत्र द्वारा प्रभावित होने वाले, संबंधित/ संबद्ध/ प्रासंगिक क्षेत्र में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

(2) सह प्रोफेसर

- (अ) संबंधित/ संबद्ध/ प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. उपाधि के साथ एक अच्छा शैक्षणिक कीर्तिमान।
- (ब) न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, एक सूत्रीय पैमाने में समतुल्य ग्रेड)
- (स) पीएच.डी. शोध की अवधि को छोड़कर, प्रकाशन कार्य के साक्ष्य के सहित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/ उद्योग में सहायक प्रोफेसर के समकक्ष शैक्षणिक/ शोध पद पर शैक्षणिक तथा/ या शोध में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव तथा पुस्तक तथा / या शोध/ नीति पत्र के रूप में प्रकाशित न्यूनतम 05 प्रकाशन।
- (द) डाक्टरेट अभ्यर्थियों एवं शोध विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के साक्ष्य के साथ शैक्षणिक नवाचार, नए कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रमों की रचना, तथा प्रौद्योगिकी - मध्यस्थ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योगदान।
- (य) यूजीसी अधिनियम, 2010 में तय किया गया "प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस)" पर आधारित "शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई)" में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक

(3) सहायक प्रोफेसर

कला, मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषा, कानून, पत्रकारिता एवं जन संपर्क

(अ) एक भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि पर न्यूनतम 55% अंकों के साथ संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित अच्छा शैक्षणिक कीर्तिमान (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, एक सूत्रीय पैमाने में समतुल्य ग्रेड) तथा पुस्तक तथा/ या शोध/ नीति पत्र के रूप में प्रकाशित न्यूनतम 05 प्रकाशन।

(ब) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करने के अलावा, उक्त अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यक है।

(स) उपरोक्त (अ व ब) में कुछ भी शामिल होते हुए भी अभ्यर्थी, जिसे यूजीसी (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) अधिनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गयी है, उसे सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए नेट की न्यूनतम योग्यता की शर्त की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।

(द) ऐसे क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए नेट आयोजित नहीं होता है, उनके लिए भी नेट आवश्यक नहीं होगा।

6 पीएच.डी. उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को 55% से 50% अंकों की 5% छूट प्रदान की जा सकती है, जो 19 सितम्बर 1991 से पूर्व अपनी स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण कर चुके हैं।

7 संबंधित ग्रेड भी जो कि 55% के समतुल्य के रूप में मानी जाती है, जहाँ एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, योग्य मानी जाएगी।

शिक्षा के स्नातकोत्तर के लिए

(1) प्रोफेसर

अ) न्यूनतम 55% अंकों (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, एक सूत्रीय पैमाने में समतुल्य ग्रेड) के साथ कला/ मानविकी/ विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि एवं एम.एड.।

अथवा

55% अंकों (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, एक सूत्रीय पैमाने में समतुल्य ग्रेड) के साथ एम.ए. (शिक्षा) तथा न्यूनतम 55% अंकों (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, एक सूत्रीय पैमाने में समतुल्य ग्रेड) के साथ बी.एड. दोनों

ब) शिक्षा में पीएच.डी. तथा

स) विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग अथवा शिक्षा के महाविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव, जिसमें से उसके विशिष्ट क्षेत्र में प्रकाशित कार्य के साथ एम.एड. स्तर पर न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव, बशर्ते कि, प्रोफेसर/ विभागाध्यक्ष/ रीडर के रूप में नियुक्ति के लिए उपरोक्त वर्णित योग्यता, मापदण्ड के अनुसार योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए, शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/ विभागाध्यक्ष/ रीडर को नियुक्त करने की अनुमति मिल सकती है, जब तक ऐसे समय पर जब तक कि अभ्यर्थी 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते।

4. आवेदनों की समीक्षा

अ) निर्धारित अर्हता एवं अनुभव न्यूनतम होगी तथा यह तथ्य होगा कि न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव रखने वाला कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का पात्र नहीं होगा।

- ब) विश्वविद्यालय को अधिकार है कि यूजीसी अधिनियम, 2010 के अनुसार गठित समीक्षा समिति की अनुशंसा पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को, निर्धारित अर्हता एवं अनुभव से अधिक अर्हता एवं अनुभव के आधार पर या अन्य शर्तों के द्वारा, जो उचित हो, उचित संख्या में प्रतिबंधित करें।
- स) आवेदनों की समीक्षा समिति यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुलपति से विचार-विमर्श कर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए मानदंड विकसित कर सकती है।

5. आरक्षण नीति

1. आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षण नीति के संबंध में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा।
2. योग्यता के उद्देश्य हेतु तथा पदों पर सीधी भर्ती के समय अच्छे शैक्षिक रिकॉर्ड के आंकलन हेतु एससी/एसटी/विकलांग श्रेणी के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर 05% रियायत प्रदान की जा सकती है। विश्वविद्यालय के द्वारा अनुग्रह अंक प्रक्रिया के माध्यम से अंकों को 55% या 50%, जो भी मामला हो, बनाने के लिए पूर्णांक करना रियायत के दावे के लिए स्वीकार्य नहीं है।
3. एससी/एसटी/विकलांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं यूजीसी के द्वारा रियायत हेतु निर्धारित संवैधानिक प्रावधान उन पर लागू होंगे।

6. चयन की प्रक्रियाएं-

- अ) समग्र चयन की प्रक्रियाओं में आवेदकों की योग्यताएं एवं उनके प्रत्यायकों के विश्लेषण से जुड़ी, पाददर्शी, उद्देश्यपरक एवं विश्वसनीय प्रतिधि का सम्मिलित किया जाएगा और यह समस्त बातें उन अधिमानताओं पर आधारित होंगी जो किसी भी प्रत्याशी के उस निष्पादन पर दी जाएगी, जिस निष्पादन को विभिन्न आयामों में ख्याति अर्जन के रूप में किया गया है तथा क्रमशः यह समस्त उपरोक्त विवरण उन शैक्षिक निष्पादन सूचकों (ए.पी.आई.) पर आधारित होगा।
- ब) विश्वविद्यालयों द्वारा अध्यापन अथवा शोध प्रवृत्ति के प्रति क्षमता को निर्धारित करने के लिए किसी विचार गोष्ठी के आयोजन द्वारा अथवा कक्षाकक्ष में विद्यमान वातावरण द्वारा अथवा परस्पर ऐसी चर्चा द्वारा प्राप्त किया जाये अथवा इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि विचाराधीन स्तर पर अध्यापन एवं शोध कार्य में अद्यतन तकनीक की क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए।
- स) शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ अन्य विभिन्न श्रेणियों के शिक्षाविद्, यदि कोई अभ्यर्थी इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है, और चयन समिति का कोई सदस्य उस श्रेणी से संबंधित नहीं है, उसका नामांकन विश्वविद्यालय के उप-कुलपति या कार्यवाहक कुलपति द्वारा किया जाएगा। उक्त प्रयोजन के लिए नामित शिक्षाविद् उक्त अभ्यर्थी से एक संवर्ग ऊपर होंगे और ऐसे नामिती यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों के संबंध में संबंधित केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के मानदंडों का चयन प्रक्रिया के दौरान कड़ाई से पालन हो।
- द) विभिन्न विषय के डाटाबेस द्वारा सूचीबद्ध प्रकाशन के प्रलेखन के अतिरिक्त, संबंधित विश्वविद्यालय विषय समिति(यों) के विशेषज्ञों और आई.एस.बी.एन./ आई.एस.एस.एन. के माध्यम से ये कार्य करेंगे - (क) संबंधित विषय(यों) राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय स्तर पर मानक पत्रिकाओं की विस्तृत सूची तैयार करेंगे और (ख) भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं/ पत्रों/ अन्य प्रकाशनों संबंधी पुस्तकों की विस्तृत सूची तैयार करेंगे और उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रखेंगे एवं जिसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।
- य) राज्य में स्थित विश्वविद्यालय के लिए भारतीय भाषायी प्रकाशनों के संबंध में गुणवत्ता में तुल्यता निर्धारण कुलाधिपति द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समन्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। ये उपरोक्त सूचियाँ चयन समिति को विषय विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ उपलब्ध करायी जाएगी।
- र) एक सह प्रोफेसर के चयन प्रक्रिया में संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा यूजीसी विनियमन, 2010 में ए.पी.आई. मानदण्ड के आधार पर निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस) का ब्यौरा बायोडाटा में विधिवत् देना होगा।

- ल) साक्षात्कार से पहले ऐसे प्रकाशनों को विषय विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जाएगा और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रकाशन के मूल्यांकित अंकों को चयन समिति द्वारा चयन के परिणाम को अंतिम रूप देते समय, भार दिया जाएगा।
- व) प्रोफेसर के चयन के प्रक्रिया में बायोडाटा आमंत्रित करना होगा, जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गयी यूजीसी अधिनियम, 2010 के निर्धारित पी.बी.एस.एस. सेट पर आधारित ए.पी.आई. मानदंडों तथा अभ्यर्थी के बड़े प्रकाशनों तथा उनके पुनः प्रकाशन के आधार पर निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) को विधिवत भरना होगा।

7. चयन समिति

विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति का संरचना निम्नलिखित होगी:

1. कुलपति चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
2. विज़िटर द्वारा नामित एक शिक्षाविद्।
3. कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित नाम के पैनल से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय/ क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ
4. संबंधित स्कूल का अधिष्ठाता, जहाँ लागू हो।
5. केन्द्र का अध्यक्ष।
6. कुलपति द्वारा नामित, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/शारीरिक विकलांग की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद्, यदि कोई भी अभ्यर्थियों में से उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आवेदक हो तथा यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी उन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो।

विश्वविद्यालय में सह प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति का संरचना निम्नलिखित होगी:

1. कुलपति चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
2. विज़िटर द्वारा नामित एक शिक्षाविद्।
3. कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित नाम के पैनल से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय/ क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ
4. संबंधित स्कूल का अधिष्ठाता, जहाँ लागू हो।
5. केन्द्र का अध्यक्ष।
6. कुलपति द्वारा नामित, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/शारीरिक विकलांग की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद्, यदि कोई भी अभ्यर्थियों में से उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आवेदक हो तथा यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी उन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो।

विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति का संरचना निम्नलिखित होगी:

1. कुलपति चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
2. विज़िटर द्वारा नामित एक शिक्षाविद्।
3. कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित नाम के पैनल से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय/ क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ
4. संबंधित स्कूल का अधिष्ठाता, जहाँ लागू हो।
5. केन्द्र का अध्यक्ष।

6. कुलपति द्वारा नामित, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/शारीरिक विकलांग की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद्, यदि कोई भी अभ्यर्थियों में से उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आवेदक हो तथा यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी उन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो।

- i) कुलसचिव, तथा जब कुलसचिव का पद रिक्त हो, इस उद्देश्य हेतु कुलसचिव द्वारा नामित उप कुलसचिव, चयन समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा, परंतु उनमें से सदस्य के रूप में नहीं माना जाएगा।
- j) अध्यक्ष तथा दो बाहरी विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्य गणपूर्ति का निर्माण करेंगे।
- k) चयन समिति नीचे लिखित निम्नलिखित आयमों को उनके भारों के साथ आंकलित करेगी -

न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर
	विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित एपीआई में निर्धारित	एपीआई की श्रेणी-3 से 300 अंकों की आवश्यकता हेतु समेकित एपीआई प्राप्तांक	एपीआई की श्रेणी-3 से 300 अंकों की आवश्यकता हेतु समेकित एपीआई प्राप्तांक
चयन समिति मानदंड/ भार (कुल भार=100)	अ) शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं शोध प्रदर्शन (50%) ब) डोमेन ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का आंकलन (30%) स) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)	अ) शैक्षणिक पृष्ठभूमि (20%) ब) एपीआई प्राप्तांक के आधार पर शोध प्रदर्शन एवं प्रकाशनों में गुणवत्ता (40%) स) डोमेन ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का आंकलन (20%) द) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)	अ) शैक्षणिक पृष्ठभूमि (20%) ब) एपीआई प्राप्तांक के आधार पर शोध प्रदर्शन एवं प्रकाशनों में गुणवत्ता (40%) स) डोमेन ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का आंकलन (20%) द) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)

- l) विश्वविद्यालय द्वारा उक्त बैठको का समय एवं आयोजन स्थल बताते हुए, बैठक से कम से कम 10 दिवस पूर्व, प्रत्येक सदस्य को एक नोटिस जारी किया जाएगा। विजिटर द्वारा नामित व्यक्ति एवं कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विशेषज्ञों की सुविधा के अधीन, पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात् चयन समिति की बैठक निश्चित होगी।
- m) भविष्य के आयोजनों पर सहमति से जुड़ी शर्तों के साथ कोई भी संस्तुति नहीं होनी चाहिए।
- n) चयन समिति किसी अभ्यर्थी को प्रोफेसर या सह प्रोफेसर के पद के लिए विचार के पश्चात्, यदि उसका मत हो कि वह अगली नीचे के पद के लिए उपयुक्त विकल्प है, तो वह ऐसी अनुशंसा कर सकती है। अर्हताओं, आयु, अनुभव आदि के संबंध में निर्धारित किसी शर्त की रियायत के अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी चयन समिति द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित होता है तो यह अभिकथित एवं अभिलेखित किया जाएगा।
- o) जब चयन समिति एक चयनित अभ्यर्थी को उच्च प्रारम्भिक वेतन या अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुशंसा के लिए उपयुक्त विचार करती है तो वह यूजीसी अधिनियम, 2010 के अनुच्छेद 6.4.11 के अनुसार होगा।
- p) एससी/एसटी/विकलांग श्रेणी से संबंधित साक्षात्कार हेतु बुलाये गये बाहरी स्थान के अभ्यर्थियों को यात्रा हेतु द्वितीय श्रेणी के एकतरफा रेल किराये के समतुल्य भुगतान किया जाएगा।

नियुक्ति

1. समान तिथि पर दो या दो से अधिक पदों पर चयन के मामले में, सेवा में वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से सदैव चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता की वरीयता के क्रम में अनुशंसाएं की जानी चाहिए।

2. विज्ञापित पदों की संख्या अस्थायी मानी जा सकती है। विश्वविद्यालय को चयन के समय पदों की संख्या बढ़ाने / घटाने का तथा उसके अनुसार नियुक्तियाँ करने का अधिकार होगा।
3. कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकृत की गयी चयन समिति की अनुशंसाएं, स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगी।
4. विश्वविद्यालय के विरुद्ध किसी विवाद, मुकदमा या कानूनी प्रक्रियाओं के मामलों में न्याय अधिकार क्षेत्र गांधीनगर न्यायालय तक सीमित होगा तथा किसी अन्य स्थान पर होगा जहाँ विश्वविद्यालय का मुख्यालय है।
5. कार्यकारी परिषद को केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के संविधि 19(1) के अनुसार किसी उचित व्यक्ति, जिसने आवेदन नहीं किया है, उसे नियुक्ति के लिए प्रस्ताव देने का अधिकार है।
6. कार्यकारी परिषद केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के संविधि 19(1) के अनुसार एक संयुक्त परियोजना के दायित्व के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था के शिक्षण या किसी अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त कर सकती है।

8. अनुबंध-

- 1) पदधारी शिक्षक अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार अनुबंध में प्रवेश कर सकता है।
- 2) शिक्षण के लिए अल्प अवधि हेतु नियुक्त व्यक्ति अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रारूप के अनुसार अनुबंध में प्रवेश कर सकता है।

9. परिवीक्षा एवं स्थायीकरण की अवधि-

- (1) परिवीक्षा की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होती है जो असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है। एक वर्ष की समाप्ति पर स्थायीकरण स्वतः हो जाएगा, जब तक कि प्रथम वर्ष की समाप्ति से पूर्व एक विशेष आदेश द्वारा एक और वर्ष के लिए न बढ़ा दिया जाए।
- (2) इस खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय/ संबंधित संस्थान की ओर से यह अनिवार्य होगा कि संतोषजनक प्रदर्शन के सत्यापन की उचित प्रक्रिया के पश्चात्, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के 45 दिवस के भीतर पदधारी को स्थायीकरण का आदेश जारी करे।
- (3) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिवीक्षा अवधि एवं स्थायीकरण के नियम केवल भर्ती के प्रारंभिक चरण पर लागू होंगे।
- (4) परिवीक्षा और स्थायीकरण से संबंधित केन्द्र सरकार के सभी नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

10. स्थायीकरण

- (1) कुलसचिव का यह कर्तव्य है कि परिवीक्षाधीन शिक्षक के स्थायीकरण का मामला संबंधित अधिष्ठाता की अनुशंसा सहित समीक्षित वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट के साथ परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के कम से कम 40 दिन पूर्व कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करे।
- (2) उसके पश्चात् कार्यकारी परिषद शिक्षक का स्थायीकरण कर सकता है या उसे स्थायी नहीं करने का निर्णय ले सकता है अथवा अधिकतम 24 माह तक परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है।
- (3) यदि कार्यकारी परिषद उसकी परिवीक्षा अवधि के 24 माह की समाप्ति के पूर्व अथवा विस्तारित परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व, जो भी स्थिति हो, शिक्षक का स्थायीकरण नहीं करने का निर्णय लेती है, तो उसे परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के कम से कम 30 दिन पूर्व लिखित में इस आशय की सूचना दी जाएगी।
- (4) बशर्ते एक शिक्षक के स्थायीकरण न करने के निर्णय में कार्यकारी परिषद के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की दो-तिहाई मतों की आवश्यकता होगी।

11. वेतन एवं भत्ते

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गये एवं समय-समय पर जारी भारत सरकार के नियम/ यूजीसी विनियम के अनुसार।

12. वेतन वृद्धि

प्रत्येक शिक्षक अपने वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के पात्र होंगे, जब तक कि कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव द्वारा इसे रोक दिया अथवा स्थगित नहीं कर दिया जाता है तथा तत्पश्चात् शिक्षक को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो।

13. पुनर्नियोजित पेंशनधारियों को वेतन का नियतन

भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी एवं गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार।

14. व्यावसायिक आचार संहिता

विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये आचार संहिता का पालन करना होगा तथा निम्नलिखित दोष विश्वविद्यालय के शिक्षक का कदाचार माना जाएगा -

- 1) विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर सौंपे गये उसके कर्तव्यों के पालन में कोई भी दोष।
- 2) छात्रों को अन्य छात्रों, सहकर्मियों या प्रशासन के खिलाफ उकसाना (यह एक शिक्षक के सेमिनारों एवं अन्य स्थानों पर, जहाँ विद्यार्थी मौजूद हैं, सिद्धांततः अपने भिन्न विचारों की अभिव्यक्ति के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है) अथवा कोई अन्य गतिविधियाँ जो कि विश्वविद्यालय के हित के विरुद्ध हैं।
- 3) सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल होना अथवा जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, या लिंग पर अपने सहकर्मियों के संबंध पर अनुचित टिप्पणी करना और अपनी संभावनाओं में सुधार करने के लिये उपरोक्त विचारों का प्रयोग करने का प्रयास करना अथवा ऐसा कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के हित के विरुद्ध हो।
- 4) बिना किसी कारण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं अकादमिक निकायों तथा / अथवा पदाधिकारियों के निर्णयों की अनुपालना से इंकार करना।
- 5) कानूनी व्याख्या, अर्थ एवं अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी में लिप्त होना।

15. शिक्षक एवं उनके दायित्व

जो कोई भी व्यक्ति शिक्षण को अपनी आजीविका के रूप में चयन करता है, उसकी बाध्यता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप आचरण करे। शिक्षक लगातार छात्रों, वृहद् रूप से समाज की नजरों में रहता है। इसलिए, प्रत्येक शिक्षक को यह देखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पहले से निर्धारित जिन राष्ट्रीय आदर्शों को छात्रों में अंतर्निविष्ट करना चाहिए, वे उनके स्वयं के आदर्श होने चाहिए। इस पेशे में यह भी अपेक्षित है कि शिक्षक स्वभाव से शांत, धैर्यशील एवं अभिव्यक्तिशील तथा मिलनसार मनोभाव वाला होना चाहिए।

अ) शिक्षक को चाहिए कि:

- 1) जिम्मेदारीपूर्ण आचरण तथा व्यवहार के स्वरूप का पालन, जिसकी समाज द्वारा उनसे आशा की जाती है।
- 2) निजी मामलों को पेशे की गरिमा के अनुरूप प्रबंध करना।
- 3) अध्ययन एवं अनुसंधान के माध्यम से व्यावसायिक विकास को सतत बनाना।
- 4) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान की ओर पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेकर निःसंकोच एवं खुले विचार व्यक्त करना।
- 5) पेशेवर संगठनों का सक्रिय सदस्य बने रहना तथा उनके माध्यम से शिक्षा एवं पेशे में सुधार के लिए प्रयत्नशील रहना।

- 6) शिक्षण, शिक्षकीय, व्यावहारिक ज्ञान, संगोष्ठी तथा अनुसंधान कार्य के रूप में कर्तव्यनिष्ठा तथा लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना।
- 7) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शैक्षणिक उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्यों में सहयोग एवं सहायता प्रदान करना, जैसे प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों के मूल्यांकन में सहयोग, छात्रों को सलाह एवं परामर्श देना, साथ ही पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन सहित विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित करवाना, और
- 8) सामुदायिक सेवा सहित विस्तार, सह-पाठ्येतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेना

शिक्षक तथा विद्यार्थी

ब) शिक्षक को चाहिए कि:

- 1) छात्रों के विचार प्रकट करने के अधिकार एवं उनकी गरिमा का आदर करना।
- 2) छात्रों को उनके धर्म, जाति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शारीरिक विशेषताओं पर ध्यान दिए बिना उनसे एक समान तथा निष्पक्षता का व्यवहार करना।
- 3) छात्रों की परस्पर योग्यताओं तथा उनकी क्षमताओं, विद्यमान अंतर को पहचानना तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रयास करना।
- 4) छात्रों की उपलब्धि में सुधार करने, उनके व्यक्तित्व का विकास करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा उसी समय में सामाजिक कल्याण में योगदान देना।
- 5) छात्रों में वैज्ञानिक सोच का अंतर्निवेशन करना तथा शारीरिक श्रम, लोकतंत्र में आदर्शों, देशभक्ति एवं शांति के प्रति आदर का भाव पैदा करना।
- 6) छात्रों के प्रति स्नेहशील रहना तथा किसी कारण से उनमें से किसी के भी प्रति प्रतिशोधपूर्ण बर्ताव नहीं करना।
- 7) योग्यता के मूल्यांकन में छात्रों की उपलब्धियों पर ही ध्यान देना।
- 8) कक्षा के बाहर भी छात्रों के लिए उपलब्ध रहना तथा बिना किसी पारिश्रमिक या पुरस्कार के छात्रों की सहायता करना एवं उनका मार्गदर्शन करना।
- 9) हमारी राष्ट्रीय धरोहर तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ पैदा करने में छात्रों की सहायता करना, और
- 10) छात्रों को दूसरे छात्रों, सहकर्मियों या प्रशासन के विरुद्ध भड़काने से बचना।

शिक्षक तथा सहकर्मि

स) शिक्षक को चाहिए कि:

- 1) पेशे के अन्य सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा कि वे स्वयं के लिए चाहते हैं।
- 2) अन्य शिक्षकों के साथ सम्मानपूर्वक बात करना। पेशे की भलाई के लिए सहायता प्रदान करना।
- 3) उच्च प्राधिकारियों के पास सहकर्मियों पर बेबुनियादी आरोल लगाने से बचना।
- 4) अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, वंश, धर्म, नस्ल या लिंग को महत्व देने से बचना।

शिक्षक तथा प्राधिकारी**द) शिक्षक को चाहिए कि:**

- 1) वह अपने पेशेवर उत्तरदायित्व को मौजूदा नियमों के अनुरूप वहन करे तथा प्रक्रियाओं का पालन करे। पेशेवर हितों के लिए घातक किन्हीं ऐसे नियमों में परिवर्तन करने के लिए अपने संस्थागत निकायों और/ अथवा पेशेवर संगठनों के माध्यम से ऐसे कदम उठाने में ऐसी प्रक्रियाओं तथा पद्धति का पालन करना जो उनके पेशे के अनुकूल हो,
- 2) निजी शिक्षण एवं अनुरक्षित कक्षाओं सहित किसी अन्य रोजगार या वचनबद्धता को अपनाने से बचना जो उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप करती हो,
- 3) विभिन्न अन्य कर्तव्यों को स्वीकार कर संस्थान की नीतियों को तैयार करने में सहयोग करना तथा जो संस्थान चाहे, ऐसे उत्तरदायित्वों का वहन करना,
- 4) अपने संगठनों के माध्यम से अन्य संस्थानों की नीतियाँ तैयार करने में सहयोग करना एवं पद स्वीकार करना,
- 5) संस्थान के हितों तथा पेशे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए संस्थान की भलाई के लिए प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना,
- 6) संविदा की शर्तों का पालन करना,
- 7) नया पद स्वीकार करने तथा पुराना पद त्यागने से पूर्व विधिवत् रूप से नोटिस देना,
- 8) अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा अवकाश लेने से बचना। अकादमिक कार्यक्रम की पूर्णता के प्रति जो उनका विशिष्ट उत्तरदायित्व है, उसको ध्यान में रखकर जहाँ तक हो सके, पूर्व सूचना देकर अवकाश लेना।

शिक्षक तथा गैर-शैक्षणिक स्टाफ:

- 1) शिक्षकों को प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में गैर-शैक्षणिक स्टाफ को सहकर्मि तथा सहयोग पूर्ण वातावरण के लिए बराबर का भागीदार मानना चाहिए, तथा
- 2) शिक्षकों को अन्य शिक्षकों तथा गैर-शैक्षणिक स्टाफ, दोनों को आवरित करने वाले संयुक्त स्टाफ परिषदों के कार्यकरण में सहायता करना।

शिक्षक तथा अभिभावक**य) शिक्षक को चाहिए कि:**

- 1) शिक्षक निकाय एवं संगठनों के माध्यम से यह देखने का प्रयास करना कि विश्वविद्यालय अभिभावकों व उनके विद्यार्थियों से संपर्क बनाए रखे तथा उनके निष्पादन की रिपोर्ट को जहाँ कहीं भी जरूरी हो, उनके अभिभावकों को भेजना तथा जहाँ भी आवश्यक हो, विचारों के आपसी आदान-प्रदान के प्रयोजन से संस्थान के हित के लिए बुलाई गई बैठकों में अभिभावकों से मिलना।

शिक्षक तथा समाज**र) शिक्षक को चाहिए कि:**

- 1) यह पहचानना कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, तथा जनसाधारण को उपलब्ध कराये जा रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में अवगत करने के लिए प्रयत्नशील रहना।
- 2) समुदाय में शिक्षा में सुधार करने के लिए कार्य करना तथा समुदाय के हौसले तथा बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करना।
- 3) सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूक रहना तथा ऐसे गतिविधियों में भाग लेना जो समाज के लिए एवं देश की प्रगति के लिए समग्र रूप से उपयुक्त हों,

- 4) नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना तथा सार्वजनिक हितों के मामलों का उत्तरदायित्व वहन करना।
- 5) ऐसी गतिविधियों में भाग लेने एवं उनमें सहायता करने से बचना, जिससे विभिन्न समुदायों, धर्मों और भाषायी समूहों के बीच घृणा एवं वैमनस्य को बढ़ावा मिला हो, बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करना।

16. शिक्षण दिवस, कार्य भार एवं अवकाश के नियम

शिक्षण दिवसों की संख्या, कार्य भार एवं अवकाश के नियम यूजीसी विनियमन, 2010 तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार होंगे।

17. सेवानिवृत्ति की आयु

संविधि 25 के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय की सेवा में स्थायी प्रत्येक शिक्षक अपनी सेवा तब तक जारी रखेगा जब तक कि वह समय - समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार के द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

इसके अलावा, शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तिथि अकादमिक सत्र के किसी भी तिथि को पड़ती है तो कार्यकारी परिषद, विभाग/केन्द्र के शैक्षणिक कार्य में व्यवधान न हो, को देखते हुए, कुलपति की अनुशंसा पर शिक्षक को अकादमिक सत्र के अंत तक किसी भी अवधि तक पुनर्नियुक्त कर सकती है।

विशेष मामलों में, शिक्षक को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, यूजीसी द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुबंध पर पुनर्नियोजित किया जा सकता है।

18. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी एवं गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार।

19. सेवा की नियम व शर्तों में बदलाव

प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय के संविधियों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों के अनुरूप कार्य करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यावसायिक संहिता के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

बशर्ते कि शिक्षक की नियुक्ति के पश्चात् उसके पद, वेतनमान, वेतनवृद्धि, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु, परिवीक्षा, स्थायीकरण, अवकाश, अवकाश वेतन एवं सेवा से निष्कासन, जो कि उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों, के संबंध में उसकी सेवा के नियमों व शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

20. त्यागपत्र

एक पूर्णकालिक वैतनिक शिक्षक, किसी भी समय, विश्वविद्यालय को लिखित में तीन माह का नोटिस देकर अथवा नोटिस अवधि में तीन माह से कम अवधि की एवज में विश्वविद्यालय को वेतन का भुगतान कर अपने अनुबंध को समाप्त कर सकता है। परिवीक्षाधीन, संविदात्मक, अनियमित तथा तदर्थ शिक्षक के मामले में उक्त नोटिस की अवधि एक माह अथवा उसके एवज में वेतन होगी :

बशर्ते कार्यकारी परिषद अपने विवेक से नोटिस की अनिवार्यता माफ कर सकती है।

सेवा हेतु अन्य शर्तें या कोई भी मामला, जो उपरोक्त में शामिल न हो, वह यूजीसी/ भारत सरकार तथा गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित होगा।

अनुलग्नक-1

विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारी एक लिखित अनुबंध पर नियुक्त किये जाएंगे, जिसका प्रारूप इस अध्यादेश के द्वारा निर्धारित एवं संलग्न है।

(रुपये 10/- के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर टंकित किया जाना है तथा एक मूल प्रति और उसकी दो छाया प्रतियों को जमा करानी है)

नियुक्तियों का लिखित अनुबंध - सेवा अनुबंध

अनुबंध के समझौते का कार्यान्वयन वर्ष दो हजार के माह के दिन व भारत गणराज्य के वर्ष में प्रथम पक्षकार पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष, निवासी (जिसे बाद में "प्रथम भाग का पक्षकार" कहा जाता है) और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वितीय पक्षकार के मध्य किया गया।

जहाँ गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय (इसके बाद "विश्वविद्यालय" कहा गया है) ने प्रथम पक्षकार को (पद) पर रखा है और प्रथम पक्षकार ने निहित नियम व शर्तों पर विश्वविद्यालय में सेवा करने हेतु सहमति प्रदान की है।

अब यहाँ उपस्थित साक्षी (गवाह) और पक्ष क्रमशः निम्नानुसार सहमत हैं

1. प्रथम पक्षकार विश्वविद्यालय और उसके उन अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेगा जिनके अधीन उसे समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा पदस्थापित किया जा सकता है और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विश्वविद्यालय द्वारा निहित नियमों एवं शर्तों के अनुसार सेवा में रहेगा।
2. प्रथम पक्षकार अपना पूर्ण समय व ध्यान कुशलतापूर्वक और श्रमपूर्वक अपने कार्यों के लिए समर्पित करेंगे तथा विश्वविद्यालय के जिस शाखा में उसे संलग्न किया जाएगा तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार जो भी कार्य दिए जाएंगे, उसके लिए निर्धारित नियमों तथा विश्वविद्यालय सेवक आचरण नियमों का हमेशा पालन करेगा।
3. प्रथम पक्षकार शिक्षक/अधिकारी का पद धारण करेगा और उसकी स्थिति नियुक्ति की तिथि को (विभाग/केंद्र/कार्यालय) में (पदनाम) की होगी।
4. प्रथम पक्षकार को कार्यग्रहण की तिथि से वेतनमान रुपये में रुपये (मूलवेतन, ग्रेड-पे सहित) प्रदान किया जाएगा। वह विश्वविद्यालय/भारत सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार लागू सामान्य भत्तों का भी पात्र होगा।
5. प्रथम पक्षकार अनुबंध की अवधि के दौरान उन पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश अर्जित करने के पात्र होगा।
6. यदि प्रथम पक्षकार को विश्वविद्यालय सेवा के हित में यात्रा करने की आवश्यकता होगी तो वह विश्वविद्यालय/भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता के हकदार होगा।
7. सेवानिवृत्त की आयु के पूर्व किसी भी समय प्रथम पक्षकार/द्वितीय पक्षकार द्वारा एक-दूसरे को तीन महीने की लिखित सूचना देकर इस अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। बशर्ते: दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को सूचना के एवज में तीन माह अथवा सूचना की अवधि में तीन माह से कम अवधि के बदले वेतन का भुगतान कर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
8. प्रथम पक्षकार लागू नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय भविष्य निधि/पेंशन/नई पेंशन योजना के लाभ के लिए योग्य होगा।
9. प्रथम पक्षकार यूजीसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित, अधिसूचित और संशोधित स्वमूल्यांकित पीएबीएस पद्धति के अनुसार स्वयं को प्रस्तुत करेंगे।
10. उन सभी मामलों में जिनका इस समझौते में कोई प्रावधान नहीं है उन पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 बी और 313 के तहत नियमों के प्रावधान या विश्वविद्यालय के शिक्षक और अधिकारी की श्रेणी में यदि कोई अनुच्छेद और नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाये जाते हैं तो वह उस सीमा तक ही लागू होंगे जिसमें प्रथम पक्षकार की सेवा इस अनुबंध के अनुसार लागू होती है और उनकी प्रयोज्यता के रूप में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

11. साक्षी के रूप में जहाँ प्रथम पक्षकार (नाम) और कुलसचिव, कार्यकारी परिषद के एवज में अथवा उनके आदेश और दिशा-निर्देशानुसार कार्य करते हुए एतद्वारा भारत गणराज्य के वर्ष में यह समझौता करते हैं।

प्रथम पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर:

उपस्थिति में

साक्षी (गवाह) 1) 2)

द्वितीय पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर:

उपस्थिति में

साक्षी (गवाह) 1) 2)

अनुलग्नक-2

शिक्षक के रूप में अल्पकालिक सेवा अनुबंध

प्रथम पक्ष (इसके पश्चात् 'शिक्षक' संबोधित किया जाएगा) एवं गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत एक सामाजिक निकाय होने के नाते द्वितीय पक्ष - गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय (इसके पश्चात् 'विश्वविद्यालय' संबोधित किया जाएगा) के मध्य वर्ष दो हजार के दिन यह समझौता ज्ञापन करारा किया गया।

निम्नलिखित के अनुसार एतद्वारा यह सहमत है कि:

1. कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्टाफ का एक सदस्य बनाने के लिए से नियुक्त करता है तथा वचनबद्धता को स्वीकार करता है तथा विश्वविद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने का दायित्व लेता है तथा विश्वविद्यालय में ऐसे कर्तव्य निभाता है, जो कि प्रभावित समय के लिए, उक्त अधिनियम, संविधियों तथा अध्यादेशों के अंतर्गत बने हुए हैं, उनके द्वारा आवश्यक एवं उनके अनुसार हैं, चाहे वह निर्देशों की संस्था या शिक्षण, या शोध, या विद्यार्थियों की परीक्षाओं या उनके अनुशासन या उनकी भलाई के लिए संबंध रखते हो तथा साधारणतया विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के निर्देशों के तहत कार्य करते हो।
2. कि उक्त विश्वविद्यालय का अनुबंधित शिक्षक होगा तथा जब तक परिषद द्वारा अथवा उसकी नियुक्ति की अवधि, जिसके लिए वह नियुक्त हुआ है, की समाप्ति से पूर्व शिक्षक द्वारा अनुबंध समाप्त नहीं कर दिया जाता अथवा उस अवधि के पश्चात् समाप्त नहीं हो जाता, वह उसकी नियुक्ति की उपरोक्त वर्णित अवधि के लिए विश्वविद्यालय की सेवाओं को जारी रख सकता है।
3. विश्वविद्यालय उसके करार की निरंतरता की अवधि के अधीन रु. के वेतन पर उसकी सेवाओं के पारिश्रमिक के रूप में रु. का भुगतान करेगा।
4. कि उक्त शिक्षक विश्वविद्यालय से समय/अवधि के लिए प्रभावित संविधियों, अध्यादेश, विनियमों एवं नियमों के द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत होगा।
5. शिक्षक अपना पूर्ण समय व ध्यान कुशलतापूर्वक और श्रमपूर्वक अपने कार्यों के लिए समर्पित करेंगे तथा विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार या व्यवसाय, जो भी हो, या कोई निजी शिक्षण या अन्य कार्य नहीं करेगा जिसके साथ परिलाभ या मानदेय जुड़ा हो, लेकिन विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं या विज्ञ निकायों या लोक सेवा आयोग के साथ अथवा

कोई साहित्यिक कार्य या प्रकाशन या रेडियो वार्ता या विस्तारित व्याख्यान के कार्य में में लगने पर, अथवा किसी शैक्षणिक कार्य पर कुलपति की अनुमति के साथ यह निषेध लागू नहीं होगा।

6. यह भी सहमत है कि निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आधारों पर, विश्वविद्यालय द्वारा वर्णित नियुक्ति की अवधि की समाप्ति से पूर्व, यह करार स्थित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा-

अ. जहाँ एक शिक्षक, या एक शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य के विरुद्ध दुराचरण का आरोप हो, तो कुलपति, यदि वह उचित समझे, आदेश द्वारा या लिखित में, शिक्षक को निलंबन के तहत रख सकता है तथा इसके पश्चात् कार्यकारी परिषद को उक्त परिस्थिति, अंतर्गत आदेश दिया गया है, की रिपोर्ट करता है, बशर्ते कार्यकारी परिषद, यदि उसका मत है कि मामले की परिस्थिति शिक्षक या शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य के निलंबन को आश्वस्त नहीं करती है, तो उस आदेश को वापस ले सकती है।

ब. सेवा के अनुबंध या उसकी नियुक्ति की शर्तों में कुछ निहित नहीं होते हुए, कार्यकारी परिषद दुराचरण के आधार पर एक शिक्षक या शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य के निष्कासन के लिए अधिकृत होगी।

स. उपरोक्त के रूप में सुरक्षित कार्यकारी परिषद किसी शिक्षक या शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य को, अच्छे कारण या लिखित में एक माह के नोटिस के पश्चात् या नोटिस की अवधि की एवज में एक माह के वेतन के भुगतान पर निष्कासन के लिए अधिकृत नहीं होगी।

द. कोई भी शिक्षक, या एक शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य को निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध उसे एक उचित अवसर न दिया गया हो।

य. शिक्षक या एक शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य का निष्कासन उस तिथि से प्रभावी होगा, जिस तिथि को निष्कासन का आदेश दिया गया है।

बशर्ते कि जहाँ शिक्षक, या एक शैक्षणिक स्टाफ का सदस्य अपने निष्कासन के समय निलंबित था, तो उसका निष्कासन उस तिथि से होगा, जिस तिथि को वह निलंबन के तहत रखा गया था।

र. शिक्षक किसी भी समय, कुलपति को लिखित में एक माह का नोटिस देते हुए या इसकी एवज में एक माह के वेतन के भुगतान पर अपना करार समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि कार्यकारी परिषद अपने विवेक से नोटिस की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर सकती है।

ल. इस करार की समाप्ति पर, किसी भी कारण से, शिक्षक सभी पुस्तकें, उपकरण, रिकॉर्ड एवं ऐसी अन्य सामग्री, जो विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो कि उसे प्राप्त है, वह विश्वविद्यालय के हवाले करेगा।

अध्यादेश-20 अनुबद्ध संकाय सदस्य की नियुक्ति हेतु

[अनुभाग (viii)(1)6 एवं तथा (xviii)अनुभाग (1)28ओ]

परिभाषा

यह अध्यादेश गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय में "अनुबद्ध संकाय सदस्य की नियुक्ति अध्यादेश" कहलायेगा।

प्रभावी होने की तिथि

यह अध्यादेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगा अर्थात् 07-28-2012।

प्रचालन

1. शोध एवं शिक्षण में अंतःविषय सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु, कार्यकारी परिषद अन्य विश्वविद्यालय संस्थानों/नामी शोध संस्थानों/ (आईसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर, आईसीएआर, इत्यादि) एवं पीएसयू व निकाय के पेशेवर एवं विशेषज्ञ को सम्मिलित करते हुए, उनमें से अनुबद्ध संकाय सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है।

2. उक्त शिक्षक के पास स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की योग्यता तथा अकादमिक व अनुसंधान साख होनी चाहिए।

3. अनुबद्ध संकाय सदस्य की नियुक्ति एक अकादमिक वर्ष या दो सेमेस्टर की अवधि के लिए की जाएगी। वह समान अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
4. अनुबद्ध संकाय सदस्य को अध्यापन के प्रति घंटे 1500 .सत्र के लिए रू/तक का ,अधिकतम रू 30,000 .प्रति माह की शर्त पर, प्रतीक मानदेय की पेशकश की जाएगी।
5. विश्वविद्यालय, उनके कार्य तथा विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श सुविधा प्रयोगशाला की जगह उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के लिए उन्हें कार्यालयअनुबद्ध संकाय सदस्य को यात्रा एवं भोजन खर्च के साथ स्थानीय वाहन सुविधा उसकी अपने विश्वविद्यालय /शोध संस्थान/संस्थान में पात्रता के आधार पर उपलब्ध कराएगा।
6. विश्वविद्यालय उपलब्धता के आधार पर अनुबद्ध संकाय सदस्य को अतिथि गृह में आवास की सुविधा उपलब्ध कराएगा एवं आतिथ्य प्रदान करेगा जिसका व्यय उसके द्वारा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार देय होगा।
7. विश्वविद्यालय में किसी भी समय पाँच से अधिक अनुबद्ध संकाय सदस्य नहीं होंगे।

चयन प्रक्रिया

कुलपति संबंधित व्यक्ति एवं संबंधित अध्ययन केन्द्र के अध्यक्षसभापति से/ परामर्श करने के पश्चात् अनुबद्ध संकाय सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु कार्यकारी परिषद को अपनी अनुशंसा दे सकता है।

अध्यादेश 21: दीक्षांत समारोह – नया

दीक्षांत समारोह हेतु अध्यादेश (संख्या-21)

दीक्षांत समारोह, उपाधि प्रदान करने के उद्देश्य से, कुलाधिपति द्वारा तय किये गए दिन एवं स्थान पर आयोजित किया जायेगा।

दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा एवं विश्वविद्यालय के निगमित निकाय से मिलकर बनेगा .कुलाधिपति यथास्थिति उपाधि, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मैडल और रैंक, के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे।

नोटिस

कुलसचिव द्वारा दीक्षांत समारोह के लिए प्रासंगिक सांविधिक प्राधिकारी की बैठक हेतु कम से कम चार सप्ताह पूर्व नोटिस जारी किया जायेगा।

संबंधित अधिकारी, दीक्षांत समारोह के सभी सदस्यों को उस समय मनाये जाने वाली प्रक्रिया के साथ कार्यक्रम की सूचना निर्गत करेगा।

वे उम्मीदवार यथास्थिति जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना अथवा अंतिम दीक्षांत समारोह के बाद के वर्षों में परीक्षाएँ उत्तीर्ण की है, वे दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए योग्य हैं।

बशर्ते, दीक्षांत समारोह किसी विशेष वर्ष में आयोजित नहीं किया गया हो, कुलपति, दीक्षांत समारोह में, सफल उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में संबंधित उपाधि को अधिकृत करने और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपाधि देने के लिए सक्षम होंगे।

आवेदन

एक अभ्यर्थी जो स्वयं दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं, सम्बंधित अधिकारी को नियत तिथि तक एवं उससे पूर्व आवेदन और निर्धारित फीस का निश्चित रूप से भुगतान कर दे।

ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने में समर्थ नहीं हैं वे कुलाधिपति द्वारा अनुपस्थिति में उपाधि के लिए स्वीकृत किया जाएगा और उनकी उपाधि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा आवेदन एवं निर्धारित शुल्क के भुगतान पर दे दी जाएगी।

शुल्क

दीक्षांत समारोह में वैयक्तिक रूप से एवं अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने का शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

विशेष दीक्षांत समारोह

एक विशेष दीक्षांत समारोह ,प्रक्रियानुसार मानद उपाधि प्रदान करने के उद्देश्य ,अथवा अकादमिक परिषद की सिफारिश पर विशेष परिस्थितियों के तहत अन्य उपाधि प्रदान करने के प्रयोजन हेतु, कार्यकारी परिषद के द्वारा तय किये गये दिन एवं स्थान पर आयोजित किया जा सकता है।

मानद उपाधि

दीक्षांत/विशेष दीक्षांत समारोह में वैयक्तिक रूप से एवं अनुपस्थिति में मानद उपाधि प्रदान की जा सकती है।

कुलपति अथवा उसके मनोनीत व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को, जिस को मानद उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है, दीक्षांत समारोह में प्रस्तुत किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को दीक्षांत समारोह में, विश्वविद्यालय द्वारा उनकी उपाधि से सम्बंधित निर्धारित की गई उचित अकादमिक पोशाक पहननी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उचित अकादमिक पोशाक में नहीं है दीक्षांत समारोह में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अकादमिक पोशाक

दीक्षांत समारोह के लिये विश्वविद्यालय की अकादमिक पोशाक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

दीक्षांत समारोह प्रक्रिया

दीक्षांत समारोह प्रक्रिया यथा विनियमों में निर्धारित के अनुसार होगी।

अध्यादेश संख्या 22**गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय पूर्व छात्रसंघ – नया****[केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अधिनियम, 2009 के खंड 35(1 एवं 2) के अधीन]**

1. गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक "पूर्व छात्रसंघ (एलुमनाई एसोसिएशन)" होगा।
2. इस संघ का उद्देश्य, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय के उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के संपर्कों को बनाए रखना एवं उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने हेतु उनमें परस्पर एकजुटता बनाए रखना और विश्वविद्यालय के विकास के लिए धन और समर्थन जुटाना होगा।
3. संघ की सदस्यता सभी उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों, के साथ डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्राप्त विद्यार्थियों के लिए भी होगी।
4. संघ का सदस्यता शुल्क, जो कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय में "पूर्व छात्रसंघ" प्रवेश शुल्क रू. 100/- भी होगा जो कि विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय लिया जाएगा।
6. सदस्यता के लिए आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एक प्रपत्र के माध्यम से किया जाएगा।
7. संघ की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित होंगे –
अ. अधक्ष
ब. उपाध्यक्ष
स. महासचिव
द. संयुक्त सचिव एवं
य. 10 अन्य सदस्य.
8. कुलपति संघ का पदेन संरक्षक होगा। संघ के अन्य सभी पदाधिकारी एवं सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे।
9. संघ को कोई भी सदस्य चुनाव के लिए वोट अथवा चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह चुनाव की तारीख से पूर्व, कम से कम एक वर्ष तक संघ का सदस्य न रहा हो और कम से कम विश्वविद्यालय की तीन वर्ष की उपाधि का धारक न हो।
10. बशर्ते कि प्रथम चुनाव के मामले में एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने की शर्त लागू नहीं होगी।
11. संघ के कोष, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जो कि इस प्रयोजन के लिए एक अलग खाता रखेगा।
12. संघ के चुनाव एवं इसकी सभी बैठकें विश्वविद्यालय द्वारा तैयार विनियमों में निर्धारित किये गये तरीके से आयोजित होगी जो कि शुरू में कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किए जायेंगे और छात्र संघ की आम सभा की पहली बैठक द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे।
13. इस अध्यादेश के किसी भी खण्ड के परिचालन में किसी भी कठिनाई की स्थिति में, उक्त मामला कुलपति को भेजा जाएगा, उस पर उनका निर्णय अंतिम माना जायेगा।

प्रोफेसर एस. एल. हीरिमठ, कुल सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./59/2017-18]

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
NOTIFICATION

Gujarat, the 28th April, 2017

No. 2-4/2009-Admn./329.—The following is published for general information.

AMENDED ORDINANCE No. 13

Sr. No.	Ordinance No. 13; ordinance governing recruitment, appointments and emoluments of Non-Teaching and other posts (Employees other than Teachers and Academic Staff) of the Central University of Gujarat (Recruitment Rules)																								
1	This Ordinance shall be called “Ordinance No.13: Ordinance Governing Recruitment, Appointments and Emoluments of Non-teaching and Other Posts (employees other than teachers and academic staff) of the Central University of Gujarat (Recruitment Rules)”.																								
2	It shall come into force immediately after the approval / assent of the Hon. Visitor.																								
3	University means “ Central University of Gujarat ”																								
4	The manner of appointment and emoluments of the non-teaching and other posts who were appointed under the pre-amended Ordinance No. 13, mentioned above, shall stand amended and, accordingly, all such employees shall stand covered as per this Ordinance.																								
5	Mode of filling up the posts: The University shall have the following methods of recruitment for employees of the university, other than teachers and other academic staff: a. By direct recruitment; or/and b. By deputation of employees whose services are borrowed from other organisations with provision of absorption as per G.o.I. Rules; or/and c. By appointment on contract service; d. By promotion;																								
6	Wherever the mode of appointment has been specified as deputation, the terms and conditions of Government of India concerning transfer/deputation shall, ipso facto, apply.																								
7	Wherever qualifications have been prescribed to be under UGC seven points scale, the following shall be the UGC seven point scale: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">GRADE</th> <th style="text-align: center;">GRADE POINT</th> <th style="text-align: center;">PERCENTAGE EQUIVALENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">‘O’ = Outstanding</td> <td style="text-align: center;">5.50-6.00</td> <td style="text-align: center;">75-100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">‘A’ = Very Good</td> <td style="text-align: center;">4.50-5.49</td> <td style="text-align: center;">65-74</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">‘B’ = Good</td> <td style="text-align: center;">3.50-4.49</td> <td style="text-align: center;">55-64</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">‘C’ = Average</td> <td style="text-align: center;">2.5-3.49</td> <td style="text-align: center;">45-54</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">‘D’ = Below Average</td> <td style="text-align: center;">1.50-2.49</td> <td style="text-align: center;">35-44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">‘E’ = Poor</td> <td style="text-align: center;">0.50-1.49</td> <td style="text-align: center;">25-34</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">‘F’ = Fail</td> <td style="text-align: center;">0-0.49</td> <td style="text-align: center;">0-24</td> </tr> </tbody> </table>	GRADE	GRADE POINT	PERCENTAGE EQUIVALENT	‘O’ = Outstanding	5.50-6.00	75-100	‘A’ = Very Good	4.50-5.49	65-74	‘B’ = Good	3.50-4.49	55-64	‘C’ = Average	2.5-3.49	45-54	‘D’ = Below Average	1.50-2.49	35-44	‘E’ = Poor	0.50-1.49	25-34	‘F’ = Fail	0-0.49	0-24
GRADE	GRADE POINT	PERCENTAGE EQUIVALENT																							
‘O’ = Outstanding	5.50-6.00	75-100																							
‘A’ = Very Good	4.50-5.49	65-74																							
‘B’ = Good	3.50-4.49	55-64																							
‘C’ = Average	2.5-3.49	45-54																							
‘D’ = Below Average	1.50-2.49	35-44																							
‘E’ = Poor	0.50-1.49	25-34																							
‘F’ = Fail	0-0.49	0-24																							
8	The age prescribed for direct recruitment shall not be applicable to those candidates from within the University.																								
9	Reservation for SC/ST/OBC/ <i>PWD</i> /Ex-Serviceman, etc., shall be followed as per Government of India Rules.																								
10	Till Rules and Service Regulations of Central University of Gujarat are framed, the Rules and Service Regulations as applicable under the Government of India/UGC shall apply.																								
11	Wherever written tests/skill tests are required, the existing Government of India/UGC rules shall be applicable.																								
12	All allowances shall be drawn as per the Government of India Rules /UGC guidelines, <i>as applicable to</i> Central Universities issued from time to time.																								
13	This Ordinance shall also be applicable to the posts that may be sanctioned / created from time-to-time in future, unless otherwise specified.																								
14	In terms of the relevant Government of India/UGC directions, henceforth the non-teaching posts have been categorized into three Groups, viz., Group A, Group B and Group C. The formation of the cadre shall be as defined by the UGC from time-to-time i.e. statutory, administrative and ministerial, secretarial, laboratory, library, medical, technical, engineering, security, official language, sanitation, sports, research / statistical, transport, isolated, etc. The Guidelines issued by the MHRD/UGC/DOPT in this regard has been kept in view while categorizing the posts in this Ordinance.																								
15	The eligible Candidates will be shortlisted for interview on the basis of marks obtained in the written/skill test (s), in the order of merit, in the ratio of 10:1 (10 candidates : 1 vacancy) of the vacancies to be filled-up Keeping in mind all GOI rules.																								
16	Where ever the written / skill test is not prescribed, the qualifications and experience prescribed will be minimum and the mere fact that the eligible candidate possesses the same will not entitle them for being called for interview. The University will have the right to restrict the number of candidates to be called for interview																								

	to a reasonable number (10:1) on the basis of recommendation of scrutiny committee / shortlist committee constituted by the Vice-Chancellor on this behalf.
17	The Chairman will be entitled to vote at the Selection Committee meeting and shall have a casting vote in case of a tie.
18	The recommendations of the Selection Committee for the post(s) of Group-B and Group-C will be submitted to the Vice-Chancellor for approval for appointment. The recommendations of the Selection Committee for the post(s) of Group-A will be submitted to the Executive Council and orders of appointments will be issued only after the approval of the Executive Council.
19	The Selection Committee may decide its own criteria of evaluating the performance and knowledge / skill of the candidates in interview.
20	If two or more candidates are selected for the same post, the recommendations shall be made in order of merit of the selected candidates.
21	No recommendation should be made with a condition attached to it.
22	Number of posts advertised may be treated as tentative. The University shall have the right to increase/decrease/cancel the number of posts to be filled at the time of selection and make appointments accordingly and as per requirements.
23	The in-service candidates should apply through proper channel only and shall produce No Objection certificate at the time of interview.
24	Outstation candidates of Group – A Post(s) called for interview will be paid return fare of shortest route from his/her present communication address (India) and place of interview on production of journey proof after prior approval of Vice-Chancellor.
25	Canvassing in any form on behalf of any candidate will summarily disqualify such candidate.
26	The application forms will be accepted on payment of processing fee (non-refundable) prescribed by the University from time-to-time. However, the SC/ST/PWD candidates are exempted.
27	In cases of any disputes, any suites or legal proceedings against the University, the territorial jurisdiction shall be restricted to the High Court of Gujarat in whose jurisdiction the University is located.
28	<p>a) <u>Deputation with provision for Absorption:</u></p> <p>In case the appointment is made on deputation basis, the incumbent may be allowed to continue for a maximum period of Ten years or till he/she attains the age of the superannuation prescribed for that particular cadre whichever is earlier, as per F. No. 8-9/2008-T.S.I dt. 28/12/2011 of MHRD, Department of Higher Education, Government of India and as amended from time to time. The appointment on deputation may be made initially for a period of two years which may be extended on yearly basis up to a maximum period of ten years subject to satisfactory performance, good behaviour and high integrity. The University, however, shall have the right to repatriate the incumbent any time even before the prescribed period in case his/her performance, integrity or conduct is found to be unsatisfactory at any stage according to the opinion of the competent authority or the repatriation of the officer against whose vacancy the deputationist was working. Ordinarily no person on deputation shall be absorbed in any cadre of the University after expiry of his/her deputation period. In case, it is decided in the interest of the University to absorb any such person, then the University Administration may take up the matter with his/her parent organization for concurrence after obtaining the option of the deputed person concerned. After obtaining the consent of the parent department, the case shall be placed before the Executive Council for a final decision. In case he/she is absorbed in the University, he/she will be placed at the bottom of the seniority in that particular cadre as per the Govt. of India rules.</p> <p>b) <u>Promotion Policy:</u></p> <p>Appointment to a post in any grade by promotion shall be made, whether in permanent or officiating capacity, from amongst employees serving in posts in the next lower grade in a service, subject to such conditions of eligibility as may be prescribed by the Executive Council.</p> <p>Every appointment by promotion shall be on the basis of qualifications, suitability, past performance and conduct, as evident in the Annual Performance Appraisal Report and departmental examinations wherever applicable. Besides due regard to seniority, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, constituted for the purpose from time to time.</p> <p>The scales of pay for the posts in various cadres of employees shall be as prescribed by the GOI/ UGC from time to time, and emoluments shall be drawn at the minimum of the scale or at such higher stage as may be fixed in accordance with the rules prescribed:</p>

	<p>Provided that the pay scales may be revised from time to time by GOI/UGC and upon such revision, every employee shall have an option, to be exercised in writing within a prescribed time limit, as to the pay scale in which he/she shall draw his/her emoluments.</p> <p>1) Constitution of Departmental Promotion Committee (DPC)</p> <p>GROUP - A The constitution of the Departmental Promotion Committee for promotion to non-teaching posts higher than or equivalent to the grade pay of Rs.5,400/- (or the equivalent slab in the revised scale) will be as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vice-Chancellor - Chairman (or PVC in case VC is not available) 2) Two members of the Executive Council of whom at least one in the service of the University to be nominated by the Vice-Chancellor 3) Finance Officer or Controller of Examinations 4) Head of the Department/Section concerned 5) Two persons who are not in the service of the University to be nominated by the Vice-Chancellor, one of whom shall be SC/ST category, a woman and a minority community person in case any of the candidates appearing for the posts belong to such categories and such representation is already not made by virtue of the other members. 6) Registrar - Member Secretary <p>GROUP B The constitution of the Departmental Promotion Committee for promotion to non-teaching posts higher than the grade pay of Rs.2,800/- but not exceeding Rs.5,400/- (or the equivalent slab in the revised scale) be as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pro Vice-Chancellor/Registrar - Chairman 2) One member of the Executive Council of whom at least one in the service of the University to be nominated by the Vice-Chancellor 3) Finance Officer or Controller of Examinations 4) Head of the Department/Section concerned 5) Two persons who are not in the service of the University to be nominated by the Vice-Chancellor, one of whom shall be SC/ST category, a woman and a minority community person in case any of the candidates appearing for the posts belong to such categories and such representation is already not made by virtue of the other members. 6) Registrar/Joint Registrar/Dy.Registrar (Administration) - Member Secretary <p>GROUP C The constitution of the Departmental Promotion Committee for promotion to non-teaching posts with the maximum grade pay of Rs.2,800/- (or the equivalent slab in the revised scale) or below be as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Registrar - Chairman 2) Dean of School or Head of the Section concerned 3) Finance Officer or Controller of Examinations 4) Two persons who are not in the service of the University to be nominated by the Vice-Chancellor, one of whom shall be SC/ST category, a woman and a minority community person in case any of the candidates appearing for the posts belong to such categories and such representation is already not made by virtue of the other members. 5) Joint/Deputy Registrar (Administration) – Member Secretary
29	<p>General Terms and Conditions of recruitments:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mere possession of eligibility conditions shall not entitle a candidate to be called for interview. The date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the closing date as prescribed in the advertisement for receipt of the applications. In other words no candidate shall be called for interview if he does not possess the minimum qualification and experience etc. as on the closing date of the application for a particular post. 2) Apart from possessing the requisite qualification and experience as on the closing date of receipt of application prescribed in the advertisement, any additional qualification and experience acquired after the closing date may be taken into account at the time of selection. The experience in different fields as prescribed in eligibility criteria against any particular post shall be calculated by taking into account either in one field exclusively or by counting more than one field as the case may be.

- 3) The claims made in the application by the candidate at the time of recruitment or any time after the appointment shall also be scrutinized/verified at any stage and in case any claim is found to be false, the appointment shall be liable to be terminated/cancelled. An undertaking from all the candidates shall be taken to the effect that the certificates of experience, qualification or testimonials submitted are genuine and not fake, manufactured, manipulated or pirated. In case it is detected by the employer at any point of time even after employment that his academic credentials are without standing, fake or substandard or his documents are false, fabricated, manufactured, his/her services shall be terminated forthwith by giving him/her a notice for which the candidate shall have no objection.
- 4) It is the responsibility of the candidate to assess his own eligibility for the post for which he/she is applying in accordance with the prescribed qualification, experience etc. and submit his application duly filled-in along with the desired information, documents and other supporting materials as per the advertisement. Suppression of factual information, supply of fake documents, providing false or misleading information or any other undesirable action by the candidate shall lead to cancellation of his candidature. In case, it is detected at any point of time in future even after appointment that the candidate was not eligible as per the prescribed qualification, experience etc. which could not be detected at the time of interview due to whatever circumstances, his appointment shall be liable to termination forthwith as per this clause and also based on his undertaking. This must be mentioned in the letter of offer and appointment clearly. With regard to any ambiguity relating to the recruitment rules in general and eligibility in respect of any post in particular, the decision of the Competent Authority as the case may be shall be final.
- 5) Acceptance of documents/certificates/claims etc. submitted by an applicant will be subject to their verification by the competent authorities/sources. If, any claim /certificate / document is found to be false/fake/incorrect/ malafide at any stage of verification before or after appointment, the document in question shall be summarily rejected and action may be initiated against the candidate for this misconduct including rejection of his candidature which shall lead to cancellation of his appointment, if already appointed.
- 6) If at any stage of the recruitment process or employment, it is detected that there is a wilful suppression of factual information relating to the eligibility or otherwise as a candidate, followed by supply of fake documents / or misleading statement/information in the application or tampering of documents or providing such information relating to the caste, educational qualifications, experience or domicile etc. the candidature shall be cancelled and services shall be terminated forthwith, if already appointed.
- 7) The persons appointed against any post shall be governed by the Act, Statutes, Ordinances, Rules, and Regulations governing the Terms and Conditions of service /method of recruitments as amended from time to time and resolutions of the Executive Council of the University and rules of the Govt. of India/Guidelines of the UGC adopted by the University from time-to-time.
- 8) The appointment of a fresh candidate will be subject to police verification. Until the police verification report is received, the appointment shall be treated as provisional, which should be mentioned clearly in the letter of appointment. In case, the report of the police with regard to his conduct, character, antecedents etc. is not found to be satisfactory, the provisional appointment shall be withdrawn/cancelled/terminated forthwith without notice.
- 9) The selected candidate will also have to undergo a medical examination/test to ascertain his/her medical fitness for the post prior to joining. In case, he/she is not found to be fit by the medical authorities, the offer of appointment shall be treated as withdrawn. The persons already holding employment under Government or autonomous Bodies, may submit Medical Fitness Certificate from any Government Hospital at the place of his/her work duly countersigned by the Civil Surgeon or Chief Medical Officer of the concerned district.
- 10) The terms & conditions of appointment shall be communicated in the "Offer of Appointment" to the Selected Candidates. If the candidate does not accept the terms and conditions mentioned in the offer of appointment letter within the stipulated time period, the offer will be treated as withdrawn and no further communication shall be entertained in this regard. The Competent Authority reserves the right to enhance the scope of the nature of duties and can assign any duty to any employee at any point of time even during Sundays and holidays including night duties in the exigency of service and in the interest of the University irrespective of the fact that such duties do not come under the already notified duties for any post. The University administration notwithstanding the schedule of five-day week in its working may also direct any employee to work for six days in a week at its discretion depending upon the exigency of service and in the interest of the organization.
- 11) All direct recruits are expected to work in a computerized environment
- 12) The selected person will be required to arrange his/her own accommodation as per his/her convenience.
- 13) The selected candidate shall be governed by the "New Pension Scheme" and "Pension Rules" of the Govt. of India as the case may be whichever applicable in force from time to time.
- 14) The Selected candidates shall be governed by University Rules/Regulations and also the CCS (Conduct) Rules, 1964 and CCS (CCA) Rule, 1965 of the Government of India as amended from time to time or any other rules of the Govt. of India as adopted by the University.
- 15) The candidate applying for non-teaching posts should send the self-attested copies of all certificates relating to his/her educational qualifications, experience, age, caste and other testimonials along with

	<p>his/her application. Failure to submit the documents without attestation shall lead to cancellation of candidature. In case the application of any applicant is not supported by the desired enclosures including certificates, mark sheets and publications, his candidature shall be summarily rejected and no correspondence shall be entertained thereafter. The candidates must be instructed to submit a list of enclosures to avoid any confusion in this regard.</p> <p>16) A relaxation of 5% may be allowed from 55% to 50% of the marks at the Master's level for the SC/ST, PWD categories as per the guidelines of the UGC/ Govt. of India. The minimum requirements of 55% shall not be insisted upon for the existing incumbents who are already in the University system. However, it should be insisted upon for those entering the system afresh as specified by the UGC vide their letter No.F3-2/99(PS) dated 23.6.1999. Further, as per the guidelines of the UGC communicated vide their letter No.F.1-4/2007(SCT) dated 29.09.2008, the University will decide the 'Good Academic Record' at the graduation level and will also provide 5% relaxation to the SC/ST candidates at the graduation level for the appointment on the concern posts</p> <p>17) Notwithstanding, the qualification requirements prescribed for the posts, i.e. Library Attendant, Peon/Office Attendant, Care Taker, Multi-Tasking Staff, Hostel Attendant, Medical Attendant; the Screening Committee may consider the multi-skilled candidates such as driving of staff car, electrical works, pump operation & plumbing works, carpentering, mason, farm labour, lift operation etc. duly supported by a proper certificate of experience of ITI or any other similar experience certificates issued by the recognized institutes. In case the candidates with aforementioned skills respond to any advertisement of the University for such posts, preference will be given to these candidates to be called for interview irrespective of the fact that they may not be having relevant experience of the post which has been advertised. This criteria may clearly be mentioned in the advertisement in the following manner:- "Preference may be given to the multi skilled candidates having experience such as driving of staff car, electrical works, pump operation & plumbing works, carpentering, mason, farm labour, lift operation subject to production of ITI Certificate or experience certificate from a reputed institute/organization" In such cases relevant experience may not be insisted upon as a person with the above-mentioned experience/trade.</p> <p>18) Candidate should bring all original certificates relating to his/her age, qualification, experience and caste etc. at the time of interview. In case the candidate fails to submit the original documents for verification of the certified/Xerox copies of the enclosures to his/her application, he or she shall not be allowed to appear at the interview and his candidature shall be treated as cancelled without any further communication in this regard.</p> <p>19) The University reserves the right to fill or not to fill up the posts advertised for any reasons whatsoever. If any vacancy arises after recruitment to a particular post due to whatsoever reasons, the vacancy may be filled up from the panel of that post within a period of one year from the date of selection committee. In any case every panel shall be treated as invalid after one year w.e.f. the date of the meeting of the Selection Committee.</p>																
30	The qualifications, experience and age etc., required for different posts are set out as given below and for such other posts that may be created in future, the same shall be prescribed in these rules as approved by the Executive Council in accordance with the GOI / UGC Guidelines.																
STATUTORY POSTS																	
1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Name of the Post</td> <td>REGISTRAR</td> </tr> <tr> <td>No. of Posts</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Classification</td> <td>Group A</td> </tr> <tr> <td>Pay Band</td> <td>Rs.37,400 - Rs.67,000/-</td> </tr> <tr> <td>Grade Pay</td> <td>Rs.10,000/-</td> </tr> <tr> <td>Whether Selection post or Non-Selection post</td> <td>Selection</td> </tr> <tr> <td>Age limit</td> <td>Preferably below 57 years.</td> </tr> <tr> <td>Educational and other qualifications.</td> <td>Essential: (1) A Master's degree with at least 55% of marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC seven point scale. (2) At least 15 years of experience as Assistant Professor in AGP of Rs. 7000 and above or with eight years service in AGP Rs.</td> </tr> </table>	Name of the Post	REGISTRAR	No. of Posts	1	Classification	Group A	Pay Band	Rs.37,400 - Rs.67,000/-	Grade Pay	Rs.10,000/-	Whether Selection post or Non-Selection post	Selection	Age limit	Preferably below 57 years.	Educational and other qualifications.	Essential: (1) A Master's degree with at least 55% of marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC seven point scale. (2) At least 15 years of experience as Assistant Professor in AGP of Rs. 7000 and above or with eight years service in AGP Rs.
Name of the Post	REGISTRAR																
No. of Posts	1																
Classification	Group A																
Pay Band	Rs.37,400 - Rs.67,000/-																
Grade Pay	Rs.10,000/-																
Whether Selection post or Non-Selection post	Selection																
Age limit	Preferably below 57 years.																
Educational and other qualifications.	Essential: (1) A Master's degree with at least 55% of marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC seven point scale. (2) At least 15 years of experience as Assistant Professor in AGP of Rs. 7000 and above or with eight years service in AGP Rs.																

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of recruitment</p> <p>Job Description</p> <p>Composition of the Selection Committee.</p> <p>Appointing authority</p>	<p>8000 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration. Or comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education. Or 15 years of administrative experience of which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post.</p> <p>Not applicable</p> <p>Direct recruitment/transfer/deputation for a term of five years. Eligible for re-appointment, and would retire on attaining the age of 62 years.</p> <p>The Registrar should have wide-ranging experience in all aspects of university management. Registrar will be the head of the administrative office of the university, beside being ex-officio Secretary to the University Court, Executive Council and Academic Council, the Statutory Bodies of the university. Further, Registrar will also perform such of the duties as have been specified in the University Act, Statutes, Ordinances, Rules and Regulations as may be required by the Statutory Bodies and the Vice-chancellor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor - Convener and Chairman. 2. A nominee of the Visitor. 3. Two Members of the EC nominated by it. 4. One person not in service of the University nominated by the Executive Council. 5. Two experts in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 6. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>Executive Council.</p>
2	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non-Selection post</p> <p>Age limit for Direct Recruitment</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>FINANCE OFFICER</p> <p>1</p> <p>Group A</p> <p>Rs.37,400 - Rs.67,000/-</p> <p>Rs.10,000/-</p> <p>Selection</p> <p>Preferably below 57 years.</p> <p>Essential:</p> <p>(1) A Master's degree with at least 55% of marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC seven point scale. (2) At least 15 years of experience as Assistant Professor in AGP of Rs. 7000 and above or with eight years service in AGP Rs. 8000 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration. Or comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education. Or 15 years of</p>

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment</p> <p>Job Description.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Appointing authority</p>	<p>administrative experience of which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post.</p> <p>Not applicable</p> <p>Direct recruitment/transfer/deputation for a term of five years. Eligible for re-appointment, and would retire on attaining age of 62 years.</p> <p>Perform such of the duties as have been specified in the University Act, Statutes, Ordinance, Rules and Regulations as may be required by the Statutory Bodies and the Vice-chancellor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor - Convener and Chairman. 2. A nominee of the Visitor. 3. Two Members of the EC nominated by it. 4. One person not in service of the University nominated by the Executive Council. 5. Two experts in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 6. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>Executive Council.</p>
3	<p>Name of the Post</p> <p>No. of posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non-Selection post</p> <p>Age limit for Direct Recruitment</p> <p>Educational qualifications and Experience</p>	<p>CONTROLLER OF EXAMINATIONS</p> <p>1</p> <p>Group A</p> <p>Rs.37,400- Rs.67,000/-</p> <p>Rs.10,000/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 57 years</p> <p>Essential: (1) Master's Degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven-point scale. (2) At least 15 years of experience as Assistant Professor in the AGP of Rs. 7000/- and above or with eight years of service in the AGP of Rs. 8000/- and above including as Associate Professor along with experience in Educational Administration OR Comparable experience in research establishment and / or other institutions of higher education. OR 15 years of administrative experience of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.</p>

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Not applicable</p> <p>Direct recruitment/transfer/deputation for a term of five years. Eligible for re-appointment, and would retire on attaining on age of 62 years.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor - Convener and Chairman. 2. A nominee of the Visitor. 3. Two Members of the EC nominated by it. 4. One person not in service of the University nominated by the Executive Council. 5. Two experts in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 6. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category) <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>Executive Council</p>
4	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Academic Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non-Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of recruitment</p> <p>Job Description</p>	<p>LIBRARIAN</p> <p>1</p> <p>Group A</p> <p>Rs.37,400 - Rs.67,000/-</p> <p>Rs.10,000/-</p> <p>Selection</p> <p>57 years</p> <p>Essential: (1) Master's degree in Library Science / Information Science / Documentation with at least 55% of marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC seven point scales and consistently good academic record set out in the UGC Regulations 2010. (2) At least 13 Years' experience as Deputy Librarian in University library or 18 years' experience as a College Librarian (3) Evidence of innovative Library service and organization of published work.</p> <p>Desirable: M. Phil. / Ph. D Degree in Library Science / Information Science / Documentation / Archives and Manuscript Keeping.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment.</p>

<p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Perform such of the duties as have been specified in the University Act, Statutes, Ordinance, Rules and Regulations as may be required by the Statutory Bodies and the Vice-chancellor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor - Convener and Chairman. 2. A nominee of the Visitor. 3. Three experts in the concerned subject/field nominated by the Vice-Chancellor, out of the panel of names approved by the Executive Council. 4. Dean of the Faculty, if applicable. 5. Head of the Department/School. 6. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category) <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>The overall selection procedure shall incorporate transparent, objective and credible methodology of analysis of the merits and credentials of the applicants based on weightages given to the performance of the candidate in different relevant dimensions and his/her performance on a scoring system Performa, based on the Academic Performance Indicators (API) as provided in UGC regulations 2010.</p> <p>62 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Executive Council</p>
--	---

CADRE NAME: ADMINISTRATIVE AND MINISTERIAL

1	<p>Name of the Post</p> <p>No. of posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non-Selection post</p> <p>Age limit for Direct Recruitment</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>DEPUTY REGISTRAR</p> <p>2</p> <p>Group A</p> <p>Rs.15,600 – Rs.39,100/-</p> <p>Rs.7,600/- (Teachers appointed to the post of Deputy Registrar and equivalent shall be entitled to appropriate Grade Pay for these categories of posts and shall not retain Academic Grade Pay of the teaching posts held).</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 40 years for direct recruits.</p> <p>Essential: (1) Master's Degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven-point scale. (2) Nine years of experience as Assistant Professor in the AGP of Rs.6,000/- and above with experience in educational administration. OR Comparable experience in research establishment and / or</p>
---	---	--

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>other institutions of higher education. OR five years of administrative experience as Assistant Registrar or in an equivalent post.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>a) 75% of the posts of Deputy Registrar shall be filled by direct recruitment by way of written test(s) at the discretion of the University, followed by interview.</p> <p>b) 25% of the posts of Deputy Registrar shall be filled by promotion from among eligible Assistant Registrar working in the University as the case may be, failing which by deputation.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor – Chairman. 2. Pro-Vice-Chancellor 3. Two experts not in service of the University in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One Member of the EC nominated by it. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Registrar-Ex-officio Member Secretary. <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Executive Council</p>
2	<p>Name of the Post</p> <p>No. of posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non-Selection post</p> <p>Age limit for Deputation</p> <p>Qualifications and experience</p>	<p>INTERNAL AUDIT OFFICER</p> <p>1</p> <p>Group A</p> <p>Rs.15,600 – Rs.39,100/-</p> <p>Rs.7,600/-</p> <p>Not Applicable (To be filled up on deputation for a maximum period of 5 years)</p> <p>Not more than 56 years on the last date for receiving the applications.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Officers holding analogous posts on regular basis from the Office of AG/CAG, OR five years regular service in the Pay Band Rs.15,600-39,100/- Grade Pay of Rs.6,600/- from Central / State Government, Universities and other Autonomous Organizations. (2) Good knowledge of computer applications.

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Not applicable.</p> <p>Deputation by way of interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor – Chairman. 2. Pro-Vice-Chancellor 3. Two experts not in service of the University in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One Member of the EC nominated by it. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Registrar-Ex-officio Member Secretary. <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Executive Council</p>
3	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>ASSISTANT REGISTRAR</p> <p>3</p> <p>Group A</p> <p>Rs.15,600 – Rs.39,100/-</p> <p>Rs.5,400/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years in case of direct recruitment</p> <p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For direct recruitment: Master’s Degree with at least 55% of marks or its equivalent grade of B in the UGC seven-point scale along with Good Academic Record. 2. For promotion: Five years of regular service in the lower grade i.e. section officer or its equivalent. <p>(Minimum Educational Qualification mentioned above shall not apply in the case of promotion).</p>

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment,</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>One year, extendable by one more year (for direct recruitee). Two years for promotee.</p> <p>a) 50% of the posts shall filled by Promotion from the immediate lower grade failing which by deputation. b) Remaining 50% of posts through direct recruitment by way of written test(s) at the discretion of the University, followed by interview.</p> <p>For direct recruitment:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor – Chairman. 2. Pro-Vice-Chancellor 3. Two experts not in service of the University in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One Member of the EC nominated by it. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Registrar-Ex-officio Member Secretary. <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Executive Council</p>
4	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>PUBLIC RELATION OFFICER (PRO)</p> <p>1</p> <p>Group A</p> <p>Rs. 15,600 - Rs.39,100/-</p> <p>Rs.5,400/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years.</p> <p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Master's Degree in Communication and Journalism with First or Higher II Class from any Indian University or a corresponding degree from a foreign University; and (2) Atleast five years of experience as a Editor/Sub-Editor/Deputy Editor / Correspondent / Public Relation Officer in the Editorial Department / Centre of any Established English / Hindi Newspapers / Periodical Accredited with ABC, National News Agencies, Radio or Television, Film media, reputed advertising agencies.

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment,</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Desirable: Knowledge of two or more additional Indian Languages out of which one preferably may be Gujarati.</p> <p>One year, extendable by one more years.</p> <p>Direct recruitment.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor – Chairman. 2. Pro-Vice-Chancellor 3. Two experts not in service of the University in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One Member of the EC nominated by it. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Registrar-Ex-officio Member Secretary. <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Executive Council</p>
GROUP B POST(S)		
5	<p>Name of the Post</p> <p>No. of posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit for Direct Recruitment</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>SECTION OFFICER</p> <p>5</p> <p>Group B</p> <p>Rs.9,300 - Rs.34,800/-</p> <p>Rs.4,600/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years in case of direct recruitment.</p> <p>Essential: (a) For direct recruitment: (1) A Bachelor degree from a recognized University (2) Atleast 5 years' experience as a Superintendent / Assistant in Administration /Accounts, preferably in a junior supervisory post in a University/ Government/ Public/ Private Undertaking of repute (in case of direct recruitment). Desirable: Good knowledge of computer applications.</p> <p>(b) For promotion: (1) A Bachelor degree from a recognized University (2) Atleast 3 years' experience as a Assistant in Administration/Accounts.</p>

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>One year, extendable by one more year.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. By direct recruitment –60% by way of written tests/ skill test followed by interview. 2. By promotion – <ol style="list-style-type: none"> a. 20%; through Limited Department Competence Exam with minimum 50% aggregate marks failing which by deputation. b. By promotion – 20%; through seniority cum fitness on the recommendation of DPC. <p>For direct recruitment</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 5. Head of the Department concerned. 6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
6	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Post</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit for Direct Recruitment</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>ASSISTANT</p> <p>08</p> <p>Group B</p> <p>Rs.9,300 - Rs.34,800/-</p> <p>Rs.4,200/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years.</p> <p>Essential:</p> <p>i. For direct recruitment: (1) A bachelor's degree from a recognized university. (2) At least five years' experience in Administration and Establishment /Accounts and Finance/HR/Purchase work of which at least 3 years should be as UDC or equivalent in a University / Govt. / Public / Private Sector/Undertaking of repute.</p>

	<p>Desirable: Good knowledge of computer applications.</p> <p>ii. For promotion: (1) A bachelor's degree from a recognized university. (2) At least three years' experience as a UDC in administrative/accounts work or equivalent in the University.</p> <p>Period of probation (if, any) One year, extendable by one more year.</p> <p>Method of Recruitment</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. By direct recruitment –60% by way of written tests/ skill test followed by interview. 2. By promotion – <ol style="list-style-type: none"> a. 20%; through Limited Department Competence Exam with minimum 50% aggregate marks failing which by deputation. b. By promotion – 20%; through seniority cum fitness on the recommendation of DPC. <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>For direct recruitment</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 5. Head of the Department concerned. 6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary. <p>Age of Superannuation</p> <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>Appointing authority</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>	
GROUP C POST(S)		
7	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p>	<p>UPPER DIVISION CLERK (UDC)</p> <p>09</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.2,400/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years.</p>

	<p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Essential: i. For Direct recruitment: (1) A University degree. (2) At least three years' experience in Administration and Establishment /Accounts and Finance/HR/Purchase work or equivalent in a University / Govt. / Public / Private Sector/Undertaking of repute. Desirable: Good knowledge of computer applications</p> <p>ii. For promotion : (1) A University degree. (2) At least 3 years' experience as LDC in the University. Good knowledge of computer applications</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>a) By Direct Recruitment – 60% b) By promotion – 40% through seniority cum fitness on the recommendation of DPC.</p> <p>For direct recruitment</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
8	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p>	<p>LOWER DIVISION CLERK (LDC)</p> <p>15</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.1,900/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 30 years.</p>

	<p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Essential: (1) 12TH Class or equivalent qualification from recognized board / University (2) Typing speed of 35 w.p.m. in English on computer.</p> <p>Desirable: (1) Good knowledge of computer applications (2) Graduate from a recognized University.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>a) 85% of total post by direct recruitment by way of written tests and typing test followed by interview. b) 10% of vacancies shall be filled from amongst the Group C Staff in the grade pay Rs. 1800 and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the SC/ST).</p> <p>Note: If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (b) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p>c) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have atleast 5 years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800.</p> <p>For direct recruitment</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
9	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p>	<p>PEON / ATTENDANT AND MTS</p> <p>6</p>

Classification	Group C
Pay Band	Rs.5,200 - Rs.20,200/-
Grade Pay	Rs.1,800/-
Whether Selection post or Non Selection post	Selection
Age limit	Not more than 30 years.
Educational and other qualifications.	Essential: 10th Class pass from a recognized Board or its equivalent. Preference will be given to the candidate having experience of driving of staff car / electrical works / pump operation & plumbing works / carpentering / mason / farm labour / lift operation / office work etc. which duly supported by a proper certificate of experience of ITI or any other similar experience certificates issued by the recognized institutes.
Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more years.
Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment by way of skill test followed by interview.
Composition of the Selection Committee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary.
Age of Superannuation	At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.
Appointing authority	60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time. Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).
CADRE NAME: OFFICIAL LANAUGE (RAJBHASHA)	
GROUP A POST	
1	HINDI OFFICER
Name of the Post	
No. of Post	1
Classification	Group A
Pay Band	Rs.15,600 - Rs.39,100/-
Grade Pay	Rs.5,400/-

	Whether Selection post or Non Selection post	Selection
	Age limit for Direct Recruitment	Not more than 40 years.
	Educational and other qualifications.	Essential: (1) A Post Graduate with minimum of 55% marks from a recognized University in Hindi with English as one of the subjects at Graduation Level. (2) Minimum 5 years of experience in translation from English to Hindi and vice-versa which includes technical/Scientific literature work/Hindi research work/journalism in Central/State Govt./PSU/Reputed Institutions. (3) Good knowledge of computer applications.
	Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more year.
	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment by way of interview.
	Composition of the Selection Committee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor – Chairman. 2. Pro-Vice-Chancellor 3. Two experts not in service of the University in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One Member of the EC nominated by it. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Registrar-Ex-officio Member Secretary.
	Age of Superannuation	At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum. 60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.
	Appointing authority	Executive Council
		GROUP B POST
2	Name of the Post	HINDI TRANSLATOR
	No. of Posts	1
	Classification	Group B
	Pay Band	Rs.9300 - Rs.34800
	Grade Pay	Rs. 4200

	<p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit for Direct Recruitment</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Selection</p> <p>Not more than 30 years.</p> <p>Essential: (1) A Post Graduate degree with English/Hindi as main subject from a recognized University (2) English/Hindi as a optional subject at graduation level or English/Hindi is a medium of examination at degree level. (3) Recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English or vice versa. (4) Two years experience as a translator Hindi to English or English to Hindi in Central/State Government or Autonomous Bodies. (5) Good knowledge of computer applications</p> <p>Desirable: Knowledge of Sanskrit or other Indian language.</p> <p>One year, extendable by <i>one</i> more years.</p> <p>Direct recruitment by way of interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 5. Head of the Department concerned. 6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
	GROUP C POST	
3	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p>	<p>HINDI TYPIST</p> <p>1</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.1,900/-</p>

	<p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Selection</p> <p>Not more than 25 years.</p> <p>Essential: (1) Pass in 12th Standard or equivalent (2) 25 words per minute in Hindi Typing. (3) Good knowledge of computer applications</p> <p>Desirable: Knowledge of English Typing.</p> <p>One year, extendable by one more years.</p> <p>Direct recruitment by way of skill test followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar (Administration) – Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
CADRE NAME: ENGINEERING		
GROUP A POST		
1	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Post</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p>	<p>EXECUTIVE ENGINEER</p> <p>1</p> <p>Group A</p> <p>Rs.15,600 - Rs.39100/-</p> <p>Rs.6600/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 40 years.</p>

	<p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment,</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Essential: (1) A Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University/Institutions; with 10 years of experience in designing systems and construction of building, road, sanitary and water supply systems, including their maintenance of which 5 years' experience as Assistant Engineer or comparable post.</p> <p>Desirable: (1) Post Graduate Degree in structures. (2) Good knowledge of computer applications.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment/deputation by way of written test(s) followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor – Chairman. 2. Pro-Vice-Chancellor 3. Two experts not in service of the University in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One Member of the EC nominated by it. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Registrar-Ex-officio Member Secretary. <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Executive Council</p>
GROUP B POST		
2	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>ASSISTANT ENGINEER</p> <p>1</p> <p>Group B</p> <p>Rs.9,300 - Rs.34,800/-</p> <p>Rs.4,600/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years.</p> <p>Essential: A Degree in Civil Engineering with five years experience of supervising of civil works with Government / University / Government approved contractor.</p> <p>Desirable: Good knowledge of computer applications.</p>

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment/deputation by way of written tests followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 5. Head of the Department concerned. 6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
3	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>JUNIOR ENGINEER (CIVIL)</p> <p>1</p> <p>Group B</p> <p>Rs.9,300 - Rs.34,800/-</p> <p>Rs.4,200/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years</p> <p>(1) A Degree in Civil Engineering with atleast three years experience, OR (1) A Diploma in Civil Engineering with five years experience. The experience should be in the supervision of erection / maintenance of Civil Works with the Government / University establishment.</p> <p>Desirable: Good knowledge of computer applications.</p>

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment/deputation by way of written tests/skill test followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 5. Head of the Department concerned. 6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
4	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>JUNIOR ENGINEER (ELECTRICAL)</p> <p>1</p> <p>Group B</p> <p>Rs. 9,300 - Rs.34,800/-</p> <p>Rs. 4,200/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years</p> <p>Essential: (1) A Degree in Electrical Engineering with atleast three years experience, OR (1) A Diploma in Electrical Engineering with five years experience. The experience should be in the supervision of erection / maintenance of Electrical Works with the Government / University establishment.</p> <p>Desirable: Good knowledge of computer applications.</p>

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment/deputation by way of written tests/skill test followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 5. Head of the Department concerned. 6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor)</p>
CADRE NAME: SECRETARIAL		
GROUP B POST		
1	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>PRIVATE SECRETARY</p> <p>5</p> <p>Group B</p> <p>Rs.9,300 - Rs.34,800/-</p> <p>Rs.4,600/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 40 years</p> <p>Essential: (1)Graduate in any discipline. (2) Qualified in the examination in secretarial practice conducted by State/Central Government or any registered Institutions of repute. (3) At least five years experience as Personal Assistant in a University / Govt. / Public / Private / Undertaking of repute. (4) English Stenography speed: 120 wpm; English Type-writing speed: 40 wpm. (For Direct recruitment only)</p>

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Desirable: (1) Knowledge of Hindi Typewriting (2) Good knowledge of computer applications</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 80% of the posts by direct recruitment- by way of written tests/ skill test followed by interview. 2. 20% of the posts By promotion; amongst the personal assistant having not less than 3 years continuous service through Limited Department Competence Exam with minimum 50% aggregate marks failing which by deputation. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 5. Head of the Department concerned. 6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
2	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>PERSONAL ASSISTANT</p> <p>3</p> <p>Group B</p> <p>Rs.9,300 - Rs.34,800/-</p> <p>Rs.4,200/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years.</p> <p>Essential: (1) A University Degree with proficiency in English. (2) English Stenography speed - 100 wpm; English Typewriting speed - 50 wpm. (3) Atleast five years experience as Jr. Stenographer in a University / Govt./ Public / Private / Sector Undertakings of repute.</p>

	<p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Desirable: Good knowledge of computer applications.</p> <p>One year, extendable by one more years.</p> <p>Direct recruitment/deputation/contract by way of written tests/skill test followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 5. Head of the Department concerned. 6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
CADRE NAME: LIBRARY		
GROUP A POST		
1	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Academic Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non-Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p>	<p>DEPUTY LIBRARIAN</p> <p>01</p> <p>Group A</p> <p>Rs.37,400 - Rs.67,000/-</p> <p>Rs.8000/-</p> <p>Selection</p> <p>57 years</p> <p>Essential: (1) Master's degree in Library Science / Information Science / Documentation with at least 55% of marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC seven point</p>

	<p>scales and consistently good academic record set out in the UGC Regulations 2010. (2) At least 05 Years' experience as Assistant Librarian in University/College library (3) Evidence of innovative Library service and organization of published work and professional commitment, computerization of library.</p> <p>Desirable: M. Phil. / Ph. D Degree in Library Science / Information Science / Documentation / Archives and Manuscript Keeping.</p> <p>Period of probation (if, any) One year, extendable by one more year.</p> <p>Method of recruitment Direct recruitment.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor - Convener and Chairman. 2. A nominee of the Visitor. 3. Three experts in the concerned subject/field nominated by the Vice-Chancellor, out of the panel of names approved by the Executive Council. 4. Dean of the Faculty, if applicable. 5. Head of the Department/School. 6. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category) <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>The overall selection procedure shall incorporate transparent, objective and credible methodology of analysis of the merits and credentials of the applicants based on weightages given to the performance of the candidate in different relevant dimensions and his/her performance on a scoring system Performa, based on the Academic Performance Indicators (API) as provided in UGC regulations 2010.</p> <p>Age of Superannuation 60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Appointing authority Executive Council.</p>
2	<p>ASSISTANT LIBRARIAN</p> <p>No. of Posts 2</p> <p>Classification Group A</p> <p>Pay Band Rs.15,600 - Rs.39,100/-</p> <p>Academic Grade Pay Rs.6,000/-</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post Selection</p> <p>Age limit Not more than 40 years</p> <p>Educational and other qualifications. Essential: (1) Master's Degree in Library Science/Information Science / Documentation</p>

	<p>Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently Good Academic Record with knowledge of computerization of Library. (2) Qualifying in the National Level Test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. (3) However candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree). Regulations 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment</p> <p>The overall selection procedure shall incorporate transparent, objective and credible methodology of analysis of the merits and credentials of the applicants based on weightages given to the performance of the candidate in different relevant dimensions and his/her performance on a scoring system Performa, based on the Academic Performance Indicators (API) as provided in UGC regulations 2010.</p> <p>Period of probation (if, any) One year, extendable by one more year.</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods. Direct recruitment.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor – Chairman. 2. Three experts in concerned subject nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of the names approved by the Executive Council. 3. Dean of the concerned faculty, wherever applicable. 4. Head/Chairperson of the Department/School 5. An academician nominated by the Visitor 6. An academician, representing SC/ST/OBC/Minority/Women /Differently abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the Selection Committee do not belong to that category. <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>Age of Superannuation 60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Appointing authority Executive Council</p>
3	<p>Name of the Post INFORMATION SCIENTIST</p> <p>No. of Posts 1</p> <p>Classification Group A</p> <p>Pay Band Rs.15,600 - Rs.39,100/-</p> <p>Grade Pay Rs.5400/-</p> <p>Whether Selection post or Selection</p>

<p>Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Not more than 40 years.</p> <p>Essential: Minimum Qualifications: 1. Bachelor's Degree in Computer Engineering OR 2. Master's Degree in Computer Application (MCA) OR 3. Master's Degree in Library and Information Science (M.Lib or M.Lib.Sc.) and Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) OR 4. Bachelor's Degree in Library and Information Science B.Lib or B.L.I.Sc) with three years' experience in the field and Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA).</p> <p>All Degrees/Diplomas shall be from recognized University / Institution with minimum 55% marks</p> <p>Desirable: Adequate experience in Computer software & other comparable experience in office automation/ e-governance/ ERP/ Networking.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor – Chairman. 2. Pro-Vice-Chancellor 3. Two experts not in service of the University in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One Member of the EC nominated by it. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Registrar-Ex-officio Member Secretary. <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Executive Council</p>
GROUP B POST	
4	<p>Name of the Post PROFESSIONAL ASSISTANT</p> <p>No. of Post 01</p> <p>Classification Group B</p> <p>Pay Band Rs.9,300 - Rs.34,800/-</p>

	Grade Pay	Rs.4,200/-
	Whether Selection post or Non Selection post	Selection
	Age limit for Direct Recruitment	Not more than 35 years.
	Educational and other qualifications.	Essential: 1. M. Lib/M. Lib. Sc or equivalent degree in Library/Information Sciences OR PG Diploma with B. Lib Information Science with 3 years' experience. OR Graduate with B.Lib. Information Science with 5 years' experience. 2. All Degrees/Diplomas shall be from recognized University / Institution with minimum 55% marks 3. Good knowledge of computer application
	Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more year.
	Method of Recruitment	Direct recruitment.
	Composition of the Selection Committee	1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 5. Head of the Department concerned. 6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary.
	Age of Superannuation	At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum. 60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.
	Appointing authority	Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).
		GROUP C POSTS
5	Name of the Post	<i>SEMI PROFESSIONAL ASSISTANT</i>
	No. of Posts	2
	Classification	Group C
	Pay Band	Rs.5,200 - Rs.20,200/-
	Grade Pay	Rs.2,800/-
	Whether Selection post or Non Selection post	Selection

	<p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Not more than 35 years</p> <p>Essential: For direct recruitment: Graduation in Library Science/Library & Information Science with at least 50% Marks from recognized University.</p> <p>Desirable:</p> <p>a) Atleast 5 years' experience in a Library of repute, and good knowledge of Library software applications.</p> <p>b) Master's Degree in Library/Library & Information Sciences or PG Diploma in Library Automation and Networking of PGDCA.</p> <p>ii. For promotion : (1) At least 3 years' experience as Library Assistant in the University.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>a) By Direct Recruitment – 50%</p> <p>b) <i>By promotion – 50% through seniority cum fitness on the recommendation of DPC.</i></p> <p>For direct recruitment</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar (Administration) – Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
6	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or</p>	<p>LIBRARY ASSISTANT</p> <p>2</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.2,000/-</p> <p>Selection</p>

	<p>Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Not more than 35 years.</p> <p>Essential: Graduation in Library Science/Library & Information Science from recognized University. Desirable: a) At least 3 years' experience in a Library of repute, and good knowledge of Library software applications. b) PG Diploma in Library Automation and Networking of PGDCA. c) Experience and practice of Typing/Data Entry Operation Or experience of working in a computerized library.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment by way of written tests/skill test followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
7	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p>	<p>LIBRARY ATTENDANT</p> <p>4</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.1,800/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years.</p> <p>Essential: 10 + 2 Class pass from a recognized Board or its equivalent with</p>

	<p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>certificate course in Library Science from recognized institute. Desirable: (1) Two years' experience working preferably in a University/College Library (2) Basic knowledge of computer applications.</p> <p>One year, extendable by one more years.</p> <p>Direct recruitment by way of written tests/ skill test followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
CADRE NAME: TRANSPORT		
GROUP C POST		
1	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p>	<p>DRIVER</p> <p>5</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.1,900/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years.</p> <p>Essential: (1) 10th Class Passed (2) Valid Driving License for Light / Medium / Heavy Vehicles having no adverse endorsement (3) Should have at least three years' experience</p> <p>One year, extendable by one more years.</p>

Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment by way of skill test to test the knowledge of vehicle operation and maintenance, and ability to rectify minor defects in the vehicle; followed by interview.
Composition of the Selection Committee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar (Administration) – Secretary.
Age of Superannuation	60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.
Appointing authority	Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).

CADRE NAME: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)**GROUP A POST**

1	Name of the Post	SYSTEM ANALYST
	No. of Posts	1
	Classification	Group A
	Pay Band	Rs.15,600 - Rs.39,100/-
	Grade Pay	Rs.5,400/-
	Whether Selection post or Non Selection post	Selection
	Age limit	Not more than 35 years in case of direct recruitment
	Educational and other qualifications.	<p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) M. Tech. (Computer Sc.) or I Class MCA with Five year experience in Computing at the level of System Analyst. or (2) I Class M.Sc. (Computer Sc./ Computer Software) with Six years' experience in computing at the level of System Analyst or (3) Master's Degree in Computer Science/ Computer Software / B.E. /B.Tech. in Computer Science / MCA with Candidates of proven ability and 5 years relevant experience in the industry/profession. <p>Desirable: Adequate experience in Computer Hardware and software & other comparable experience in office automation/ e-governance / ERP/ Networking.</p>
	Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more year

	Method of Recruitment, Composition of the Selection Committee Age of Superannuation Appointing authority	<p>Direct recruitment by way of written tests/skill test followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor – Chairman. 2. Pro-Vice-Chancellor 3. Two experts not in service of the University in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One Member of the EC nominated by it. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Registrar-Ex-officio Member Secretary. <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Executive Council</p>
		GROUP B POST
2	Name of the Post No. of Post Classification Pay Band Grade Pay Whether Selection post or Non Selection post Age limit for Direct Recruitment Educational and other qualifications. Period of probation (if, any) Method of Recruitment Composition of the Selection Committee	<p>SENIOR TECHNICAL ASSISTANT</p> <p>01</p> <p>Group B</p> <p>Rs.9,300 - Rs.34,800/-</p> <p>Rs.4,200/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years.</p> <p>Essential:</p> <p>B.Sc. (IT)/BCA/B. Tech (Computer)/B.E. (Computer) with at least five years' experience in e-governance/network maintenance /programming and web-enabled/local internet application system designing skills using C++/VB script/ASP/.NET/java script/advance java preferably in a University system.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment by way of written tests / skill test followed by interview</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council.

	Age of Superannuation Appointing authority	<p>4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category).</p> <p>5. Head of the Department concerned.</p> <p>6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar(Administration) - Secretary.</p> <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
		GROUP C POST
3	Name of the Post No. of Posts Classification Pay Band Grade Pay Whether Selection post or Non Selection post Age limit Educational and other qualifications. Period of probation (if, any) Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods. Composition of the Selection Committee	<p>TECHNICAL ASSISTANT</p> <p>1</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.2,800/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years</p> <p>Essential: B.Sc. (IT)/BCA/B. Tech (Computer)/B.E. (Computer) with at least two years' experience in e-governance/network maintenance preferably in a University system.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment by way of written tests / skill test followed by interview</p> <p>1. Registrar - Chairman. 2. Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection</p>

	Age of Superannuation	Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Joint Registrar/Deputy Registrar (Administration) – Secretary. At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum. 60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.
	Appointing authority	Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).
CADRE NAME: LABORATORY		
GROUP B POST		
1	Name of the Post	SENIOR TECHNICAL ASSISTANT
	No. of Post	02
	Classification	Group B
	Pay Band	Rs.9,300 - Rs.34,800/-
	Grade Pay	Rs.4,200/-
	Whether Selection post or Non Selection post	Selection
	Age limit for Direct Recruitment	Not more than 35 years.
	Educational and other qualifications.	Essential: First Class M.Sc. in Chemical Sciences/Life Sciences/Environmental Science/Physical Sciences/Instrumentation OR First Class B.Sc. in Chemical Sciences/Life Sciences/Environmental Science/Physical Sciences/Instrumentation with minimum five years of working and maintenance experience of sophisticated scientific Instruments in the Laboratory. <u>Desirable:</u> Strong background in chemistry/life science/environment science/physical science/instrumentation, data acquisition systems and computers. Ability to handle the repairing and maintenance work of the instruments.
	Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more year.
	Method of Recruitment	Direct recruitment by way of written test/skill test followed by interview
	Composition of the Selection Committee	1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case

	Age of Superannuation Appointing authority	<p>the candidates appearing belong to any of the above category).</p> <p>5. Head of the Department concerned.</p> <p>6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary.</p> <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
GROUP C POST		
2	Name of the Post No. of Posts Classification Pay Band Grade Pay Whether Selection post or Non Selection post Age limit Educational and other qualifications. Period of probation (if, any) Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods. Composition of the Selection Committee	<p>TECHNICAL ASSISTANT</p> <p>4</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.2,800/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years</p> <p>Essential: (1) B.Sc. in Chemical sciences/Life Sciences/Environmental science/Physical sciences/Instrumentation (2) At least three years' experience working in a research laboratory preferably attached with a recognized University.</p> <p>Desirable: Knowledge of Computer Applications.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment by way of written tests / skill test followed by interview, failing which on deputation.</p> <p>1. Registrar - Chairman. 2. Dean of SCS and/or SLS and/or SESD 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department / Centre concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category).</p>

	Age of Superannuation	6. Joint Registrar / Joint Registrar/Deputy Registrar (Administration) – Secretary. At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.
	Appointing authority	60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time. Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).
3	Name of the Post	LABORATORY ASSISTANT
	No. of Posts	7
	Classification	Group C
	Pay Band	Rs.5,200 - Rs.20,200/-
	Grade Pay	Rs.2,000/-
	Whether Selection post or Non Selection post	Selection
	Age limit	Not more than 35 years
	Educational and other qualifications.	Essential: (1) B.Sc. with Chemical sciences/ Life Sciences / Environmental Sciences /Physical sciences / Instrumentation (2) At least two years' experience of handling sophisticated scientific Instruments in the Laboratory. Desirable: Knowledge of Computer Applications.
	Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more years.
	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment by way of written tests / skill test followed by interview, failing which on deputation.
	Composition of the Selection Committee	1. Registrar - Chairman. 2. Dean of SCS and/or SLS and/or SESD 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary.

	Age of Superannuation	At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.
	Appointing authority	60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.
		Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).
4	Name of the Post	LABORATORY ATTENDANT
	No. of Posts	06
	Classification	Group C
	Pay Band	Rs. 5200 - Rs.20200
	Grade Pay	Rs. 1800
	Whether Selection post or Non Selection post	Selection
	Age limit	Not more than 35 years.
	Educational and other qualifications.	Essential: Matriculation with Science as one of the subjects. Desirable: Two years experience of working in a research laboratory preferably attached with a recognized University
	Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more years.
	Method of Recruitment,	Direct recruitment by way of written tests/skill test followed by interview.
	Composition of the Selection Committee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Dean of SCS and/or SLS and/or SESD 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department/Centre concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar /Joint Registrar/ Deputy Registrar (Administration) – Secretary.
	Age of superannuation	At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.
	Appointing authority	60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.
		Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).

CADRE NAME: GUSTHOUSE/HOSTEL/CANTEEN		
GROUP C POST		
1	Name of the Post	LOWER DIVISION CLERK (LDC) (CARETAKER RATIONALIZED WITH LDC)
	No. of Posts	3
	Classification	Group C
	Pay Band	Rs.5,200 - Rs.20,200/-
	Grade Pay	Rs.1,900/-
	Whether Selection post or Non Selection post	Selection
	Age limit	Not more than 35 years.
	Educational and other qualifications.	Essential: (1) 12 TH Class or equivalent qualification from recognized board / University (2) Two years' experience of caretaking of Guesthouse / Hostel of reputed Educational Institute. Desirable: 1) Good knowledge of computer applications 2) Graduate from a recognized University.
	Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more year.
	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment by way of written tests followed by interview.
	Composition of the Selection Committee	1. Registrar - Chairman. 2. Dean of Student's Welfare 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. Senior Warden 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar (Administration) – Secretary. At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.
	Age of Superannuation	60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.
	Appointing authority	Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).

2	<p>Name of the Post</p> <p>No. of posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment,</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>COOK</p> <p>3</p> <p>Group C</p> <p>Rs. 5200 - Rs.20200</p> <p>Rs. 1900</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 35 years.</p> <p>Essential: (1) Matriculation (2) Two years' experience in preparation of vegeatian and non-vegetarian food items both of south Indian and/or north india style / moghalai western style as Cook in a kitchen of hostel-mess/canteen/guesthouse preferably in a University.</p> <p>One year, extendable by <i>one</i> more year.</p> <p>Direct recruitment by way of trade test followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Dean of Student's Welfare 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. Senior Warden 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar (Administration) – Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
3	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p>	<p>KITCHEN ATTENDANT</p> <p>2</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.1,800/-</p> <p>Selection</p>

<p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p> <p>Age of Superannuation</p> <p>Appointing authority</p>	<p>Not more than 30 years.</p> <p>Essential: 10th Class passes from a recognized Board or its equivalent with experience of working in kitchen / hostel / canteen or any large eating houses.</p> <p>Preference will be given to the candidate having experience of assisting the cooks / serve meals / dusting and cleaning / electrical works / pump operation & plumbing works / carpentering / mason / office work etc. which duly supported by a proper certificate of experience of ITI or any other similar experience certificates issued by the recognized institutes.</p> <p>One year, extendable by one more years.</p> <p>Direct recruitment by way of skill test followed by interview.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department concerned. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
<p>4</p> <p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment,</p>	<p>HOSTEL ATTENDANT</p> <p>2</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.1,800/-</p> <p>Selection</p> <p>Not more than 30 years.</p> <p>Essential: 10th Class passes from a recognized Board or its equivalent with experience of working in kitchen / hostel / canteen or any large eating houses.</p> <p>Preference will be given to the candidate having experience of assisting the caretaker / dusting and cleaning rooms-common area including furniture and windows/ electrical works / pump operation & plumbing works / carpentering / mason / office work etc. which duly supported by a proper certificate of experience of ITI or any other similar experience certificates issued by the recognized institutes.</p> <p>One year, extendable by one more years.</p> <p>Direct recruitment by way of skill test followed by interview.</p>

	whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.	
	Composition of the Selection Committee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar - Chairman. 2. Dean of Student's Welfare 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. Senior Warden 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p>
	Age of Superannuation	60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.
	Appointing authority	Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).
CADRE NAME: MEDICAL		
GROUP A POST		
1	Name of the Post	MEDICAL OFFICER
	No. of Posts	2 (1-Male, 1-Female)
	Classification	Group A
	Pay Band	Rs.15,600 - Rs.39,100/-
	Grade Pay	Rs.5,400/-
	Whether Selection post or Non Selection post	Selection
	Age limit	Not more than 35 years in case of direct recruitment
	Educational and other qualifications.	<p>Essential:</p> <p>(1) M.B.B.S. or equivalent qualification as recognized by Medical Council of India (MCI) (2) Atleast three years post qualification experience.</p> <p>Note: for Medical Officer (Female post) atleast one year hospital experience in obstetrics and gynecology ward out of three years experience.</p> <p>Desirable:</p> <p>Post-Graduate qualification will be preferred.</p>
	Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more year.
	Method of Recruitment,	Direct recruitment by way of interview.
	Composition of the Selection Committee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vice-Chancellor – Chairman. 2. Pro-Vice-Chancellor

	Age of Superannuation Appointing authority	<ol style="list-style-type: none"> 3. Two experts not in service of the University in the concerned field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One Member of the EC nominated by it. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Registrar-Ex-officio Member Secretary. <p>At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Executive Council</p>
GROUP B POST		
2	Name of the Post No. of posts Classification Pay Band Grade Pay Whether Selection post or Non Selection post Age limit for Direct Recruitment Educational and other qualifications. Period of probation (if, any) Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods. Composition of the Selection Committee	NURSE 1 Group B Rs.9,300 - Rs.34,800/- Rs.4,600/- Selection Not more than 35 years in case of direct recruitment. Essential: (1) 10+2 in Science Stream from a recognised Board (2) Bachelor's Degree in Nursing Or Three-year Diploma in Nursing/GNM from a recognized Institution/ Authority with a minimum of 2 years' experience in Nursing in a reputed Hospital or Clinic (3) Registration with Nursing Council of India/State. One year, extendable by one more year. Direct recruitment by way of interview. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive

	Age of Superannuation Appointing authority	<p>Council.</p> <p>4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category).</p> <p>5. Head of the Department concerned.</p> <p>6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary.</p> <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p> <p>60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.</p> <p>Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).</p>
		GROUP C POSTS
3	<p>Name of the Post</p> <p>No. of Posts</p> <p>Classification</p> <p>Pay Band</p> <p>Grade Pay</p> <p>Whether Selection post or Non Selection post</p> <p>Age limit</p> <p>Educational and other qualifications.</p> <p>Period of probation (if, any)</p> <p>Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.</p> <p>Composition of the Selection Committee</p>	<p>PHARMACIST</p> <p>1</p> <p>Group C</p> <p>Rs.5,200 - Rs.20,200/-</p> <p>Rs.2,800/-</p> <p>Selection.</p> <p>Not more than 35 years.</p> <p>Essential:</p> <p>(1) 10+2 in Science stream from a recognised Board/University (2) A Minimum of Two-year Diploma in Pharmacy (3) Registration with Pharmacy Council of India/State (4) 5 years experience as a Compounder/Pharmacist in a reputed dispensary or hospital.</p> <p>One year, extendable by one more year.</p> <p>Direct recruitment by way of interview.</p> <p>1. Registrar - Chairman.</p> <p>2. DSW or Finance Officer or Controller of Examinations</p> <p>3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor.</p> <p>4. The Head of the Department / Medical Officer.</p> <p>5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category).</p>

	Age of Superannuation Appointing authority	6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary. At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum. 60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time. Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).
4	Name of the Post No. of Posts Classification Pay Band Grade Pay Whether Selection post or Non Selection post Age limit Educational and other qualifications. Period of probation (if, any) Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods. Composition of the Selection Committee Age of Superannuation Appointing authority	MEDICAL ATTENDANT / DRESSER 1 Group C Rs.5,200 - Rs.20,200/- Rs.1,800/- Selection. Not more than 35 years. Essential: (1) 10+2 with Science subjects or equivalent from a recognized Board/ University (2) Two years' experience as a Dresser in a registered/ recognized hospital One year, extendable by one more year. Direct recruitment by way of interview. 1. Registrar - Chairman. 2. DSW or Finance Officer or Controller of Examination. 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department / Medical Officer. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary. At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum. 60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time. Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).

CADRE NAME: SECURITY		
GROUP B POST		
1	Name of the Post	SECURITY OFFICER
	No. of posts	1
	Classification	Group B
	Pay Band	Rs.9,300 - Rs.34,800/-
	Grade Pay	Rs.4,600/-
	Whether Selection post or Non Selection post	Selection
	Age limit for Direct Recruitment	Not more than 35 years in case of direct recruitment.
	Educational and other qualifications.	Essential: (1) Graduate from recognized University (2) 10 year experience in a responsible supervisory position in institutional or industrial security services/ Police / Paramilitary forces / Armed forces / Government offices / educational institutes. (3) Holding a valid driving license of LMC (4) should be conversant with security rules and regulations and possess sound health. Desirable: Preference will be given to the person who has served in the defence/paramilitary/polices services.
	Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more year.
	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment by way of written test followed by interview.
	Composition of the Selection Committee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-Vice-Chancellor/Registrar -Chairman 2. Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be invited on the basis of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council. 4. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he/she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 5. Head of the Department concerned. 6. Registrar/Joint Registrar / Deputy Registrar - Secretary. <p>At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.</p>
	Age of Superannuation	60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.
	Appointing authority	Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).

		GROUP C POST
2	Name of the Post	SECURITY INSPECTOR
	No. of Posts	1
	Classification	Group C
	Pay Band	Rs.5,200 - Rs.20,200/-
	Grade Pay	Rs.2,800/-
	Whether Selection post or Non Selection post	Selection.
	Age limit	Not more than 35 years.
	Educational and other qualifications.	Essential: (1) Graduate from recognized University (2) threes year experience as responsible supervisory position in security in a Police / Paramilitary forces / Armed forces / Government offices / educational institutes. (3) Holding a valid driving license of LMC (4) should be conversant with security rules and regulations and possess sound health. Desirable: Preference will be given to the person who have served in the Army or such Uniformed services.
	Period of probation (if, any)	One year, extendable by one more year.
	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment by way of written tests followed by interview.
	Composition of the Selection Committee	1. Registrar - Chairman. 2. DSW or Finance Officer or Controller of Examinations 3. Two experts in the concerned subject, to be nominated by the Vice-Chancellor. 4. The Head of the Department. 5. One member who is a woman, a SC/ST/OBC category and one minority member to be co-opted if he / she is not in the Selection Committee (in case the candidates appearing belong to any of the above category). 6. Joint Registrar / Deputy Registrar – Secretary. At least four members, including one outside experts, must constitute the quorum.
	Age of Superannuation	60 years or as per the directive of the UGC/Govt. of India as amended from time to time.
	Appointing authority	Registrar (after approval of the Vice-Chancellor).

ORDINANCE-No.15: RELATING TO THE TERMS AND CONDICTIONS OF APPOINTMENT AND DUTIES OF PROVOSTS/SENIOR WARDENS/WARDENS APPOINTED FOR THE HOSTELS MAINTAINED BY THE UNIVERSITY

1.

- 1.1 The Provost of the University Hostels shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Dean of Students Welfare and the Vice-Chancellor.
- 1.2 The tenure of the Office of the Provost shall ordinarily be for a period of two years. How-ever, the Provost shall be ordinarily eligible for re-appointment, if recommended as per clause 1.1 above. The Executive Council may terminate the appointment of the Provost for reasons to be recorded in writing.
- 1.3 The Provost shall be responsible for the over-all management of a hall of residence consisting ordinarily of two-to-three Hostels.
- 1.4 The Provosts shall be entitled to a monthly honorarium, as decided by the Executive Council, during the tenure of his/her appointment.
- 1.5 The Wardens for Hostels shall be appointed, from amongst those who are considered to have aptitude and competence for this post, by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Provost to the Dean of Students Welfare for a period of two years. The term would be renewable on the recommendation of the Provost to the Dean of Students Welfare. The Vice-Chancellor may, however, terminate the assignment of the Warden after considering the recommendations in this regard of the Provost and Dean of Student's Welfare.
- 1.6 Ordinarily, there shall be a Warden for about fifty students.
- 1.7 The Warden shall be entitled for a monthly honorarium, as decided by the Executive Council, during his/her tenure of office. He/she shall be required to stay in the Warden's quarters during the tenure of his/her office and shall be required to pay licence fee as per rules.
- 1.8 On the expiry of their term or on the termination of their appointment, the Wardens shall be required to vacate quarters within one month. The Warden shall also be required to vacate the quarter before proceeding on leave for a period exceeding 90 days during his/her tenure, unless he/she is granted special permission by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Provost concerned for retaining the quarter.

2. Duties and Responsibilities of the Provost:

- 2.1 He/she will supervise the Hostels assigned to him/her in matters relating to the Hostels' overall functioning, the resident students' welfare, and discipline.
- 2.2 He/she will periodically visit the Hostels and be in contact with the Wardens, staff, and students.
- 2.3 He/she will encourage sports, cultural and other activities in the hostels so as to promote inter-Hostel cooperation.
- 2.4 He/she shall have powers : (a) to impose or waive fines upto the amount decided by the Executive Council. (b) to take other discipline-nary action within the powers assigned to him by the EC and recommend disciplinary action beyond those limits to the Proctor and to the Vice-Chancellor as may be necessary. (c) to distribute work to the wardens of hostels under him/her as evenly as possible, in consultation with the Senior Warden concerned. (d) to sanction leave to the warden(s) of the hostels under him/her, in consultation with the Senior Warden concerned.

3. Duties and Responsibilities of Wardens:

The Wardens shall perform such duties as are assigned to them by the Provost from time to time and shall function under the over-all charge of the Provost. In addition to specific duties assigned by the Provost, the Wardens shall perform the following duties:

- 3.1 The Wardens shall be responsible for the health, hygiene and general welfare of the students residing in the Hostels which are specifically assigned to him/her and shall attend to all matters of heath, sickness, diet, sanitation and cleanliness in accordance with the advice of the Medical Officer and Health Officer.

- 3.2 Each Warden shall be responsible for the resident students and shall ensure that the students concerned observe the rules framed for their guidance and maintenance of decorum.
- 3.3 He/she shall have the right to inspect Hostel Rooms.
- 3.4 The Wardens, functioning under the over-all charge will be individually and collectively responsible for the smooth functioning of the Hostels.
- 3.5 Each Warden will be responsible for the assigned resident students.
- 3.6 Each Warden shall promptly take appropriate action within his/her power on all cases of misbehavior, indiscipline, and sickness of the residents in his/her charge and report to Provost and other higher authorities for cases beyond his/her powers.
- 3.7 The Wardens can impose fines upto the limits prescribed by the Executive Council upon resident students .
- 3.8 The Wardens shall be available in the hostel office every day at specified hours.
- 3.9 The Wardens shall be responsible for the proper upkeep and maintenance of properties of the hostel under his/her charge.

3.10 Warden's leave

- a) Wardens can go on leave only with the prior approval of the Provost concerned.
- b) The Wardens shall coordinate their leave in such a way that atleast three-fourth of them are in residence during semester time and half of them during holidays, unless a particular hostel is closed during holidays.
- c) A Warden may be granted leave upto three months at a time. In exceptional circumstances, leave may be given for an additional month but will not exceed one semester at a time under any condition.
- d) When a Warden is on leave, his/her portfolio and Wing will be distributed between other Wardens for the duration of his/her leave.

3.11 Senior Warden (SW)

- a) The Provost in consultation with the Dean of Students' Welfare shall designate one of the Wardens in a Hostel as Senior warden (SW) for one year on the basis of the person all round experience in running a hostel and the person's capacity to cope with diverse contingencies subject to the provision that the Senior Warden will not ordinarily hold the office for successive terms.
- b) SW will supervise all matters concerning the functioning of the Hostel, and will also hold charge of one of the portfolios given below:
 - (i) SW will chair the meetings of the Wardens in the Hostel which will be held regularly.
 - (ii) SW can impose fine or waive fines as decided by the Executive Council.
 - (iii) SW can transfer a resident from one wing of the Hostel to another.
 - (iv) SW can permit the stay of a resident's guest for more than 7 days and upto 14 days according to Hostel Rules.
 - (v) SW will be responsible for the maintenance of imprest accounts and for the custody of imprest money.
 - (vi) SW can sanction payment of security deposit to suppliers for goods to be supplied or service rendered.
 - (vii) SW can sanction refund of all kinds of security money.
 - (viii) SW will secure the timely completion of and will examine the bank reconciliation statement of all accounts pertaining to the Hostel.

- (ix) SW can sanction repairs to furniture in emergent cases.
- (x) SW will be responsible for proper pursuance of complaints relating to civil/electrical works repairs/replacement of furniture, fittings, etc.
- (xi) SW can sanction overtime **allowance** in accordance with the rules.
- (xii) SW will take action for the eviction of resident students in consultation with the Provost.

3.12 Warden (Administration)

- (a) He/she will allot Hostel Rooms and guest rooms and supervise them.
- (b) He/she will check the resident student's register and the guest room register.
- (c) Can permit stay of a resident student's guest upto a period of 7 days.
- (d) Will take disciplinary action for keeping any unauthorized guest.
- (e) Will order double-locking of rooms of resident student and their re-opening, when required.
- (f) Will be responsible for the overall security of the hostel and will coordinate his/her responsibility with the Security Officer of the University.
- (g) Will periodically verify the furniture and fittings of the Hostel with the assistance of the Caretaker, and take action for their repairs/replacement or for obtaining additional furniture.

3.13 Warden (Recreation)

- (a) He/she will be responsible for general matters relating to health with the advice of the Chief Medical Officer (CMO) of the University. He/she will look after the common room and the sports and cultural programmes of the hostel and will regulate disbursements out of the hostel's recreation grant.
- (b) He/she will advise in the selection of newspapers and magazines.
- (c) Will check the bills prepared by the Caretaker for purchase of newspapers and magazines.
- (d) Will arrange disposal of old newspapers and magazines.
- (e) Will ensure maintenance of discipline and decorum in the common room.
- (f) can permit the common room to stay open beyond the prescribed hour on a special occasion.
- (g) Will pursue, at the appropriate level, all complaints relating to common room items like television, items for indoor sports, etc.

3.14 Warden (Sanitation and Maintenance)

- (a) He/she will be responsible for all matter relating to hygiene, sanitation and cleanliness of the Hostel in consultation with the advice of the Chief Medical Officer (CMO) of the University.
- (b) Will keep a watch over the cleanliness of the dining hall and the kitchen and of the food prepared.
- (c) Will conduct regular inspection of the kitchen room and the dining hall.
- (d) Will enforce discipline and decorum in the dining hall.
- (e) Will supervise the system of purchases of mess stores provision etc.
- (f) Will ensure the correctness of receipts and issues of mess stores, Crockery, etc. and of the stock balance and will attest all entries in the relevant stock register. Will check the valuation of the closing stock.
- (g) Will ensure that stores are kept in good condition.

- (h) Will check and certify the bills received from suppliers with reference to the stock register.
- (i) Will be responsible for drawal of temporary advance when necessary and for keeping watch over its adjustment.
- (k) Will examine the monthly income and expenditure statement of the mess.
- (l) Can sanction mess rebate and lunch rebate in accordance with mess rules.
- (m) Will stop mess facilities in respect of residents defaulting payment of mess bills or those who have vacated the Hostel or have been evicted.
- (n) Will supervise the deployment of cooks and helpers on daily wage and over-time basis when necessary.
- (o) Will make recommendations about refund of mess security.
- (p) Can grant casual leave to Mess Managers, cooks and helpers and recommend regular leave in the case of cooks and helpers.
- (s) Can approve extra duty allowance to Mess Managers.

4. Breach of Discipline on the part of Students:

- 4.1 Without prejudice to the powers of the Proctor as delegated to him/her by the Vice-Chancellor, in the event of breach of discipline and/or misconduct/mis-behaviour on the part of a resident student or a group of students, the Provost, Senior Warden and Wardens shall have powers as decided and vested in them by the Executive Council to
- a) Impose fines, including fines for keeping unauthorized guests in the hostel room;
 - b) declare hostel out of bounds;
 - c) transfer a student from one room to another or from one hostel to another;
 - d) take other steps as empowered by the Executive Council to maintain discipline in the hostels.
- 4.2 If there is a serious breach of discipline or any other serious infringement of the rules of conduct or propriety and the Provost feels that the action called for against such a student would be in excess of the powers vested in him/her, he/she shall recommend such action as he/she deems necessary to the Proctor.

ORDINANCE (No. 16) RELATING TO THE COMMITTEE FOR ADVANCED STUDIES AND RESEARCH (CASR)

Membership of the Committee:

- 1.1 Each School of Studies shall have a Committee for Advanced Studies and Research (CASR) consisting of the following members:
- a) Dean of the School (Convener and Chairman)
 - b) Heads of Departments/Centres in the School;
 - c) One Professor, one Associate Professor and one Assistant Professor from amongst the members of the School Board by rotation in order of seniority.
- 1.2 The Professor concerned with any particular item on the agenda, who is not a member of the Committee, may be invited to attend the meeting, and if there are two or more such Professors in a Department/Centre concerned with any particular item of agenda who are not members, they may all be invited to attend the meeting;

Provided that no person so invited shall have the right to vote.

2. Powers and Duties of the Committee for Advanced Studies & Research :

The powers and duties of the CASR shall be :

- a) to confirm admission of students to M.Phil programme;
- b) to confirm admission of students to the Ph.D. programme;
- c) to appoint Supervisors or Advisors for students enrolled for the M.Phil and Ph.D. programmes on the recommendation of the Department/ Centre concerned;
- d) to recommend examiners for the research work submitted by candidates for research degrees;
- e) to consider reports of the examiners appointed for the research work submitted by candidates for research degrees and make suitable recommendations;
- f) to remove the name of M.Phil students from the rolls of the University;
- g) to perform other duties as per the M. Phil/Ph.D. Ordinances;
- h) to consider applications from the teachers of the School for study leave;
- i) to advise the School Board regarding any schemes or projects of research or of advanced studies which the Board may refer to it for its consideration;
- j) to perform such duties as may be assigned to it by the Academic Council or the School Board.

4. Approval of the Proceedings of the Committee:

- 4.1 The proceedings of the Committee for Advanced Studies and Research shall be placed before the School Board concerned for consideration and approval.
- 4.2 The Board may cause such items of the proceedings of the Committee to be placed before the Academic Council as the Board may deem expedient and necessary with its remarks.

5. Term of Office:

The term of the members under Clause 1.1(c) shall be two years.

6. Quorum:

Five members of the Committee shall form the quorum.

7. Rules of conduct of the Meetings:

The rules of conduct of the meetings of the Committee shall be prescribed by Regulations.

ORDINANCE (No. 17) RELATING TO FEES PAYABLE TO THE EXTERNAL EXAMINERS AND CONDITIONS GOVERNING THE PAYMENT OF FEES.

1. The external examiners shall be paid the fees at the rates specified as at clause 1.2.

- 1.1 The University shall have the provision for the appointment of external examiners only in respect evaluation of M. Phil dissertations and Ph.D. theses.
- 1.2 The external examiners shall be paid the fees as below:

Name of the Examination	For evaluating dissertation/thesis	For conducting viva-voce
	Rupees	Rupees
M.Phil	1000.00	1000.00
Ph.D	2000.00	2000.00

2. Conditions :

- 2.1 The examiners shall maintain utmost secrecy about their assignment and process of evaluation and shall communicate in this respect only with the person authorized by the University in this behalf.

- 2.2 The fees shall not be paid to external examiners until the designated officer has received the report of the evaluation and such other statements as they may be required to submit.
- 2.3 The external examiners shall be eligible for TA/DA as applicable to Group-A officers of Government of India/University rules.

ORDINANCE (No. 18) RELATING TO THE USE OF UNFAIR MEANS BY STUDENTS IN EVALUATION

1. Definitions:

Evaluation: Evaluation means and includes all processes used for evaluation such as quizzes, term papers, assigned reading, laboratory tests, seminars, field work, group discussion, etc., mid-semester examination and end-semester examination.

Unfair Means: Unfair means mean or imply any dishonest method adopted during the process of evaluation by the student including disorderly conduct, plagiarism, etc.

Standing Committee on Unfair Means : it means the Standing Committee appointed by the Academic Council to deal with the cases of use of unfair means by the students.

2. Constitution of the Standing Committee:

- (a) On the recommendations of the Vice-Chancellor, the Academic Council shall constitute a Standing Committee consisting of the following:

- (i) Two Deans; and
- (ii) The Dean of the School from where the case of use of unfair means by student(s) reported;

Provided that the Academic Council shall delegate to the Vice-Chancellor the power to nominate another Dean to be the member of the Committee if the reported case of the student(s) happens to be from the School whose Dean is already represented in the Committee.

- (b) An Officer of the University nominated by the Vice-Chancellor will function as non-member Secretary of the Committee.
3. Any student of the University who is reported to have indulged in use of unfair means in any aspect of process of evaluation shall be liable for disciplinary action as may be determined by the Standing Committee.
4. (a) A faculty member who finds a student indulging in use of unfair means shall report in writing to the head of the department with copies to the Dean concerned and the designated officer for placing the matter before the Standing Committee for its appropriate consideration and direction.
- (b) The Department/School concerned shall forward their views to the Standing Committee within 15 days of the receipt of the communication from the faculty member. In case, no views are received from the Department/Centre/School concerned, the Standing Committee shall proceed with the case without waiting any further.
5. The Committee shall provide fair and reasonable opportunity to the student involved to prove his/her innocence before pronouncing him/her guilty.
6. Without prejudice to the powers of the Proctor, the Committee shall be entitled to exercise such powers in respect of disciplinary action against such students as may be delegated to it by the Vice-Chancellor.
7. A student aggrieved against the disciplinary action taken by the Committee shall be entitled to make an appeal to the Vice-Chancellor within 30 days of communicating such action to the student concerned. The decision of the Vice-Chancellor in the matter shall be final and binding.

**ORDINANCE NO. 19 : CONDITION OF SERVICE OF APPOINTED TEACHERS OF THE UNIVERSITY
AND THE SELECTION COMMITTEE PROCEDURES FOR APPOINTMENT**

1. Teacher

- a) Teachers of the University means Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in any College or Institution maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances.
- b) A teacher of the University shall be a whole-time salaried employee of the University and shall devote his / her whole-time to the University and does not include honorary, visiting, part-time and ad-hoc teachers.
- c) Provided that nothing contained in this Ordinance shall apply to the work undertaken in connection with the examination of Universities or learned bodies or Public Service Commissions or to any literary work or publication or radio / television talk or extension lectures or, with the permission of the Vice-Chancellor, to any other academic work.

2. Recruitment

- i) The University will issue all-India advertisement for recruitment to the teaching posts in leading national dailies giving at least 30 days' from the date of publication of the advertisement time and make appointments thereto on all India basis on the recommendations of the Selection Committee as per UGC Regulations ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION 2010.
- ii) The fee for processing application form shall be collected as prescribed by the University from time to time. The SC/ST/PWD (Physically Handicapped) candidates need not pay processing fee.
- iii) In order to attract best talents, the University may make rolling advertisements whereby eligible candidates can submit their applications for different faculty positions throughout the year.
- iv) The application forms will be sold and registration fee collected at the rates prescribed by the University from time to time. The SC/ST/ PWD (Physically Handicapped) candidates need not pay Registration Fee.
- v) The in-service candidates should apply through Proper Channel.

3. Minimum Qualifications and Experience

- I. The terms and conditions for appointment for the post of Professor/Associate Professor/Assistant Professor with regard to the minimum qualifications and other terms and conditions as prescribed in the UGC Regulations ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION 2010 and amended from time to time, shall be followed.
- II. In addition to the above, the Vice-Chancellor may prescribe in consultation with the concerned Dean of School and Chairperson of the Centre, to the Academic Council such specification or any other condition as required for the post to be filled up.

The minimum qualifications required for the post of Professor, Associate Professor, Assistant Professor are as under:

(i) PROFESSOR

- a) An eminent scholar with Ph.D. qualification(s) in the concerned/allied/relevant discipline and published work of high quality actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers.

- b) A minimum of ten years of teaching experience in university/college, and/or experience in research at the University/National level institutions/industries, including experience of guiding candidates for research at doctoral level.
- c) Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology – mediated teaching learning process.
- d) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS).

OR

- a) An outstanding professional, with an exceptional accomplishment established reputation in the relevant field, who has made significant contributions to the knowledge in the concerned/allied/relevant discipline, to be substantiated by credentials

(ii) ASSOCIATE PROFESSOR

- a) Good academic record with a Ph.D. Degree in the concerned/allied/relevant disciplines.
- b) A Master's Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).
- c) A minimum of eight years of experience of teaching and/or research in an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/industry excluding the period of Ph.D. research with evidence of published work and a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers.
- d) Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology – mediated teaching learning process with evidence of having guided doctoral candidates and research students, as evidenced by Ph.D. thesis /co-authored books/publications in peer reviewed journals.
- e) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS).

(iii) ASSISTANT PROFESSOR

- a) Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.
- b) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR.
- c) Notwithstanding anything contained in (ii) above candidates, who are, or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET.
- d) NET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET is not conducted.

III. A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. degree holders, who have passed their Master's degree prior to 19th September, 1991.

IV. Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.

4. Shortlisting of Applications

- a) The prescribed qualification and experience will be minimum, and the mere fact that a candidate possessing the same will not entitle him /her for being called for interview.
- b) The University will have the right to restrict the number of candidates to be called for interview, based on the recommendations of the Screening Committee constituted as per the Regulations for this purpose, to a reasonable number on the basis of qualifications and experience higher than the minimum prescribed or by any other condition that it may deem fit.
- c) The Scrutiny Committee for applications may evolve criteria for shortlisting the candidates to be called for the interview as per the UGC Guidelines in consultation with the Vice-Chancellor.

5. Reservation Policy

- I. The rules and procedures, prescribed by the Govt. of India, MHRD and UGC in respect of the Reservation policy for reserved categories shall be followed
- II. A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the SC/ST/ PWD (Physically and visually handicapped) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. Rounding off of marks to make it to 55% or 50% as the case may be through grace mark procedure etc., by universities is not permissible for claiming relaxation.
- III. The statutory provision for relaxation prescribed by MHRD & UGC in case of the candidates belonging to SC/ ST/ OBC/ PWD categories will be made applicable to them.

6. Process of Selection

- a) The overall selection procedure shall incorporate transparent, objective and credible methodology of analysis of the merits and credentials of the applicants based on weightages given to the performance of the candidate in different relevant dimensions and his/her performance on a scoring system proforma, based on the Academic Performance Indicators (API).
- b) Universities may assess the ability for teaching and/or research aptitude through a seminar or lecture in a class room situation or discussion on the capacity to use latest technology in teaching and research at the interview stage.
- c) In all the Selection Committees of direct recruitment of teachers, an academician representing Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ OBC/ Minority/ Women/ PWD categories, if any of candidates representing these categories is the applicant and if any of the members of the selection committee do not belong to that category, shall be nominated by the Vice-Chancellor. The academician, so nominated for this purpose, shall be one level above the cadre level of the applicant, and such nominee shall ensure that the norms of the Central Government, in relation to the categories mentioned above, are strictly followed during the selection process.
- d) The process of selection of Associate Professor should involve inviting the bio-data with the duly filled Performance Based Appraisal System (PBAS) proforma developed by the University based on the API criteria provided in UGC Regulation 2010.
- e) The publications shall be provided to the subject experts for assessment before the interview and the evaluation score of the publications provided by the experts shall be factored into the weightage scores while finalizing the outcome of selection by the selection committee.
- f) The process of selection of Professor shall involve inviting the bio-data with duly filled Performance Based Appraisal System (PBAS) proforma developed by the university based on the API criteria based PBAS set out in UGC Regulations 2010 and reprints of five major publications of the candidates.

7. Selection Committee

The Selection Committee for the post of Professor in the University shall have the following composition.

1. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Selection Committee.
2. An academician nominated by the Visitor.
3. Three experts in the concerned subject nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the Executive Council.
4. Dean of the concerned School, wherever applicable.
5. Chairperson of the Centre.
6. An academician representing SC/ ST / OBC/ Minority /Women/ PWD categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing

these categories is an applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

The Selection Committee for the post of Associate Professor in the University shall have the following composition.

1. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Selection Committee. Vice-Chancellor may delegate power to Pro Vice-Chancellor to chair the Selection Committee.
2. An academician nominated by the Visitor.
3. Three experts in the concerned subject nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the Executive Council.
4. Dean of the concerned School. Wherever applicable
5. Chairperson of the Centre.
6. An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/PWD categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is an applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

The Selection Committee for the post of Assistant Professor in the University shall have the following composition.

1. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Selection Committee. Vice-Chancellor may delegate power to Pro Vice-Chancellor to chair the Selection Committee.
 2. An academician nominated by the Visitor.
 3. Three experts in the concerned subject nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the Executive Council.
 4. Dean of the concerned School, wherever applicable
 5. Chairperson of the Centre.
 6. An academician representing SC/ ST/OBC /Minority /Women/ PWD categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is an applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.
- g) The Registrar, and while the office of the Registrar is vacant, the Deputy Registrar nominated by the Vice-Chancellor for the purpose, shall be the ex-officio Secretary of the Selection Committee, but shall not be deemed to be a member thereof.
- h) At least four members, including Chairperson and two outside subject experts shall constitute the quorum.
- i) Selection committee shall assess the following dimensions with the weightages given below:

	Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Minimum API Score	As stipulated in the API developed by the University	Consolidated API score requirement of 300 points from category III of API's	Consolidated API score requirement of 400 points from Category III of API's

Selection Committee criteria/Weights (Total Weights= 100)	a) Academic Record and Research Performance (50%)	d) Academic Background (20%)	h) Academic background (20%)
	b) Assessment of Domain Knowledge and Technical Skills (30%)	e) Research performance based on API score and quality of publications (40%)	i) Research performance based on API score and quality publications (40%)
	c) Interview performance (20%)	f) Assessment of Domain Knowledge and Technical Skills (20%)	j) Assessment of Domain Knowledge and Teaching Skills (20%)
		g) Interview performance: (20%)	k) Interview performance: (20%)

- j) The University shall issue to each member a Notice, not less than ten days before the meeting, stating the time and venue of the meeting. Meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and of the experts nominated by the Executive Council.
- k) No recommendations should be made with a condition attached to the concurrence of the future events.
- l) The Selection Committee, after considering a candidate for the post of Professor or Associate Professor, may, if it is of the opinion that he or she will be suitable choice for the next lower post, can make such recommendation, If any candidate is recommended by the Selection Committee for appointment in relaxation of any of the prescribed conditions relating to qualifications, age, experience etc., it shall be so stated and recorded.
- m) When the Selection Committee considers it fit to recommend a higher initial pay or advance increments to be offered to a selected candidate, it shall be as per the UGC Regulation 2010 para No. 6.4.11
- n) Outstation candidates belonging to SC/ST/ PWD categories called for interview will be paid equivalent to return single second class railway fare towards journey, expenses on production of Ticket /proof.

8. Appointment

- I. In case of selection to two or more posts on the same date, the recommendations shall invariably be made in order of merit of the selected candidates for the purpose of determining seniority in service.
- II. Number of posts advertised may be treated as tentative. The University shall have the right to increase/decrease the number of posts at the time of selection and make appointments accordingly.
- III. The Selection Committee's recommendations, when approved by the Executive Council, shall remain valid for a period of one year from the date of such approval.
- IV. In cases of any disputes any suites or legal proceedings against the University, the jurisdiction shall be restricted to the Courts in Gandhinagar or any other place which is the Headquarters of the University.
- V. It would be open to the Executive Council to offer appointment to suitable persons who may not have applied in accordance with Statute 19 (1) of the Central Universities Act, 2009.

- VI. The Executive Council may appoint a teacher or any other academic staff of any other University or organisation for undertaking a joint project in accordance with Statute 19 (2) of the Central Universities Act, 2009.

9. Contract

- I. Incumbent teacher shall enter in to contract as per Proforma given in Annexure-I
- II. Short term appointee for teaching shall enter in to contract as per Proforma given in Annexure-II.

10. Period of Probation and Confirmation

- I. The minimum period of probation shall be one year extendable by a maximum period of one more year in case of unsatisfactory performance. The confirmation at the end of one year shall be automatic, unless extended for another year by a specific order, before expiry of the first year.
- II. Subject to this Clause it is obligatory on the part of the university to issue an order of confirmation to the incumbents within 45 days of completion of probationary period after due process of verification of satisfactory performance.
- III. Probation and confirmation rules are applicable only at the initial stage of recruitment, as issued from time to time, by Government of India.
- IV. All other Central Government rules on probation and confirmation shall be applicable mutatis mutandis.

Confirmation

- I. It shall be the duty of the Registrar to place before the Executive Council the case of Confirmation of a teacher on probation, not later than forty days before the end of the period of probation with Annual Performance Report duly scrutinized with recommendation of the concerned Dean.
- II. The Executive Council may then either confirm the teacher or decide not to confirm him, or extend the period of probation so as not to exceed twenty-four months in all.
- III. In case the Executive Council decides not to confirm the teacher, whether before the end of twenty-four months' period of his / her probation, or before the end of the extended period of probation, as the case may be, he shall be informed in writing to that effect, not later than thirty days before the expiration of that period.
- IV. Provided that the decision not to confirm a teacher shall require a two-third majority of the members of the Executive Council present and voting.

11. Pay and Allowances

A Per the Government of India rules /UGC regulations issued from time to time and adopted by Central University of Gujarat

12. Increment

Every teacher shall be entitled to increment in his I her scale of pay, unless the same is withheld or postponed by a resolution of the Executive Council and after the teacher has been given due opportunity to make his I her written representation

13. Fixation of pay for re-employed pensioners

As Per the Government of India Rules issued from time to time and adopted by Central University of Gujarat

14. Professional Code of Conduct

Every teacher of the University shall abide by the Code of Conduct framed by the University and the following lapses would constitute misconduct on the part of a University teacher.

- I. Any lapses in performing his / her duties as assigned by the university from time to time.
- II. Inciting students against other students, colleagues or administration (This does not interfere with the right of a teacher to express his / her difference of opinion on principles in seminars and other places where students are present) or any other such actions which are against the interest of the university.
- III. Indulging in communal activities, or making inappropriate remarks on caste, creed, religion, race or sex in his / her relationship with his / her colleagues and trying to use the above considerations for improvement of his / her prospects or any other such actions which are against the interest of the university.
- IV. Refusal to carry out the decisions by appropriate administrative and academic bodies and / or functionaries of the University without giving reason.
- V. Indulging in Plagiarism of any sort within the legal meaning, interpretation and expression of the term.

15. TEACHERS AND THEIR RESPONSIBILITIES:

Whoever adopts teaching as a profession assumes the obligation to conduct himself /herself in accordance with the ideal of the profession. A teacher is constantly under the scrutiny of his students and the society at large. Therefore, every teacher should see that there is no incompatibility between his precepts and practice. The national ideals of education which have already been set forth and which he/she should seek to inculcate among students must be his/her own ideals. The profession further requires that the teachers should be calm, patient and communicative by temperament and amiable in disposition.

- a) Teachers should:
 - i) Adhere to a responsible pattern of conduct and demeanour expected of them by the community;
 - ii) Manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession;
 - iii) Seek to make professional growth continuous through study and research;
 - iv) Express free and frank opinion by participation at professional meetings, seminars, conferences etc. towards the contribution of knowledge;
 - v) Maintain active membership of professional organizations and strive to improve education and profession through them;
 - vi) Perform their duties in the form of teaching, tutorial, practical, seminar and research work conscientiously and with dedication;
 - vii) Co-operate and assist in carrying out functions relating to the educational responsibilities of the college and the university such as: assisting in appraising applications for admission, advising and counselling students as well as assisting the conduct of university and college examinations, including supervision, invigilation and evaluation; and
 - viii) Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities including community service.

Teachers and the students

- b) Teachers should:
 - i) Respect the right and dignity of the student in expressing his/her opinion;
 - ii) Deal justly and impartially with students regardless of their religion, caste, political, economic, social and physical characteristics;
 - iii) Recognize the difference in aptitude and capabilities among students and strive to meet their individual needs;
 - iv) Encourage students to improve their attainments, develop their personalities and at the same time contribute to community welfare;

- v) Inculcate among students scientific outlook and respect for physical labour and ideals of democracy, patriotism and peace;
- vi) Be affectionate to the students and not behave in a vindictive manner towards any of them for any reason;
- vii) Pay attention to only the attainment of the student in the assessment of merit;
- viii) Make themselves available to the students even beyond their class hours and help and guide students without any remuneration or reward;
- ix) Aid students to develop an understanding of our national heritage and national goals; and
- x) Refrain from inciting students against other students, colleagues or administration.

Teachers and colleagues

- c) Teachers should:
 - i) Treat other members of the profession in the same manner as they themselves wish to be treated;
 - ii) Speak respectfully of other teachers and render assistance for professional betterment;
 - iii) Refrain from lodging unsubstantiated allegations against colleagues to higher authorities; and
 - iv) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race or sex in their professional endeavour.

Teachers and authorities:

- d) Teachers should:
 - i) Discharge their professional responsibilities according to the existing rules and adhere to procedures and methods consistent with their profession in initiating steps through their own institutional bodies and/or professional organizations for change of any such rule detrimental to the professional interest;
 - ii) Refrain from undertaking any other employment and commitment including private tuitions and coaching classes which are likely to interfere with their professional responsibilities;
 - iii) Co-operate in the formulation of policies of the University by accepting various offices and discharge responsibilities which such offices may demand;
 - iv) Co-operate through their organizations in the formulation of policies of the other institutions and accept offices;
 - v) Co-operate with the authorities for the betterment of the University keeping in view the interest and in conformity with dignity of the profession;
 - vi) Should adhere to the conditions of contract;
 - vii) Give and expect due notice before a change of position is made; and
 - viii) Refrain from availing themselves of leave except on unavoidable grounds and as far as practicable with prior intimation, keeping in view their particular responsibility for completion of academic schedule.
 - ix) No whole-time salaried teacher of the University shall without the permission of the Executive Council engage directly or indirectly in any trade or business whatsoever or any private tuition or other work to which any emolument or honorarium is attached. However, teachers may engage in consultancy work as per UGC guidelines and with prior approval of the University.
 - x) Every teacher shall undertake to take part in such activities of the University and perform such duties in the University as may be required by and in accordance with the Act, the Statutes and Ordinances framed there-under, for the time being in force, whether the same relate to organisation of teaching, research, extension, examination of students, their discipline, welfare, and generally to act under the direction of the authorities of the University.

Teachers and non-teaching staff:

- i) Teachers should treat the non-teaching staff as colleagues and equal partners in a cooperative undertaking, within University; and
- ii) Teachers should help in the function of joint staff-councils covering both teachers and the non-teaching staff.

Teachers and guardians

- e) Teachers should:
- i) Try to see through teachers' bodies and organizations, that University maintain contact with the guardians, their students, send reports of their performance to the guardians whenever necessary and meet the guardians in meetings convened for the purpose for mutual exchange of ideas and for the benefit of the University.

Teachers and society

- f) Teachers should:
- i) Recognize that education is a public service and strive to keep the public informed of the educational programmes which are being provided;
 - ii) Work to improve education in the community and strengthen the community's moral and intellectual life ;
 - iii) Be aware of social problems and take part in such activities as would be conducive to the progress of society and hence the country as a whole;
 - iv) Perform the duties of citizenship, participate in community activities and shoulder responsibilities of public offices;
 - v) Refrain from taking part in or subscribing to or assisting in any way activities which tend to promote feeling of hatred or enmity among different communities, religions or linguistic groups but actively work for National Integration.

16. Teaching Days, Work Load and Leave Rules

The rules and conditions governing number of teaching days, work load and leave rules shall be as prescribed by the University Grants Commission from time to time.

17. Age of Superannuation

Subject to the provision of Statute 25, every teacher confirmed in the service of the University, shall continue in such service until he I she attains the age of superannuation as prescribed by the UGC and Govt. of India, adopted by Central University of Gujarat from time to time.

Provided further that if the date of Superannuation of a teacher falls at any time during the Academic Session the Executive Council, may on the recommendation of the Vice-Chancellor re-employ the teacher for any period up to the end of the academic session, with a view not to disturb the teaching work of the Department I Centre.

In special cases, a teacher on his I her attaining the age of superannuation, may be re-employed on a contract in keeping with the regulations in this behalf as issued by the UGC from time to time.

18. Voluntary Retirement

As Per the Government of India/UGC Rules issued from time to time and adopted by Central University of Gujarat

19. Variations in terms and conditions of service

Every teacher shall be bound to act in conformity with the Statutes, Ordinances, Regulations and rules of the University as well as a code of professional ethics as may be formulated by the University.

Provided that no change in the terms and conditions of service of a teacher shall be made after his / her appointment in regard to designation, scale of pay, increment, provident fund, retirement benefits, age of retirement, probation, confirmation, leave; leave salary and removal from service so as to adversely affect him.

20. Resignation

A whole-time salaried teacher may, at any time, terminate his / her contract by giving the University three months' notice in writing or on payment to the University of three months salary in lieu thereof. The notice period shall be one month in case of probationers, contractual, temporary and ad-hoc teachers or salary in lieu thereof.

Provided that the Executive Council may waive the requirement of notice at its discretion.

- 21.** The other conditions of service or any matter which are not covered above shall be as prescribed by the University Grants Commission/Government of India and Central University of Gujarat from time to time.

Annexure-I

Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which is hereby prescribed and appended to this ordinance”.

(To be typed on rs.10/- non-judicial stamp paper & submit one original and two copies thereof.)

WRITTEN CONTRACT OF APPOINTMENTS-SERVICE CONTRACT

ARTICLES OF AGREEMENT EXECUTED his / her the _____ day of _____ the year Two Thousand _____ of the Republic of India between _____ S/O _____ /D/O/W/O _____ aged _____ years, residing at _____ of the first part (hereinafter called ‘the party of the first part’) and the Central University of Gujarat of the second part.

WHEREAS the Central University of Gujarat (hereinafter referred in as “the University”) have engaged the party of the first part as _____ (Designation) and the party of the first part has agreed to serve the University on the terms and conditions hereinafter contained;

Now these present witness and the parties here to respectively agree as follows:

1. The party of the first part shall submit to the orders of the University and of the authorities under whom he may from time to time, be placed by the University and shall remain in the service commencing from the date of joining duty _____ (Date) subject to the terms and conditions herein contained.
2. The party of the first part shall devote his / her whole time and attention efficiently and diligently to his / her duties and at all-time obey the rules including the University Servants Conduct Rules prescribed for the time being for the regulations of the branch of the University to which he may be attached and shall whenever required to perform such duties as may be assigned to him / her from time to time.
3. The party of the first part shall be of the Teacher’s / Officer’s rank and his / her status shall be that of _____ (Designation) in _____ (Department / Centre/Office)
4. The party of the first part shall be from the date of coming into force of these presents, be granted Rs. _____ (Basic Pay including the grade pay of Rs. _____) in the pay scale of Rs. _____. He/she shall also be eligible for the usual allowance admissible under the rules of the University / Govt. of India in force.
5. The party of the first shall, during the period of this / her agreement earns leave according to the rules applicable to him/her.
6. If the party of the first part is required to travel in the interest of the University Service; he/she shall be entitled to travelling allowance as per rules of the University.
7. This agreement may be terminated at any time within the said period of the age of superannuation / by either party, by giving three months’ notice in writing to the other. Provided always that either party may in lieu of the notice, give to the other party a sum equal to the salary of the period which may fall short of three months.

8. The party of the first part shall be eligible to the benefit of the University Provident Fund / Pension / New Pension Scheme according to the rules applicable.
9. The Party of the first part shall submit himself / herself for Self-Appraisal PABS methodology as prescribed by the UGC/ University as notified and amended from time to time.
10. In regard to any matter in respect of which no provision has been made in this agreement, the provision of the rules made or deemed to have been made under Article 309 B & 313 of the Constitution of India, the provisions of any Act or Rule made by the University in regard to the employees borne in the category of the Teacher / Officer in the University service shall apply to the extent to which they are applicable to the service of the party of the first part under this / her agreement and the decision of the University as their applicability shall be final.

IN WITNESS WHERE OF _____(name)_____ the party of the first part and the Registrar acting for and on behalf of and by the order and direction of the Executive Council, have hereunto set their hands in the _____ year of the REPUBLIC OF INDIA.

SIGNED BY THE PARTY OF THE FIRST PART:

IN THE PRESENCE OF:

Witness:

1)

2)

Signed and sealed on behalf of the University under the authority of the Executive Council by:

Signature:

Designation:

In the presence of:

1. Signature

2. Signature

Annexure-II

SERVICE CONTRACT FOR SHORT-TERM APPOINTMENT AS A TEACHER

Memorandum of Agreement made this the _____ day of _____ Two Thousand _____ and _____ between _____ (hereinafter called the 'Teacher') of the first part, and the Central University of Gujarat being a body corporate constituted under the Central University Act, 2009 (hereinafter called the 'University') of the second part.

It is hereby agreed as follows:

1. That the University hereby appoints _____ to be a member of the teaching staff of the University with effect from the _____ and the said _____ hereby accepts the engagement, and undertakes to take such part in the activities of the University and perform such

duties in the University as may be required by and in accordance with the said Act, Statutes and Ordinances framed there under, for the time being in force, whether the same relate to organisation of instruction, or teaching, or research or the examination of students or their discipline or their welfare, and generally to act under the direction of the authorities of the University.

2. That the said _____ shall be a contract teacher of the University and unless the contract is terminated by the Executive Council or by the teacher before the expiry of the term of his appointment for which he is appointed or is terminated as herein after provided, shall continue in the service of the University for the period of his appointment as aforesaid.
3. That the University shall pay _____ during the continuance of his engagement hereunder as a remuneration of his services a consolidated salary of Rs. _____
4. That the said teacher agrees to be bound by the Statutes, Ordinances, Regulations and Rules for the time being in force in the University.
5. That the teacher shall devote his whole-time to the service of the University and shall not, without the written permission of the University, engage, directly or indirectly, in any trade or business whatsoever, or in any private tuition or other work to which any emolument or honorarium is attached, but this prohibition shall not apply to work undertaken in connection with the examination of Universities or learned bodies or public service commissions, or to any literary work or publication or radio talk or extension lectures, or, with the permission of the Vice-Chancellor, to any other academic work.
6. It is further agreed that this engagement shall not be liable to be determined before the expiry of the aforesaid period of appointment by the University except on the grounds specified below:
 - a. Where there is an allegation of misconduct against a teacher, or a member of the academic staff, the Vice-Chancellor may, if he thinks fit, by order in writing, place the teacher under suspension and shall forthwith report to the Executive Council the circumstances in which the order was made: Provided that the Executive Council may, if it is of the opinion, that the Circumstances of the case do not warrant the suspension of the teacher or a member of academic staff, revoke such order.
 - b. Notwithstanding anything contained in the terms of his contract of service or of his appointment, the Executive Council shall be entitled to remove a teacher or a member of the academic staff on the ground of misconduct.
 - c. Save as aforesaid the Executive Council shall not be entitled to remove a teacher or a member of the academic staff except for good cause and after giving one months' notice in writing or on payment of one months' salary in lieu of notice.
 - d. No teacher or a member of the academic staff shall be removed until he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.
 - e. The removal of a teacher or a member of the academic staff shall take effect from the date on which the order of removal is made: Provided that where a teacher or a member of the academic staff is under suspension at the time of his removal, the removal shall take effect from the date on which he was placed under suspension. "
 - f. The teacher may at any time, terminate his engagement by giving the Vice-Chancellor one months' notice in writing or on payment to the University of one month salary in lieu thereof, provided that the Executive Council may waive the requirement of notice at its discretion.
 - g. On the termination of this engagement, from whatever cause, teacher shall deliver up to the University all books, apparatus, records and such other articles belonging to the University as may be due from him.

In witness where of the parties here to affix their hands and seal.

Signature:

Designation:

In the presence of:

1. Signature

2. Signature:

Signed and sealed on behalf of the University under the authority of the Executive Council by:

Signature:

Designation:

In the presence of:

1. Signature

2. Signature

ORDINANCE No. 21 : CONVOCATION

Convocation for the purpose of conferring Degrees shall be held on such date and at such place as may be fixed by the Chancellor.

The Convocation shall represent and consist of the body corporate of the University. The Chancellor shall preside over the proceedings of Convocations of the University held for conferring Degrees, Diploma, Certificate, medals and ranks as the case may be.

Notice

Not less than four weeks' notice shall be given by the Registrar for meetings of the relevant statutory authorities for the Convocation.

The Officer concerned shall, with the notice, issue to each member of the Convocation, a programme of the procedure to be observed thereat.

The candidates who have passed their examinations in the years since the inception of the University or the last Convocation as the case may be, shall be eligible to be admitted to the Convocation.

Provided that in case the Convocation is not held in a particular year, the Vice -Chancellor shall be competent to authorise admission of successful candidates in that year to their respective Degrees in absentia and issue the degrees on payment of prescribed fee.

Application

A candidate for the Degree must submit to the Officer concerned his/ her application on or before the date prescribed for the purpose for admission to the Degree at the Convocation in person along with the prescribed fee.

Such candidates who are unable to present themselves in person at the Convocation shall be admitted to the Degree in absentia by the Chancellor and their Degrees shall be given by the Controller of Examinations on application and payment of the prescribed fee.

Fees

The fee for admission to the Degree at the Convocation in person and in absentia shall be fixed by the University.

Special Convocation

A special Convocation may be held at such time and such place as may be decided by the Executive Council for the purpose of conferring Honorary Degrees in accordance with the procedure or for the purpose of conferring other Degrees under special circumstances on the recommendation of the Academic Council.

Honorary Degree

Honorary Degree shall be conferred at Convocation/Special Convocation and may be taken in person or in absentia.

The presentation of the persons at the Convocation on whom Honorary Degrees are to be conferred shall be made by the Vice -Chancellor or by a person nominated by him.

Candidates at the Convocation shall wear Academic Dress appropriate to their respective Degree as specified by the University. No candidate shall be admitted to the Convocation who is not in proper Academic Dress as prescribed by the University.

Academic Dress

The Academic Dress of the University for the Convocation shall be as prescribed by the University.

Convocation Procedure

The Convocation Procedure shall be as laid down in the Regulations.

ORDINANCE No: 22
THE ALUMNI ASSOCIATION OF CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Under Clause 35 (1 & 2) of the Central Universities Act 2009)

1. There shall be an Alumni Association of the Central University of Gujarat.
2. The objective of the Association shall be to promote the objectives of the University, to maintain contacts and solidarity among the graduates of the University to further their academic and professional interests, and to raise funds and endorsements for the development of the University.
3. The membership of the Association shall be open to all degree holders of the University, including the holders of diplomas and certificates.
4. The membership fee for the Association, shall be as decided by the Executive Council of the University from time to time.
5. There shall also be an Alumni Association Admission fee of Rs 100/= which shall be collected at the time of admission of students in the university.
6. The application for membership shall be through a form prescribed by the University.
7. The Executive Committee of the Association shall consist of the (a) President; (b) Vice President; (c) General Secretary; (d) Joint Secretary; and (e) 10 other Members.
8. The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Patron. All other office -bearers and members of the Association shall be elected for a term of three years.

9. No member of the Association shall be entitled to vote or contest for election unless he has been a member of the Association for at least one year prior to the date of the election and is a degree holder of the University of at least three years' standing.
10. Provided that the condition relating to the completion of one year membership shall not apply in case of the first election.
11. The funds of the Association shall be managed by the Finance Officer of the University who will maintain a separate Account for the purpose.
12. The elections of the Association and all its meetings shall be conducted in the manner to be prescribed by Regulations framed by the University initially and to be framed by the first Executive Committee, to be approved by the first meeting of General Body of the Alumni Association.
13. In case of any difficulty in operating any clause of the Ordinance, the matter shall be referred to the Vice-Chancellor whose decision thereon shall be final.

Prof. S.L. HIREMATH, Registrar
[ADVT.-III/4/Exty./59/2017-18]